लोक-सभा
वा द - वि वा द

द्वितीय माला

खण्ड ५, १९५७

(९ अगस्त से २४ अगस्त, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Second Session)

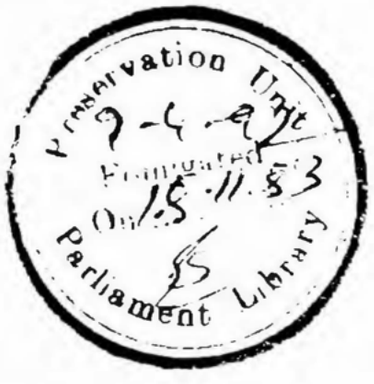

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड ५ में संख्या २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २१ से ३०—६ अगस्त से २४ अगस्त, १९५७)

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४०, ७४२, ७४३, ७४५ से ७५२ और ७५४। ३४१७–३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४४, ७५३, ७५५ से ७७९ और ५१७ ३४३९–५०

तारांकित प्रश्न संख्या ५७० से ५८४ ३४५०–५५

पटल पर रखे गये पत्र ३४५५–५६

सभा का कार्य ३४५६–५७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ३४५७–५९

विचार के लिये प्रस्ताव ३४५७

खण्ड २, ३ तथा १ ३४५९

पारित किये जाने का प्रस्ताव ३४५९

अनुदानों की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . ३४५९–७९

बीड़ी तथा सिगार श्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित ३४७९

वृद्ध तथा अपंग व्यक्ति गृह विधेयक—पुरःस्थापित ३४७९

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप)—पुरःस्थापित ३४७९–८०

मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ का संशोधन तथा नये अध्याय ४-क का रखा जाना)—पुरःस्थापित ३४८०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ५८ का संशोधन)—पुरःस्थापित ३४८०–८१

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा २९३ का संशोधन)—पुरःस्थापित ३४८१

द्रावनी (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ६०का संशोधन तथा धारा १४ का लोप)—पुरःस्थापित ३४८१

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक वापिस लिया गया ३४८१–९१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७-क का रखा जाना)
--वापिस लिया गया . . . ३४९१–३५०२

साधू तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक
विचार के लिये प्रस्ताव--असमाप्त . . . ३५०२–०३

दैनिक संक्षेपिका . . ३५०४–०७

अंक २२--सोमवार, १२ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८० से ७९१, ७९३, ७९४ और ७९९ ३५०९–३२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ७ से ११ . . ३५३२–३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९२, ७९५, ७९७, ७९८, ८०० से ८२२, और ८२४ से ८२८ ३५३९–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ६१६ . . ३५५२–६५

अत्यावश्यक सेवा संधारण अध्यादेश का प्रतिसंहरण करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ३५६५

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में विस्फोट ३५६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५६७

धन कर विधेयक और व्यय कर विधेयक--

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उप-स्थापित करने का समय बढ़ाया जाना ३५६७–६८

अनुदानों की मांगें :--

पुनर्वास मंत्रालय ३५६८–३६१३

विशेषाधिकार का प्रश्न--

वीरेन्द्र कुमार मजूमदार द्वारा पररूप वारण . ३५७०

रेलों में विभागीय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा . ३६१३–१६

दैनिक संक्षेपिका . . ३६१७–२०

अंक २३--मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८२९, ८३०, ८३२ से ८४१, ८४३ से ८४६ और ८४८ ३६२१–४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ३६४५–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३१, ८४२, ८४७, ८४९ से ८६५, ८६७ से ८७९ और ८८१ से ८८७ ३६५०–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६६२ ३६६४–८३

पृष्ठ

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३९८३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न ३९४८–४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल . . ३९८३––८७

अनुदानों की मांगें––

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . ३९८७––४०२५

दैनिक संक्षेपिका . . ४०२९––२९

अंक २४––बुधवार, १४ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ८८८ से ९००, ९०२, ९०३, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . ४०३१––५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ९०४, ९०७, और ९०९ से ९३१ . ४०५४––६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६८१ ४०६४––७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०७५-७६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन . ४०७६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

सौनाली स्टेशन के आगे रेलों का बन्द किया जाना ४०७६–७७

अनुदानों की मांगें––

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ४०७७––४८१६

गृह-कार्य मंत्रालय . ४८१६––२६

पूर्वोत्तर रेलवे में से एक नये रेलवे महाखण्ड के निर्माण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ४८२६––३४

दैनिक संक्षेपिका . . ४८३५––३८

अंक २५––शनिवार, १७ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ से ९३५, ९३७, ९३८, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४६, ९४९, ९५१ से ९५४, ९५६ और ९५८ ४८३९––६३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ ४८६४––६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ९३६, ९३९, ९४२, ९४८, ९५०, ९५५, ९५७ से ९६३ और ९६५ से ९६७ ४८६६––७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ७२८ ४८७२––९३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३-९४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
पाटस्कर प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समाचार पत्रों की टीका-टिप्पणी . ३८९४

सभा का कार्य ३८९४

धनकर विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति--
प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . ३८९५

बीमा (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया . . . ३८९५

अनुदानों की मांगें--
गृह-कार्य मंत्रालय ३८९५--३९३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौथा प्रतिवेदन ३९३६

प्रति व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प ३९३६--५१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिए एक स्पष्ट मूल्य नीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प ३९५२--५५

दैनिक संक्षेपिका . ३९५६--५९

अंक २६--मंगलवार, २० अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
तारांकित प्रश्न* संख्या ९६८ से ९७५, ९७७ से ९८३ और ९८५ ३९६१--८४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६ ३९८४--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ९७६, ९८४ और ९८६ से १००३. . ३९८९--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७५८ . ३९९३--४००५

राज्य-सभा से सन्देश . . ४००५--०६

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ४००६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ४००६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
यमुना में बाढ़ . . . ४००६

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध . ४००७

अनुदानों की मांगें--
गृह-कार्य मंत्रालय ४००७--४३
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ४०४३--४९

दैनिक संक्षेपिका ४०५०--५३

अंक २७—बुधवार, २१ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १००५ से १००८, १०१०, १०१०-क, १०११, १०१३, १०१६, १०१८, १०१९ और १०२१ से १०२६ ४०५५—७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४, १००९, १०१२, १०१५, १०१७, १०२७ से १०३३ और १०३५ से १०४२ ४०७८—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५९ से ७८५ ४०८६—९८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४०९८—९९

राज्य-सभा से सन्देश ४०९९

निरसक और संशोधक विधेयक—

राज्य सभा द्वारा परित रूप में सभा पटल पर रखा गया ४०९९

अनुदानों की मांगें—

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४१००—४८

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४१४९—५२

दैनिक संक्षेपिका ४१५३—५५

अंक २८—गुरुवार, २२ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०४३ से १०४६, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६१, १०६३, १०६५, १०६६ और १०६८ से १०७० ४१५७—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८ ४१८२—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४९, १०५३, १०५५, १०५८, १०५९ १०६२, १०६४, १०६७, १०७१, १०७२, १०७२-क और १०७३ से १०८४ ४१८७—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८६ से ८२६ ४१९५—४२११

सदस्य की गिरफ्तारी ४२११—१२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पांचवा प्रतिवेदन ४२१२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन पर की गई कार्यवाही । ४२१३

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें--

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२१३--९७

सदस्य की रिहाई . ४२५२

दैनिक संक्षेपिका . . ४२६८--७१

अंक २९--शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०८९, १०९१ से १०९७, १०९९, ११०१ से ११०५, ११०८ और ११०९ ४२७३--९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९०, १०९८, ११००, ११०६, ११०७ और १११० से ११२० . . . ४२९७--४३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२७ से ८३८, ८४० से ८५६ और ८५८ से ८९३ . . . . . ४३०३--१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१७--१८

राज्य-सभा से सन्देश ४३१८

वित्त (संख्या २) विधेयक के सम्बन्ध में याचिका . . ४३१८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुर:स्थापित किया गया. ४३१८--१९

अनुदानों की मांगें--

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . ४३१९--३२

वित्त मंत्रालय ४३३३--५४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पांचवा प्रतिवेदन . . . ४३५४

साधू तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक--वापस लिया गया . . ४३५४--७२

संविधान (संशोधन) विधेयक--

विचार के लिये प्रस्ताव--असमाप्त ४३७४--७५

कार्य मंत्रणा समिति--

सातवां प्रतिवेदन . . ४३७५

दैनिक संक्षेपिका ४३७६--७९

अंक ३०--शनिवार, २४ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२१ से ११२४, ११२६, ११२७, ११३०, ११३३ से ११३८ और ११४२ से ११४६ . ४३१८--४४०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . ४४०६--०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११२९, ११३१. ११३२, ११३९ से ११४१, ११४७ से ११४९ और ११५१ से ११५६ ४४०८--१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८७३ . ४४१४--१९

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण	४४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४४१९--२०
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में याचिका .	४४२०--२१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रैस की दुर्घटना	४४२१--२२
कार्य मंत्रणा समिति--- सातवां प्रतिवेदन	४४२२
सभा का कार्य— .	४४२२
अनुदानों की मांगें— वित्त मंत्रालय	४४२२--६५
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५७—	
पुरःस्थापित	४४६६--६९
विचार करने का प्रस्ताव	४४६६
पारित करने का प्रस्ताव .	४४६९
गुना-उज्जैन रेल-सम्पर्क के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	४४६९--७२
दैनिक संक्षेपिका	४४७३--७९

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शनिवार, २४ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुराने किले के निवासी

†*११२१. { श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री ३०, मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराना किला, दिल्ली के निवासियों को दूसरे स्थान पर बसाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उन्हें किस बस्ती में बसाया जा रहा है ?

†पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) लगभग ६८० परिवारों में से १२७ परिवारों ने वैकल्पिक पुनर्वास बस्तियों में जाना स्वीकार किया है और वस्तुतः वे वहां चले भी गये हैं। शेष में से १०० परिवारों ने हाल ही में लाजपतनगर के सस्ते क्वार्टरों में जाने की रजामन्दी जाहिर की है। उन्हें क्वार्टर आवंटित तो कर दिये गये हैं, परन्तु वे अभी वहां गये नहीं हैं।

(ख) लाजपतनगर, कालका जी और मालवीयनगर की पुनर्वास बस्तियां।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि जो परिवार उन बस्तियों में गये हैं, वे सरकारी कर्मचारियों के परिवार हैं ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे खेद है कि मेरे पास उनके अलग अलग ब्योरे नहीं हैं। मेरे लिये भी विस्थापित व्यक्ति हैं।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या जंगपुरा के पीछे वाली भूमि पुराने किले के शरणार्थियों की सम्पत्ति से नहीं चुनी गयी थी, और यदि हां तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहरचन्द खन्ना : प्रश्न के पहले भाग के संबंध में तो मेरा उत्तर नकारात्मक है, परन्तु फिर भी मैं स्थिति को ज़रा विस्तार से समझाता हूं। पुराने किले में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई वैकल्पिक स्थान खोजने का हम पूरा पूरा प्रयत्न करते रहे हैं। निवासियों द्वारा सुझाये गये स्थानों में से एक स्थान जंगपुरा के पास था। वह भूमि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकार में है और वह सामरिक महत्व के कारणों से प्राप्त नहीं की जा सकती।

†श्री स० म० बनर्जी : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि उन्हें लाजपतनगर में कुछ एक क्वार्टर आवंटित किये गये हैं और लगभग १०० परिवार वहां चले जायेंगे। क्या लाजपतनगर वाला यह सुझाव उन संबंधित व्यक्तियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और क्या सरकार भी इस बात से कुछ सहमत हो गयी है कि उन्हें लाजपतनगर न भेजा जाये, क्योंकि वह बस्ती उन स्थानों से दूर है जहां पर वे इस समय अपना व्यवसाय चला रहे हैं ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह उनकी सम्मति के विरुद्ध था या नहीं ? वे शहर के निकट रहते थे जहां वे अपना व्यवसाय चला रहे थे। यह नयी बस्ती कुछ दूर है और इसीलिये उन्होंने अभ्यावेदन किया था और सरकार भी उनसे एक प्रकार से सहमत हो गयी थी। क्या यह सच है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने यह कहा है कि १२७ परिवार तो वहां चले भी गये हैं। शेष लोगों के लिये वैकल्पिक स्थान प्रस्तुत किया गया था और १०० अन्य परिवारों ने भी उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। उनके लिये क्वार्टर तो आवंटित कर दिये गये हैं, परन्तु वे अभी वहां गये नहीं हैं। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मेरा उत्तर यह है कि लाजपतनगर पुराने किले से अधिक दूर नहीं है, यह तो पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बसायी गयी बस्तियों में से सब से बड़ी बस्ती है जिसमें बिजली, पानी, स्कूल, हस्तपताल, तथा अन्य सुविधायों के संबंध में पूरी पूरी व्यवस्था है।

†श्री वाजपेयी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुराने किले के निवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का उस क्षेत्र से घनिष्ट संबंध है, क्या उन्हें उस स्थान से हटाना उन्हें फिर से विस्थापित करने के समान न होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के तर्कों की अनुमति नहीं दे सकता। ये सभी स्थान अस्थायी रूप से बनाये गये हैं। उन्हें पुराने किले में रखा गया है जहां पर रहना वे सुविधाजनक समझते हैं। क्या वे वहां पर सदा के लिये रहेंगे यह प्रश्न तो केवल तर्क वितर्क का ही मामला है। अगला प्रश्न।

'पोजोलोन' सीमेन्ट[1] का निर्माण

†*११२२. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पोजोलोन' सीमेंट के निर्माण के लिये स्थापित किये गये कारखाने के स्वामी भारतीय हैं या विदेशी ;

(ख) क्या भाखड़ा बांध के किसी भाग के निर्माण में 'पोजोलोन' सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है ; और

(ग) इसकी निर्माण लागत कितनी है और सीमेन्ट की उत्पादन लागत की तुलना में यह कैसा है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] 'Pozzolon' Cement.

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस कारखाने पर भारतीय स्वामित्व है और यह भाखड़ा नांगल परियोजना प्राधिकार मंडल द्वारा स्थापित किया गया है ;

(ख) जी, हां ।

(ग) पोजोलोन के उत्पादन पर ६५ रुपये प्रति टन लागत आती है, जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना में इस्तेमाल होने वाला खुला सीमेंट ९३ रुपये प्रति टन की कीमत पर उपलब्ध होता है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या भारतीय मानक संस्था[२] ने इस उत्पादन का परीक्षण किया है और इसे भारतीय जलवायु के अनुकूल पाया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह भारतीय जलवायु के पूर्णरुपेण अनुकूल है । अभी शुरू में तो इसमें १० प्रतिशत मिलावट की जा रही है । परन्तु उनका विचार इस मिलावट को २० प्रतिशत तक बढ़ा देने का है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या भाखड़ा नांगल में उत्पादित 'पोजोलोन' केवल वहीं के निर्माण के लिये इस्तेमाल होगा या कि उसे देश के अन्य भागों में भी भेजा जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तो भाखड़ा नांगल बांध के लिये भी अपर्याप्त है । अतः उसे अन्य स्थानों पर भेजने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या इस पर सीमेंट की अपेक्षा कम लागत आती है, और यदि हां, तो सरकार भाखड़ा नांगल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध इस 'शेल' का पूरा पूरा उपयोग करने के बारे में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक वहां पर उपलब्ध 'शेल' (एक प्रकार का पत्थर जो सहज ही परतों में टूट सकता है) का संबंध है, वहां का कारखाना प्रतिदिन केवल १०० टन का ही उत्पादन करता है, और उससे केवल वहां की स्थानीय आवश्यकतायें ही पूरी होंगी, परन्तु हमारा विचार है कि उसके प्रयोग के सफल सिद्ध हो जाने पर हम इसे देश के अन्य स्थानों में भी इस्तेमाल करेंगे ।

†श्री हेडा : क्या यह उत्पाद स्वयं ही प्रयोग में आता है या कि इसे सीमेंट मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, और यदि सीमेंट मिलाया जाता है तो उसका कितना अनुपात है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने कहा है अनुपात १० प्रतिशत है । इसे यथा समय २० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायेगा ।

किसानों के सम्बन्ध में प्रलेख चलचित्र

*११२३. श्री विभूति मिश्र : क्या सचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले किसानों के सांस्कृतिक जीवन के संबंध में प्रलेख चलचित्र तैयार करने के लिये वर्ष १९५७ के लिये कोई व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Indian Standards Institution.

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अगर मिनिस्ट्री आफ़ इन्फ़र्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) किसानों के सांस्कृतिक जीवन के लिये कुछ नहीं करती हैं, तो फिर इसका काम क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपने अपने मत की बात है ।

श्री विभूति मिश्र : जनाब स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मिनिस्ट्री आफ़ इन्फ़र्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग किसानों के सांस्कृतिक जीवन के लिये कुछ नहीं करती है तो इसका काम क्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि समस्त सुविधायें केवल मात्र शहरियों को ही प्राप्त न हों । देहाती जीवन भी दिखाया जाये ताकि शहरी लोग देहाती जीवन से लाभ उठा सकें और यदि वह जीवन खराब है तो वे उन देहातियों का उद्धार कर सकें । यही तो उद्देश्य है ।

†**डा० केसकर** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि हमने इस प्रकार का कोई चलचित्र तैयार नहीं किया है, तो भी लगभग एक तिहाई चलचित्रों में किसी न किसी रूप में देहाती जीवन ही दिखाया जाता है । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सुझाव देना चाहें तो मेरे लिये वह बड़े हर्ष का विषय होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उस सुझाव पर विचार भी करेंगे ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या कृषि गोष्ठियों के सम्मेलनों और भारत के विभिन्न भागों में मनाये जा रहे फसल काटने के उत्सवों के बारे में कोई प्रलेख चलचित्र तैयार किये गये हैं ?

†**डा० केसकर** : जहां तक कृषि गोष्ठियों[3] का संबंध है, उनके संबंध में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । इस बारे में अभी तक कोई चलचित्र तैयार नहीं किया गया है । जहां तक फसल की कटाई संबंधी त्यौहारों[4] का संबंध है, यदि मुझे ठीक ठीक स्मरण है तो एक दो बार उनके बारे में समाचार चलचित्र तैयार किये गये थे, परन्तु उस विषय पर चलचित्र तैयार करने के बारे में अभी तक नियमित रूप से कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या उन विषयों पर, जिनका मैंने उल्लेख किया है, प्रलेख चलचित्र तैयार करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†**श्री रंगा** : कृषि सम्मेलनों की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानकारी मांग सकते हैं कि क्या इस प्रकार के चलचित्र तैयार किये गये हैं या नहीं । मंत्री महोदय ने बताया है कि इस संबंध में केवल समाचार चलचित्र तैयार किये गये हैं । माननीय सदस्य तो केवल एक सुझाव दे रहे हैं ।

श्री रंगा : क्या मंत्री जी ने या उनके किसी अन्य पदाधिकारी ने इस समय दिल्ली में दिखाया जा रहा 'नया दौर' नामक चलचित्र देखा है जिसमें पंजाब के ग्राम्य सांस्कृतिक जीवन की अत्यन्त सुन्दर झांकी दिखायी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[3]farmers forum.

[4]Harvest festival.

†डा० केसकर : मैं निश्चय ही माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इस चलचित्र को देखूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : तब तो कोई अलग चलचित्र तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं। माननीय सदस्य तो मंत्री जी को मानो यह जवाब दे रहे हैं कि उन्हें अब नये चलचित्र तैयार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं।

†श्री रंगा : मैं तो विभिन्न राज्यों के संबंध में पूछ रहा हूं। इस चलचित्र में तो केवल एक ही राज्य के ग्राम्य जीवन की झांकी दिखायी गयी है।

निर्यात संवर्धन समिति[1]

†*११२८. { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। निर्यात संवर्धन समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को ३१ अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इस समिति या सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिये कोई निर्यात संबंधी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और यदि हां, तो वह लक्ष्य कितना है ?

†श्री कानूनगो : हम १००० करोड़ रुपयों के निर्यात के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह समिति इसके प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि उस कच्चे माल के आयात शुल्क पर कुछ छूट दी जाये, जोकि यहां पर सामान तैयार करने के लिये और फिर बाहर भेजने के लिये मंगाया जाता है ? क्या सरकार भी इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†श्री कानूनगो : सरकार ने कुछ एक वस्तुओं के बारे में निर्णय किया है जिनमें वह निर्यात किये गये सामान के विविध हिस्सों के आयात शुल्क में कुछ 'प्रत्याहृत'[2] देती है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार के सामने कोई ऐसी प्रस्थापना है जिससे "फॉरेन आर्बिट्रल कन्वेंशन एवार्ड" का, जो कि इस समय जनेवा अभिसमय के अधीन आता है, पुनर्नवीकरण किया जा सके। क्योंकि वह पंचात वर्तमान वाणिज्यिक प्रथाओं के कारण कालातीत हो चुक हैं, क्या सरकार पुराने अभिसमय के स्थान एक नया अभिसमय बनाने के लिये कोई नया सम्मेलन बुलाने का विचार रखती है ?

श्री कानूनगो : जनेवा अभिसमय का पुनरीक्षण करना आवश्यक समझा गया है और इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Export Promotion Council.

[2] Drawback.

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह पूछना चाहती थी कि क्या भारत सरकार कोई और सम्मेलन बुलाने का विचार रखती है ?

†श्री कानूनगो : इस प्रकार के सम्मेलन बुलाना भारत सरकार का काम नहीं है। यह काम तो सम्मेलन स्वयं करता है। उस सम्मेलन का सचिवालय ही इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाता है।

†श्री हेडा : क्या सरकार की यह इच्छा है कि यह समिति एक सम्पूर्ण एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे या कि केवल निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं या वस्तुओं के विभिन्न वर्गों के निर्यात के बारे में ही विचार प्रकट करे।

†श्री कानूनगो : इस प्रतिवेदन में यथासंभव समस्त वस्तुयें आ जायेंगी।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समय बहुत सी वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं। उदाहरणार्थ राज्य व्यापार निगम भी विदेशों को सीमेंट का निर्यात प्रारम्भ करने वाला है। क्योंकि सीमेंट के कारखाने देश के अन्दरुनी हिस्सों में स्थित हैं, क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे विभाग से बातचीत की है ताकि निर्यात की जा रही इन वस्तुओं के लिये राजकीय सहायता दी जा सके ?

†श्री कानूनगो : हम यह नहीं समझते कि समिति इस बारे में अपनी सिफारिशें देगी। हो सकता है कि वह सिफ़ारिशें दे और हो सकता है कि न दे।

सहकारी संस्थायें

†*११२६. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थाओं द्वारा कौन कौन से उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

†श्री मुरारका : विवरण से प्रकट होता है कि इन सहकारी संस्थाओं ने तीन बड़े-बड़े उद्योग—चीनी उद्योग, कातने वाली मिलें और नमक उद्योग—आरम्भ किये हैं। इन बड़े-बड़े उद्योगों को आरम्भ करने के लिये सरकार द्वारा इन सहकारी संस्थाओं को क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक सूती कपड़े का संबंध है, शेअर पूंजी के लिये भारत सरकार द्वारा १० लाख रुपये का ऋण दिया गया है और भारतीय वित्त निगम द्वारा ऋण स्वरूप ३० लाख से ४० लाख रुपये दिये जाते हैं। यह रुपया प्रत्येक सहकारी कताई एकक को दिया जाता है। चीनी के कारखोनों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था है।

†श्री मुरारका : क्या ज्वायंट स्टाक कम्पनी की तुलना में सहकारी समितियों को कर संबंधी कुछ रियायतें दी गई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। भारतीय पुर्त न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को छोड़कर अन्य सब पर कर संबंधी सामान्य कानून लागू होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : क्या इस बात के लिये अनर्थक प्रयत्न किया गया है कि चीनी के कारखानों के लिये आवश्यक मशीनें जहां तक संभव हो भारत में ही बनाई जायें ?

†श्री मनुभाई शाह : इन चीनी कारखानों को आरम्भ करने वाले व्यक्तियों को भारत में मशीनों के निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित करने और शेष हिस्से विदेशों से मंगाने में मदद की जाती है। हमने चीनी के कारखाने की सम्पूर्ण मशीनों के निर्माण के लिये १४ एककों को लायसेंस दिये हैं। अभी इन सबने कार्य आरम्भ नहीं किया है। इस अवधि में हम उन्हें यथासम्भव कम से कम मशीनें बाहर से मंगाने में उनकी सहायता का प्रयत्न कर रहे हैं।

†पण्डित द्वा० ना० तिवारी : सहकारी समितियां ईंट निर्माण के उद्योग में लगी हुई हैं। ईंट निर्माण का यह कार्य सहकारिता के आधार पर किस सहकारी समिति में किया जाता है तथा वहां किस किस्म की ईंटें बनती हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : भिन्न भिन्न उद्योगों के लिये अनेक सहकारी समितियां हैं। आधे दर्जन राज्यों में लगभग ११,००० समितियां हैं। और भी अनेक समितियां पंजीकृत की जा रही हैं। अतः यह कहना संभव नहीं होगा कि ईंटों की किस्म कैसी है ? किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे दूं कि सहकारी प्रांगण के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : क्या इन छोटे पैमाने के उद्योगों का संगटन करने वाली सहकारी समितियों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग वित्तीय सहायता दे रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पहले ही सब ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करता है। खादी निर्माण के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। अब तक यह कार्य केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं तक ही सीमित था।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार सहकारी समितियों द्वारा संचालित उद्योगों की किस्मों का विशिष्ट उल्लेख करेगी और उन उद्योगों को इस सैक्टर तक मर्यादित रखेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : विकेन्द्रित उद्योग क्षेत्र में अर्थात् छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, खादी और हथकरघा उद्योग के संबंध में हम अधिक से अधिक सहकारिता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। किन्हीं उद्योगों को सहकारी समितियों के लिये और अन्य उद्योगों को दूसरे क्षेत्र के लिये संरक्षित करने के संबंध में हमारे सामने कोई विषय विचाराधीन नहीं है। छोटे उद्योगों के संबंध में अधिकतम सहकारिता उत्पन्न करना हमारा लक्ष्य है।

†श्री मुरारका : इन राज्यों के क्या नाम हैं जहां औद्योगिक सहकारी समितियां सबसे अधिक उन्नति कर रही हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : औद्योगिक सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अच्छी उन्नति की है। मैं नहीं कह सकता कि किसी राज्य ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं किया है। किन्तु आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल और मद्रास ने भी औद्योगिक सहकारिता में पर्याप्त प्रगति की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†*११२७. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि सामुदायिक परियोजना प्रशासन को आवंटित राशि का ५० प्रतिशत भाग बोर्ड को दे दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव का क्या अभिप्राय है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और किसी प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न तो भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और न खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ही इसकी मांग की है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते हैं ।

†श्री श्रीनारायण दास : सामुदायिक विकास अधिकार और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में ग्राम उद्योगों के बारे में कोई समन्वय है ?

†श्री कानूनगो : जी हां, निरन्तर सहयोग और सहकारिता है ।

†श्री स० र० अरुमुगम : क्या खादी का कार्य खादी आयोग से लेकर अखिल-भारत सर्व सेवक संघ को देने का विचार सरकार के समक्ष है ? संघ ही यह कार्य आदर्शात्मक आधार पर कर रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा प्रस्ताव है । उन्हें सुझाव नहीं देना चाहिये । अप्रत्यक्ष रूप में वह पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा प्रस्ताव है और मंत्री महोदय नकारात्मक उत्तर देंगे ।

†श्री स० र० अरुमुगम : क्या खादी का काम खादी आयोग से लेकर अखिल भारत सर्व सेवक संघ के सुपुर्द करने का विचार है जो आदर्शात्मक आधार पर इसे कर रहा है ?

†श्री कानूनगो : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : क्या सरकार खादी आयोग का कार्य और सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के प्रभारी विस्तार अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना चाहती है ?

†श्री कानूनगो : इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दे दिया है । समन्वय स्थापित किया जा रहा है ।

सुधार कर*

†*११३०. श्री सूपकार : क्या योजना मंत्री १५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में सुधार-कर की प्रति एकड़ कितनी औसत दर निश्चित की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

*Betterment levy

(ख) प्रत्यक राज्य म कूल कितना वार्षिक कर संग्रह कर लिये जाने की संभावना है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]

†श्री सूपकार : इस विवरण से प्रकट है कि कृषि भूमि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की कीमत बहुत अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र में, भूमि की कीमत बढ़ने के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा क्या सरकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुधार कर लगाने का विचार रखती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नदी घाटी योजनाओं के संबंध में है।

†श्री सूपकार : केवल ऐसी बात नहीं है ।

†डा० राम सुभग सिंह : यह विभिन्न राज्यों में है।

†अध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न का संबंध किससे है ?

†श्री सूपकार : यह सुधार कर के बारे में है।

†अध्यक्ष महोदय : सामान्य स्थिति में सुधार कर ? इसका अर्थ है कि यदि एक नगर-पालिका को भी स्थापना हो गई तो सुधार कर लगना चाहिये ?

†श्री सूपकार : मेरा यही विचार है। बहुपरियोजनीय परियोजनाओं के बारे में तो मंत्री को उत्तर देना चाहिये। ये औद्योगिक क्षेत्रों में भी हैं।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक संभव हो मैं विषय को सुसंगत रखने का आग्रह करता हूं। क्या तारांकित प्रश्न संख्या १६ औद्योगिक सम्पदा के बारे में भी है अथवा सुधार कर के सामान्य प्रश्न से संबंधित है। अथवा क्या यह नदी घाटी परियोजनाओं तक ही सीमित है ?

†श्री सूपकार : जहां तक मुझे स्मरण है यह सामान्य सुधार कर के बारे में है।

†श्री श्या० नं० मिश्र : भूमि की कीमत में वृद्धि का निर्धारित करते समय इन सब बातों पर विचार किया जाता है।

†श्री सूपकार : यह प्रश्न नहीं है। जब औद्योगिक क्षेत्रों में उस सिंचित भूमि की अपेक्षा कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है जहां पर बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, इस स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की कीमत में वृद्धि के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†अध्यक्ष महोदय : यदि परियोजना वहां है तो सुधार कर लगता है। औद्योगिक क्षेत्र स्वयं अपने आप ही विकसित होता है। हम मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं।

†श्री सूपकार : जी, नहीं। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां बहुप्रयोजनीय परियोजना क्षेत्रों में उद्योग का विकास होना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : सुधार कर का विचार केवल सिंचित भूमि पर ही लागू होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी प्रतिक्रिया के प्रश्न पर तो कदापि विचार नहीं किया गया है और यह लागू नहीं होता है।

†श्री सूपकार : मेरा प्रश्न भली प्रकार नहीं समझा गया है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में यह बात लागू नहीं होती है। सुधार कर उस भूमि पर लगाया जाता है जो रुपया खर्च की गई परियोजनाओं से लाभान्वित हुई है। और इन क्षेत्रों की कीमत एकदम बढ़ जाने से रुपया वसूल करना पड़ता है।

†श्री सावन गुप्त : विवरण से पता चलता है कि आसाम, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा सरीखे राज्यों में सुधार कर समान दर पर लगाया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार इन दरों में अन्तर हो सकता है। क्या समान रूप से सुधार कर लगाने के पूर्व विधि में इस बात की आश्वस्ति के लिये कोई उपबन्ध है कि वहां वस्तुतः सुधार हुआ है अथवा क्या यह मान लिया जाता है कि सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है तो सुधार हो ही गया होगा और कर लगना ही चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : परियोजना आरम्भ करने के बाद कब तक प्रतीक्षा करना होगा ? क्या उपज की यथार्थ वृद्धि तक ?

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : तीन या चार वर्ष।

†अध्यक्ष महोदय : ये सब तर्क-वितर्क हैं।

†श्री सावन गुप्त : क्या यह पूछना तर्क है कि सुधार कर यथार्थ सुधार होने के बाद लगाया जाता है अथवा सुधार की पूर्वधारणा पर लगाया जाता है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : अनेक अवस्थाओं में युक्तिसंगत पूर्व धारणा पर ही ऐसा किया जाता है और ये धारणायें पूर्ण रूप धारण करती हैं। यह भी सही है कि राज्य सरकारें विधि धारण के पूर्व इस बात पर विचार कर लेती हैं कि परियोजनाओं से लाभ उद्भूत होंगे। यदि ऐसा न हो तो वे सुधार कर लगाने के लिये विधि अधिनियमन ही क्यों करेंगे।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यह कर केवल उन्हीं किसानों पर लगाया जाता है जिनकी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गई है ?

†श्री नंदा : वर्तमान तिथि और योजना पूरी होने के समय की तिथि के बीच बढ़ी हुई कीमत कर कुछ अनुपात ही इसका आधार है। इसके कुछ अनुपात पर ही विचार किया जाता है। सिंचाई का यथार्थ लाभ उस भूमि तक पहुंचने पर ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है और यदि भूमि में वस्तुतः कोई सुधार नहीं हुआ है तो किसी को सुधार कर नहीं देना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में]

†श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार ने इस सुधार कर को विपरीत गति में लागू करने की बुद्धिमत्ता पर विचार किया है ? आजकल उन क्षेत्रों में सुधार कर लगाया जाता है जो बहुप्रयोज-परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुये है किन्तु क्या सरकार इसे उन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने का विचार रखती है जहां उद्योग-धंधे तो खुल जाते हैं परन्तु समीपवर्ती क्षेत्र को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसी दशा में वे उन क्षेत्रों पर सुधार कर लगायेंगे जहां उद्योग धंधे हैं।

†श्री नन्दा : कुछ नगरीय क्षेत्रों के लिये नगर विकास योजनायें भी हैं।

†श्री रंगा : क्या अखिल भारतीय पैमाने पर कोई योजना है ?

†श्री नन्दा : अखिल भारतीय स्तर पर नहीं किन्तु कई स्थानों के लिये है।

†अध्यक्ष महोदय : इसका लाभ केन्द्र को नहीं मिल सकता है। नदी घाटी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की जाती हैं अथवा स्थानीय सरकारें उसे करती हैं। यह उन्हें मिल जाता है। शेष नगरपालिकाओं को मिलेगा।

†श्री याज्ञिक : क्या राज्य सरकारों को सुधार कर विनियमित करने, घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार है और क्या सिंचाई परियोजनाओं को यथार्थ लाभ होने के पूर्व ही करारोपण की दरों के विरुद्ध देश के कई भागों में किसानों के आंदोलनों के परिणामस्वरूप उन्हें इसमें कुछ कमी करने के लिये विवश होना पड़ा है।

†श्री नन्दा : यह उस क्षेत्र के विधान की शर्तों पर निर्भर है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार सब राज्यों में समान सुधार-कर निर्धारित कर इसे उचित रूप से कम करने का विचार रखती है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसे सब राज्यों में समान रूप से नहीं किया जा सकता है।

†श्री रंगा : क्या इस प्रश्न का परीक्षण किया जायेगा ? क्या देश के विभिन्न भागों में समान सुधार कर लगाने की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा ?

†श्री नंदा : अखिल भारतीय दृष्टि से सुधार कर के प्रश्न, उसके सिद्धांत पद्धतियों आदि पर विचार किया जाता है। एक निश्चित नियम ढूंढने के लिये इस पर योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में भी विचार किया गया था। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि समरुपता प्राप्त हो गई है अथवा पूर्णरुपेण प्राप्त हो जायेगी प्रत्युत एक समान दृष्टिकोण के लिये कुछ प्रयत्न किये गये हैं।

†श्री सूपकार : क्या सुधार कर की सालाना किश्त और जमीन से वसूल किये जाने वाले लगान में परस्पर कोई संबंध है ?

†श्री नन्दा दो विभिन्न आधार हैं। एक समूचे उत्पाद की कुल कीमत में वृद्धि से सम्बंधित है। दोनों में एक अनुपात स्थापित कर दिया जाता है। दूसरी पद्धति जमीन की कीमत की कुल पूंजीगत मूल्य में वृद्धि है।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्यम

+

†*११३३. { श्री जगन्नाथ राव
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमेरिकी व्यापारी श्री विलियम ग्राहम ने भारत में पांच छोटे पैमाने के उद्यम प्रारम्भ करने के लिये २५ हजार डालर देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) उसके संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ;

(ग) क्या यह प्रस्ताव किसी नवयुवक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योग प्रारम्भ किये जायेंगे ; और

(ङ) क्या सरकार श्री विलियम को प्रथम पांच वर्षों की अवधि के लिये कोई आयकर संबंधी रियायतें देने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जब श्री विलियम ग्राहम की छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त के साथ खोज वार्ता हुई थी तो उन्होंने छोटे पैमाने के ५ उद्यमों के लिये ५००० डालर प्रति उद्यम के हिसाब से कुल २५००० डालर देने का प्रस्ताव किया था। सरकार को श्री ग्राहम से कोई ठोस और विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह सज्जन भारतीय उद्यमियों को यह धन किन शर्तों और निबन्धनों पर देने जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैंने (ख) (ग) और (घ) के उत्तर में बताया अभी तक कोई शर्तें न तैयार की गई हैं और न उनका प्रस्ताव ही किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह २५००० डालर ही तो हैं। हम हजारों करोड़ खर्च करेंगे। इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इस तरह तो कोई भी व्यक्ति दस रुपए या ऐसी ही कोई राशि उपहार के रूप में देने का प्रस्ताव कर सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : श्री ग्राहम को गैर सरकारी पक्षों के साथ बिना सरकार की जानकारी के बात-चीत कैसे करने दी गई ?

श्री मनुभाई शाह : उन्होंने न तो गैर-सरकारी पक्षों से बातचीत की है और न सरकार की बिना जानकारी के. जैसा कि मैंने कहा, उनकी छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त के साथ में भेंट हुई थी। किसी प्रकार का कोई करार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत साधारण सा मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नेपा न्यूजप्रिन्ट फैक्टरी

†*११३४. { श्री आसर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २१ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्टरी का उत्पादन १०० टन प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस नेपा कारखाने की कटिंग मशीन की दैनिक सामर्थ्य कितनी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). कारखाना अभी तक १०० टन प्रतिदिन की क्षमता सामर्थ्य[6] नहीं पहुंचा है क्योंकि संयंत्र में कुछ हेर फेर किया जाना अभी बाकी है ।

(ग) ३ से ५ टन प्रतिदिन ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या कम्पनी का यह नुकसान दोषपूर्ण प्रबन्ध के कारण नहीं हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह दोषपूर्ण प्रबन्ध का नहीं, वरन् दोषपूर्ण समायोजन का प्रश्न है । कारखाना अभी तक अपनी क्षमता-सामर्थ्य तक नहीं पहुंचा है क्योंकि कारखाने के एक या दो विभागों में कुछ अतिरिक्त संयंत्रों और उपकरनों की आवश्यकता है । उदाहरणतः एक संयंत्र सलाई लकड़ी की लुग्दी के श्वेतन[7] के लिए लगाया जाना है जो बिना श्वेतन के उतना चमकीला नहीं होता जितना आयात किया गया अखबारी कागज होता है । इस तरह बांस की लुग्दी बनाने की सामर्थ्य कारखाने के अन्य विभागों की तुलना में अपर्याप्त है और उसकी वृद्धि की जा रही है ।

†श्री आसर : क्या यह सच है कि कताई के लिए बाहरी अभिकरणों से ठेके आ रहे हैं, और यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : कारखाने में कटाई की सामर्थ्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक है ।

†श्री वि० च० शुक्ल : १०० टन प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की मूल तारीख क्या थी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसा कि लोक सभा को ज्ञात है यह कारखाना वास्तव में १९४७ में चालू किया गया था । इसलिए उस समय न तो यह योजना थी और न कोई लक्ष्य अथवा वैसी कोई अन्य चीज़ । सामान्यतः कारखाने को क्षमता सामर्थ्य ४ वर्षों के समय में प्राप्त कर लेनी चाहिए थी । दुर्भाग्यवश, अनेक कारणों से वह पूर्ण उत्पादन पर नहीं पहुंच सका ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस कारखाने को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह समय समय पर भिन्न भिन्न है; कभी १५ लाख रुपए है और कभी ५ लाख रुपए है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[6] Rated Capacity

[7] Bleaching

†श्री रंगा : क्या सरकार ने इस बात की जांच करने या पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि कारखाने के आवश्यक उपकरण प्राप्त करने अथवा उचित उत्पादन पर पहुंचने में असफल रहने में कौन कौन से प्राविधिक पदाधिकारी जिम्मेदार हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं उस गलतफहमी को दूर करने देना चाहता हूं जो कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राविधिक उपकरण ही अनिवार्यतः खराब हैं। प्रारम्भ से ही वित्तीय प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने उसमें तीन साल पहले ही हाथ डाला क्योंकि बहुत सा ऋण दिया गया था। अब, व्यवहारतः, समस्त नियंत्रण हमारे हाथों में है और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले लोकसभा में कहा था हम अगले ६ महीनों में वास्तविक क्षमता-सामर्थ्य प्राप्त कर लेने की आशा करते हैं।

†श्री रंगा : इन तीन वर्षों की अवधि में भी, जिसमें केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में रुचि ली है, ऐसा क्यों है कि कुछ मशीनें उपलब्ध नहीं हैं और सामर्थ्य प्राप्त नहीं की जा सकी है ?

†श्री मनुभाई शाह : मेरे माननीय सहयोगी का तात्पर्य वास्तव में यह था कि संयंत्रों में इतनी कमियां थीं कि ९५ से १०० टन तक प्रतिदिन उत्पादन नहीं हो सकता था। बायलर का एक हैडर[10] टट गया था। ऐसा केवल इस कारखाने में ही नहीं हुआ है वरन् अन्य गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के कारखानों में भी ऐसा हो जाता है। हमने तुरन्त ही सभरण करने वालों से कुछ व्यक्तियों को इंगलैण्ड व अन्य देशों को हवाई जहाज से भेजने के लिए कहा है और स्थानीय व्यक्तियों से भी इन हैड ों के बनाने के लिए बातचीत की है : में सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसको बहुत शीघ्र ठीक कर दिया जायगा और हम ६५ टन की पहली सामर्थ्य प्राप्त करने की आशा करते हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस कारखाने में तैयार किया जाने वाला अखबारी कागज राज्य-सहायता प्राप्त दरों[11] पर बेचा जाता है ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, श्रीमान्।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : कारखाने की अपने प्रादुर्भाव के समय से अब तक कुल कितनी क्षति हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य १९४७ से, जब कारखाना चालू किया गया था, आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं निश्चय ही सभा के समक्ष रखूंगा।

†श्री पट्टाभिरामन् : क्या यह सरकार कनाडा सरकार की वनरोपण नीति का अनुसरण करेगी क्योंकि इतने अधिक पेड़ काटे जाते हैं और क्या वनरोपण की कोई समन्वय नीति होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न ही नहीं होता। वनरोपण सरकार की एक प्रमुख नीति है।

निष्क्राम्य सम्पत्ति

†*११३५. श्री कोडियान : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक पीड़ित संघ[12] लश्कर (म० प्र०) से कोई स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Header

[11]Subsidised rate

[12]Custodian of Evacuce Property Sufferesr' Association

(ख) यदि हां, तो उनकी व्यथायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उनकी व्यथाओं के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतों सामान्यतः सम्पत्ति के निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किए जाने, सम्पत्ति के वापस मिलने में देर और मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि अभिरक्षक का विभाग भ्रष्ट है।

(ग) यदि कोई सम्पत्ति गलती से निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित कर दी गई हो तो सम्बन्धित मालिक को चाहिए कि वह निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम में उपबन्ध किए गए तरीके से अपील पुनरीक्षण की कार्यवाही करे। पुनःस्थापन और अन्य न्यायिक मामलों के निपटारे में विलम्ब से सम्बन्धित शिकायतें निराधार हैं। जबकि भूतपूर्व मध्य भारत में १ अक्तूबर, १९५५ को लगभग १९०० मामले थे, इस समय केवल एक दर्जन न्यायिक मामले निपटारे के लिये बचे हैं। भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत इतनी सामान्य है कि उसके सम्बन्ध में जांच करना अनावश्यक है।

†श्री कोडियान : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के निष्क्रान्त संग्रह के प्रभारी अभिरक्षक को उन सम्पत्तियों को उनके सही मालिकों को वापस दिलाने का निर्देश करने के पश्चात् भी जो अनिष्क्राम्य सम्पत्तियां घोषित कर दी गई थीं, क्या कुछ मकानों का नीलाम किया गया था और उन्हें मालिकों को भाड़े के आधार पर भाड़े पर उठाया गया था ? केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध इस कार्यवाही का क्या कारण है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†अध्यक्ष महोदय : इसके बावजूद भी कि केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय अभिरक्षक अथवा जो कोई भी उन सम्पत्तियों का प्रभारी था उसको उन सम्पत्तियों के मालिकों को वापिस कर देने की हिदायतें जारी की थीं, उसने उन्हें मालिकों को भाड़े पर उठाया और उन्हें नीलामी में भी रख दिया। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं क्या ऐसा नहीं है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : यदि कोई मामला मेरी जानकारी में लाया जाय तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा। प्रक्रिया यह है। जब कोई सम्पत्ति निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति को चाहिए कि वह उचित प्राधिकारी से महा-अभिरक्षक तक अपील करे और यदि वह सन्तुष्ट न हो तो वह सरकार के पास जा सकता है और धारा १६ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दे सकता है। निर्णय किए जाने के पश्चात् ही .....

†अध्यक्ष महोदय : ये सब क्रम समाप्त हो चुके हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने हिदायतें जारी की थीं कि वे सम्पत्तियां सही मालिकों को हस्तगत कर दी जायें। उस आदेश के बावजूद भी स्थानीय सज्जनों ने उस सम्पत्ति का आम नीलाम में निपटारा कर दिया और उन्हें पट्टों पर भी दिया।

†श्री मेहरचन्द खन्ना : वह उस समय से पहले हुआ होगा .....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा कि यदि कोई खास मामला उनके सामने लाया जाय तो वह उसकी जांच करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : परन्तु, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। अर्थात् धारा १६ के अन्तर्गत वापस दिलाए जाने का आदेश जैसे ही दे दिया गया फिर उसके बाद नीलामी का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता क्योंकि वह सम्पत्ति सरकार के संग्रह से बाहर चली जाती है। वह सम्बन्धित व्यक्ति को हस्तगत की जानी होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि मंत्री जी ने कहा, यदि ऐसा कोई मामला हो तो वह माननीय मंत्री की जानकारी में लाया जाय।

कागज की मिलें

†*११३६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की मिलों ने अपनी विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये संयंत्र और मशीनों की आवश्यकतायें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां तो, उन की आवश्यकतायें किस प्रकार की हैं और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) आवश्यकतायें सामान्यत: कागज के सम्पूर्ण संयंत्रों की हैं जिसमें सोड़ा रिकवरी प्लान्ट[१३] भी सम्मिलित है और विस्तार तथा नए उपक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान ३६७५ लाख रुपए किया जाता है।

(ग) सामान्यत: आयात लाइसेंस उन पक्षों को जारी किये जाते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई लाइनों पर अस्थगित भुगतान[१४] शर्तों का प्रबन्ध करते हैं। ११९८.१४ लाख पए के मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : ये संयंत्र और मशीनें किन देशों से आयात की जानी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विभिन्न लाइसेंसधारियों ने विभिन्न देशों से मशीनें प्राप्त करने की बातचीत की है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या अपने देश में इन संयंत्रों और मशीनों का निर्माण किये जाने के कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री भनुभाई शाह)** : कागज की मशीनों के कुछ भाग इस देश में बनाए जाते हैं परन्तु यह एक ऐसी लाइन है जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दूसरी योजना के लिए इस कागज विस्तार योजना का कुल क्या लक्ष्य है और समस्त विस्तार कार्यक्रम में कितनी लागत लगने का अनुमान है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त के लिए ४,५०,००० टन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। मैंने लागत के सम्बन्ध में कुछ अनुमान मुख्य प्रश्न के उत्तर में दे दिया है। जितनी सामर्थ्य के लिए नए लाइसेंस दिए गए हैं उसके लिए कुल ३६.७५ लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१३]. Soda Recovery Plant

[१४]. Deferred Payment

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने कुल लागत के सम्बन्ध में पूछा था केवल विदेशी मुद्रा नहीं।

†श्री मनुभाई शाह : विदेशी भाग सामान्यतः ५५ से ६० प्रतिशत तक है। उसका सरलता से आकलन किया जा सकता है। चूंकि हम यह पक्की तरह से नहीं कह सकते कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति कितना खर्च करेगा इसलिये हम केवल उसके केवल विदेशी मुद्रा भाग का ध्यान रखते हैं।

†श्री हेडा : माननीय मन्त्री ने कहा है कि हम दूसरी योजना अवधि के अन्त तक ४.५ लाख टन उत्पादन करने लगेंगे। उस समय हमारी अनुमानित आवश्यकता क्या होगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कुल आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। हमारी कुल आवश्यकताओं, अखबारी कागज के अतिरिक्त ३.५ लाख टन होंगी जिनके लिये कम से कम ४.५ लाख टन क्षमता सामर्थ्य का उपबन्ध करना है।

†श्री बसुमतारी : क्या आसाम सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की कई है, और यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : आसाम से एक लुग्दी और कागज संयंत्र की स्थापना की एक योजना आई है।

†श्री शंकरय्या : कागज की कमी और बाहर से मशीनें प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए सरकार द्वारा इस बात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जिन मिलों के पास मशीनें और क्षमता सामर्थ्य हैं उनमें उत्पादन चालू किया जाये ?

†श्री सतीश चन्द्र : बहुत से लाइसेंस जारी किए गए हैं। अनेक मामलों में संस्थापित सामर्थ्य का विस्तार करने का विचार है। केवल थोड़ी ही मिलें सर्वथा नई होंगी।

†श्री शंकरय्या : मेरा प्रश्न उन मिलों के सम्बन्ध में है जिनके पास मशीनें हैं किन्तु जिनमें उत्पादन नहीं हो रहा है।

†श्री मनुभाई शाह : सम्भवतः एक या दो को छोड़कर, जिनमें क्षमता सामर्थ्य नहीं प्राप्त की गई है, ऐसी कोई मिल नहीं है। यह अर्थ लगाना गलत होगा कि बहुत सी मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। (अन्तर्बाधायें)

†श्री शंकरय्या : मैसूर कावेरी पेपर मिल्स समापन के अन्तर्गत है और उसके पास मशीनें हैं। इस बात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसी मिलों को चालू रखा जाय ? मेरा प्रश्न यह है।

†श्री मनुभाई शाह : इसीलिए मैंने कहा था कि एक या दो मिलों को छोड़कर। एक मैसूर थी और दूसरी आन्ध्र।

†अध्यक्ष महोदय : वह मैसूर के सम्बन्ध में बता कर बात खत्म कर देते। उन्होंने आन्ध्र की बात क्यों की ? श्री भक्त दर्शन।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस सम्बन्ध में ३६७५ लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, जिससे नई मिलें भी चलाई जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन मिलों के लिए इसकी आवश्यकता होगी, यानी ये नई मिलें कहां कहां स्थापित होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : १ उत्तर प्रदेश में, २ उड़ीसा में, २ मैसूर में, १ मद्रास में, १ पश्चिमी बंगाल में, २ मध्य प्रदेश में, १ आसाम में, १ बिहार में और २ बम्बई में।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या नेपा मिल्स में क्षमता सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण उत्पादन हो रहा है और क्या गत वर्ष के सन्तुलन पत्र में हानि रही है या लाभ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सम्भवतः माननीय सदस्य उस समय अनुपस्थित थे जब बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे।

केरल में चाय-बागानों के मालिक

*†११३७. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के छोटे चाय बागानों के मालिकों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या इस ज्ञापन में दी गई शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मुख्य शिकायतें इन बागानों में फसलों के अनुमान का आधार निश्चत करने और निर्यात कोटा जारी करने के बारे में थीं। चाय-बोर्ड ने उसके बाद से फसल के अनुमान के आधार को निर्धारित करने और निर्यात का कोटा जारी करने में शीघ्रता करने का तरीका निकाल लिया है।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या पंजीयन के लिये छोटे बागाना मालिकों के आवेदन स्वीकार कर लिये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि फसल का अनुमान लगाने का आधार निश्चित किया जा चुका है और निर्यात कोटे जारी कर दिये गये हैं।

गन्ने की खोई से अखबारी कागज का तैयार किया जाना

\+

*११३८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री राम शंकर लाल :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २१ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गन्ने की खोई से अखबारी कागज तैयार करने के बारे में जर्मनी व इटली के विशेषज्ञ दलों ने क्या इस बीच अपने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की एक स्थूल रूपरेखा सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). हालांकि इटली के विशेषज्ञों से अभी रिपोर्ट नहीं मिली है; फिर भी, जैसा कि मैंने पहले बताया था जर्मन फर्म ने शंकर नगर में तीस हज़ार टन अखबारी कागज हर साल तैयार करने के लिए "ए—जैड" प्रौसेस (विधि) अपनाने की सिफारिश की है जिसका पेटेन्ट उसके पास है। यह अखबारी कागज वहां के चीनी कारखाने से मिलने वाले गन्ने के बगास से बनाया जाएगा। इस योजना की कामयाबी मशीनें और सामान लेने के लिए मुनासिब शर्तों पर फ़ारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रायें) मिलने पर निर्भर है, जिसके लिये अभी बातचीत चल रही है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि लगभग एक वर्ष बीत जाने पर भी इटली के विशेषज्ञों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। मैं यह जानना चाहता हुं कि इस काम में क्या अड़चनें पड़ी हैं, जिन की वजह से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी जा सकी है।

श्री मनुभाई शाह : वे लोग कुछ तजुर्बे करना चाहते थे, लेकिन आजकल हम तो जर्मन ए-जेड प्रासेस पर ही चल रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जर्मन विशेषज्ञों ने भारत के बारह स्थानों का भ्रमण किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन स्थानों में से शकरनगर को ही क्यों छांटा गया है और क्या और स्थानों के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

श्री मनुभाई शाह: मेरे कलीग (सहयोगी) ने बताया है कि बारह जगहों में से सब जगहों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई है और क्योंकि शकरनगर में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की शूगर फैक्टरी है और वहां पर जितनी चाहे वगास मिल सकती है, इस लिये उस जगह को पसन्द किया गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार यह बता सकती है कि गन्ने की खोई और लकड़ी की लुगदी से अखबारी कागज बनाने का उत्पादन लागत कितनी पड़ती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी यह बता सकना बहुत कठिन है कि उत्पादन लागत कितनी होगी। यह एक नया आविष्कार है जो पिछले ही वर्ष हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है बांस या लकड़ी अथवा अन्य कच्चे माल की अपेक्षा गन्ने की खोई का परिष्करण ज्यादा आसान है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : लाभकारी ढंग से उत्पादन करने वाले कारखाने की न्यूनतम उत्पादन-क्षमता कितनी होगी और इस के लिये कितनी गन्ने की खोई की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १०० टन का उत्पादन करने वाले कारखाने को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कहा जा सकता है। इसका अनुपात १:२.४ का है। ३०,००० टन अखबारी कागज के लिये लगभग ७२,००० टन सूखी गन्ने की खोई की आवश्यकता पड़ेगी।

त० ब० विट्ठल राव : जर्मन विशेषज्ञों के साथ अब तो यह वार्ता काफी दिनों से चल रही है। इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं अपने उत्तर के अन्तिम भाग में बता चुका हूं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि हमें कितनी विदेशी मुद्रायें और उधार के सम्बन्ध में कैसी शर्तें प्राप्त होती हैं। सही बात तो यह है कि, जहां तक प्रविधिक बातों, कारखाने की स्थापना और कच्चा माल मिलने के स्थान का सम्बन्ध है, उनसे हम सभी सन्तुष्ट हैं, वास्तव में तो उधार सम्बन्धी संभावनाओं और वित्तीय बातों की जांच करनी है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूरी हो जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : हमें आशा तो है।

†श्री विश्वनाथ राय : इस बात का निश्चय करने से पूर्व कि यह कारखाना किस स्थान पर खोला जायगा क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उत्तरी बिहार में गन्ने की खोई बहुतयात से पायी जाती है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह तो सर्व विदित है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†*११४२. श्री ब० स० मूर्ति : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किराज्यों में कृषि-मजदूरों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं हुए हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मद्रास और केरल।

†श्री ब० स० मूर्ति : आंध्र में कितने गांवों को इस अधिनियम के अधीन लाया गया है ?

†श्री आबिद अली : प्रतिवेदन में यह पूरी जानकारी दी हुई है। यह प्रतिवेदन छपे हुए रुप में पुस्तकालय में उपलब्ध है।

†श्री ब० स० मूर्ति : यह प्रतिवेदन तो दो वर्ष पुराना है।

†श्री आबिद अली : उसके बाद से अधिक कुछ नहीं हुआ है।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि अन्य राज्यों की तो बात ही क्या है, आंध्र प्रदेश और मद्रास तक के कुछ गांवों में खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है ?

†श्री आबिद अली : उस प्रतिवेदन में उन क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है जिनमें इस अधिनियम को लागू करना आवश्यक है। जो बात उसमें नहीं दी हुई है वह नहीं होती।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का कहीं यह तो तात्पर्य नहीं है कि प्रतिवेदन में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, उन तक में ऐसा नहीं किया जाता ?

†श्री रंगा : यही तो मैं कह रहा हूं। हमने इस अधिनियम को राज्य-भर में क्रियान्वित करने के लिये राज्य-सरकारों को कुछ समय दिया है। यह समय कई बार बढ़ाया जा चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद अधिकांश गांवों में आज तक इसे खेतिहर मजदूरों पर नहीं लागू किया गया है।

†श्री ब० स० मूर्ति : मैं भी यह बता दूं कि आंध्र में केवल १८ गांवों को इस अधिनियम के अधीन लाया गया है। २½ साल बीत चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं और आगे पूछना चाहता था लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि वह सब प्रतिवेदन में मिल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि जितने माननीय सदस्य यहां आते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों में यदि अधिक नहीं तो विधान-सभा के कम से कम पांच सदस्य तो अवश्य ही होते होंगे। उन्होंने क्या किया है ? सभी बातें इसी सभा में पूछी जाती हैं। स्थानीय सरकार काम नहीं करती, लेकिन मंत्री महोदय कैसे इस बात के लिये उत्तरदायी हो सकते हैं ?

†श्री रंगा : वे अपनी सेवायें प्रदान कर सकते हैं।

†श्री ब० स० मूर्ति : यह तो केन्द्रीय अधिनियम है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रशासन तो वे ही करते हैं।

†श्री आबिद अली : हम सम्बन्धित राज्य-सरकारों के पास यह सुझाव भेज देंगे।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या यह सच नहीं है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम केरल में इसलिये नहीं क्रियान्वित किया जा सका है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम में कुछ त्रुटि है और केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन किये बिना उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : अब अधिनियम में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। राज्य सभा में यह काम किया जा चुका है। अब वह इस सभा में आया है।

†श्री ब० स० मूर्ति : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, मंत्रालय इस न्यूनतम मजूरी अधिनियम को एक बार फिर संसद् के समक्ष ला रहा है, अब यह सुनिश्चित करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की जाने वाली है कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी राज्यों में क्रियान्वित कर दिये जायें।

श्री नन्दा : इसमें तो प्रश्न केवल इसी बात का है कि हम जो विभिन्न सम्मेलन बुलाते हैं उनमें चर्चा के लिये इस प्रश्न को उठा कर सम्बन्धित राज्य-सरकारों पर अपना नैतिक दबाव डालें, उन्हें समझायें और तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करें। हम केवल इतना ही कर सकते हैं, और यह हम करेंगे।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना[15]

†*११४३. श्री ज० रा० मेहता : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला और अभ्रक की खानों में काम करने वाले मजदूरों को राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लाभों से वंचित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर फिर से विचार करेगी ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) कोयला और अभ्रक की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की श्रम और रोजगार मंत्रालय की पृथक् योजना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री ज० रा० मेहता : कोयला और अभ्रक की खानों में काम करने वाले मजदूरों को इस योजना से क्यों नहीं लाभान्वित होने दिया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Subsidised Industrial Housing Scheme.

†श्री अनिल कु० चन्दा : क्योंकि उन मजदूरों के लाभ के लिये पहले से ही एक पृथक् योजना चल रही है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं एक औचित्य प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं । यह प्रश्न श्रम-मंत्रालय के पास जाना चाहिये था । क्योंकि श्रम मंत्रालय ही इन खानों के सम्बन्ध में गृह-निर्माण का प्रबन्ध करता है ।

†श्री अ० चं० गुह : यह निधि श्रम मंत्रालय के हाथ में है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के पास भेजा गया था और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है ।

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : औद्योगिक गृह-निर्माण योजना का प्रशासन निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के हाथ में है । प्रश्न यह है कि कोयला और अभ्रक की खानों में कार्य करने वाले मजदूरों को इस योजना में क्यों नहीं शामिल किया जाता और उत्तर है श्रम मन्त्रालय की अपनी पृथक् योजना है ।

†श्री अ० चं० गुह : केवल एक और गृह-निर्माण योजना ही नहीं, वरन मेरा तो ख्याल है कि अभ्रक-खान कल्याण निधि भी श्रम मंत्रालय के अधीन है ।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां, वह भी श्रम मंत्रालय के अधीन है ।

†अध्यक्ष महोदय: गृह-निर्माण का कार्य एक मंत्रालय के अधीन है और निधि दूसरे मंत्रालय के अधीन है ।

†श्री अ० चं० गुह : इन गृहों का निर्माण अभ्रक खान कल्याण निधि में से किया जाना है और यह निधि श्रम मंत्रालय के अधीन है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस बात पर विचार किया जायेगा । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

इंजीनियरिंग उद्योग का विकास

†*११४४. श्री स० म० बनर्जी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग उद्योग के विस्तार में क्या युद्ध-सामग्री कारखाना[16] का भी विस्तार किया जायेगा ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : जी, नहीं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में नहीं हैं ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि इन युद्ध-सामग्री कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग ४१½ करोड़ रुपयों का असैनिक उपयोग का सामान भी बनता है, और यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में हमारे उत्पादन की गति बढ़ाने के लिये इन कारखानों की फालतू उत्पादन क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Ordnance factories.

†श्री इया० नं० मिश्र: हालांकि यह प्रश्न मौजूदा योजना से सम्बन्धित तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि जिस हद तक यह सम्भव है उस हद तक किया भी जा रहा है।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के दबाव के कारण इन युद्ध-सामग्री कारखानों का विस्तार नहीं किया जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जहां तक सम्भव है यह किया जा रहा है।

†श्री स० म० बनर्जी : यह नहीं हो रहा है। युद्ध-सामग्री कारखानों के बारे में मुझे खुद भी जानकारी है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की धारणा कुछ और है।

†श्री स० म० बनर्जी : वे कहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र से दबाव आयेगा और वह होड़ करेगा। क्या गैर-सरकारी क्षेत्र से दबाव डाला गया है ?

†श्री इया० नं० मिश्र : गैर-सरकारी क्षेत्र चाहे कितना ही दबाव क्यों न डालें, वह सरकार को सही कार्य करने से विचलित नहीं कर सकता।

हथकरघे के वस्त्रों को विदेशों में बेचने की योजना

\+

†*११४५ { श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री थानू पिल्ले :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघे के वस्त्रों को विदेशों में बेचने की योजना को चलाने के १९५६–५७ में क्या परिणाम निकले हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†श्री सुब्बया अम्बलम्: इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि विदेशों में काम करने वाली डीपो घाटें में चल रही हैं, क्या सरकार एजेंसी प्रणाली को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार करेगी जैसा रंगून में किया जा रहा है ?

†श्री कानूनगो : इसका प्रयोजन किसी प्रतिष्ठान विशेष का लाभ कराना नहीं, वरन् कार्य को प्रोत्साहन देने का है।

†श्री रंगा : क्या सरकार को मद्रास के रूमालों के उत्पादन में दिलचस्पी रखने वालों का इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अपना माल बहुत से मध्यवर्त्तियों के जरिये भेजने के बजाय, जो लम्बे अर्से से उनका शोषण करते आ रहे हैं, घाना, नाइजीरिया और अन्य देशों को सीधे भेजने में समर्थ बनाने के लिये सरकार को उन्हें अपनी सेवायें प्रदान करनी चाहियें ?

†श्री कानूनगो : विभिन्न प्रकार के सुझाव आये हैं लेकिन एक बुनियादी तथ्य यह रह जाता है कि घाना और अन्य अफ्रीकी देशों की कपड़े पहनने की आदतें बदलती जा रही हैं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह योजना कब शुरू की गयी थी, और इसके आरम्भ होने के बाद से हथकरघे के वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो: यह योजना १९५४ के आस-पास आरम्भ की गयी थी, और मद्रास की एपेक्स सोसायटी इसकी देख रेख कर रही है। इन एजेंसियों के जरिये से जो बिक्री हुई है उनमें १९५५–५६ में वृद्धि हुई है और मुझे आशा है कि इनमें १९५६–५७ में भी वृद्धि होगी।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हमें आंकड़े दीजिये।

†श्री कानूनगो: जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहले बता चुका हूं, मेरे पास १९५६-५७ के आंकड़े नहीं हैं।

†श्री जीनचन्द्रन् : क्या सहकारी क्षेत्र से बाहर की हथकरघा मिलों को भी निर्यात के लिये कुछ सहायता दी जाती है ?

†श्री कानूनगो : जी, हां।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या राज्य-व्यापार निगम इस निर्यात का काम करता है ?

†श्री कानूनगो: यह इतना थोड़ा होता है कि राज्य-व्यापार निगम इसका कार्य नहीं कर सकता।

†श्री रंगा : सरकार कुछ करना क्यों नहीं चाहती और केवल यह कह कर ही क्यों सन्तुष्ट हो जाती है कि वहां कपड़े पहनने सम्बन्धी आदतें बदल रही हैं ? उसने हैण्डलूम फेब्रिक मार्केटिंग सोसायटी या विभिन्न राज्यों की, और विशेष रूप से आन्ध्र और मद्रास की हैण्डलूम वीवर्स को आपरेटिव सोसायटियों को विदेशों में जाकर वहां निर्यात सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजने की सुविधायें देने से इंकार क्यों कर दिया ?

†श्री कानूनगो : फेब्रिक सोसायटी ही इस माल का सबसे अधिक व्यापार कर रही है।

†श्री रंगा : जी, नहीं।

†श्री कानूनगो : वे कर रही हैं, और जहां तक एपेक्स सोसायटयों का सम्बन्ध है, वे अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं।

†श्री शंकरय्या : अखिल भारतीय हथकरघा सहकारी बिक्री व्यवस्था समिति को वैदेशिक बिक्री व्यवस्था पदाधिकारियों को, जिन्हें विदेशों में व्यापार की व्यवस्था करने का काम सौंपा जाता है, सेवायें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री कानूनगो : इस सम्पूर्ण योजना को फेब्रिक सोसायटी जल्द ही अपने हाथ में ले लेगी।

प्याज का निर्यात

†*११४६. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों को १९५६–५७ में प्याज के निर्यात का कितना अभ्यंश दिया गया था;

(ख) किन-किन राज्यों में प्याज का उत्पादन होता है और प्रत्येक राज्य में पिछले वर्ष प्याज का कितना कितना उत्पादन हुआ;

(ग) इस वर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) निर्यात के लिये प्रत्येक राज्य को कितना अभ्यंश दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) नासिक जिले को कितना अभ्यंश दिया गया है;

(च) क्या यह सच है कि निफद तालुके को पिछले वर्ष ५०० टन का अभ्यंश दिया गया था, जब कि इस वर्ष केवल ८० टन का अभ्यंश दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क), (ख) और (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]

(ग) प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) और (च)· अभ्यंश जिले या तालुक के आधार पर नहीं दिये जाते ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री जाधव : यह अभ्यंश किन आधारों पर आवंटित किया जाता है ?

†श्री सतीश चन्द्र : अभ्यंश पत्तनानुसार दिये जाते हैं । १९५६ में आवंटन की प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया गया था । लगभग ४० प्रतिशत सहकारी संस्थाओं के लिये रक्षित रखा जाता है और शेष विभिन्न नौवाहकों को जिस क्रम से वे मांगते हैं उस क्रम से उन्हें दे दिया जाता है ।

†श्री दासप्पा : मार्च-अगस्त, १९५७ में किया गया निर्यात मार्च-अगस्त १९५६ के निर्यात से आधे से भी कम क्यों है ?

†श्री सतीश चन्द्र : कम उत्पादन और अधिक मूल्यों के कारण उतना निर्यात करना सम्भव नहीं था ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि १९५६-५७ में आंध्र में १५८,००० टन प्याज का उत्पादन हुआ परन्तु कभी भी १३,५०० टन से अधिक प्याज का निर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी गई । निर्यात पर यह प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : ये अभ्यंश देश में उत्पादन के स्तर और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए आवंटित किये जाते हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या कोई कृषि सहकारी संस्थायें भी हैं; और यदि हां, तो फिर कृषि सहकारी संस्थाओं को निर्यात की अनुज्ञा क्यों नहीं दी जाती और बाहर के व्यापारियों को क्यों दी जाती हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य ने मेरे पहले उत्तर को सुना होगा । मैं ने बताया कि ४० प्रतिशत अभ्यंश कृषि सहकारी संस्थाओं के लिये रक्षित रखा जाता है और राज्य सरकार की सिफारिश से आवंटित किया जाता है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या इसका यह अर्थ है कि ६० प्रतिशत अभ्यंश व्यापारियों को दिया जाता है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस समय तो ऐसा ही होता है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : यदि कृषि सहकारी संस्थायें हैं तो व्यापारियों के ६० प्रतिशत अभ्यंश देने की क्या आवश्यकता है ? यह कृषि संस्थाओं को ही क्यों न दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** कृषि सहकारी संस्थायें यदि विकसित हों तो उन्हें अधिक अभ्यंश दिया जा सकता है परन्तु इस समय वे ४० प्रतिशत से अधिक निर्यात को हाथ में नहीं ले सकतीं।

†**श्री जाधव :** श्रीमान, जानकारी प्राप्त करने के लिये यह प्रश्न संख्या ११४६ अल्प सूचना प्रश्न के रूप में भेजा गया था। एक प्रतिनिधि मंडल नासिक से, जो कि प्याज के अधिकतम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, आया हुआ था। यह प्रश्न १३ अगस्त, १९५७ को भेजा गया था और इसे साधारण प्रश्न के रूप में स्वीकृत किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न को अस्वीकृत कर दूं। माननीय सदस्यों की शायद यह धारणा होती है कि जब वे अल्प सूचना प्रश्न भेजेंगे तो अध्यक्ष, मंत्री और हर एक व्यक्ति उसी प्रश्न का उत्तर तैयार करने लगेगा। मैं किसी भी प्रश्न को अस्वीकृत कर सकता हूं। यदि मंत्री को समय चाहिये तो वह देना होता है। जब प्रश्न प्राप्त होता है तो वह मंत्री को भेजा जाता है। हो सकता है कि अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देना उनके लिये असम्भव हो। यदि वह उसका उत्तर नहीं दे सकते तो मैं उसे तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत कर सकता हूं अथवा उसे अस्वीकृत कर सकता हूं। यदि मेरे विचार में कोई प्रश्न अल्प सूचना पर उत्तर देने के योग्य नहीं है तो मैं उसे तारांकित प्रश्न स्वीकृत कर देता हूं और माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दे देता हूं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आकाशवाणी में वाणिज्यिक प्रसारण

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९.

डा० राम सुभग सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री नि० चं० लाडकर :
श्री ज० रा० मेहता :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम शंकर लाल :
श्री जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में १७ अगस्त १९५७ के "स्टेट्समैन" और अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित सिंचाई और विद्युत मंत्री के आकाशवाणी में वाणिज्यिक प्रसारण सम्बन्धी भाषण की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है, जैसा कि भाषण में बताया गया है, कि वाणिज्यिक प्रसारण के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है, जैसा कि उस भाषण में कहा बताया गया है, कि आकाशवाणी की नीति में बहुत से परिवर्तनों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ). सिंचाई और विद्युत मंत्री ने मुझे बताया है कि उनके भाषण के बारे में जो कुछ कहा गया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने वाणिज्यिक प्रसारण के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही उन्होंने यह कहा था कि आकाशवाणी की नीति में आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है।

उन्होंने प्रवर्तित कार्यक्रम के बारे में कहा और उनका कहना है कि उनका अभिप्राय वाणिज्यिक प्रसारण अथवा किसी प्रकार के विज्ञापनों से नहीं था।

रेडियो कार्यक्रम विज्ञापनों के लिये भी हो सकते हैं और अन्य प्रयोजनों के लिये भी। सरकार की यह निश्चित नीति है कि रेडियो पर विज्ञापन और वाणिज्यिक प्रसारण न किया जाये। इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि सिंचाई और विद्युत मंत्री का यह विचार है तो समय पर इस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया गया ?

†**डा० केसकर** : यह प्रश्न सिंचाई मंत्री से पूछा जाये।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार प्रवर्तित कार्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर** : मैं ने अपने उत्तर में यह बताया था कि प्रवर्तित कार्यक्रम विज्ञापन अथवा अन्य प्रयोजन के लिये होते हैं और मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने प्रवर्तित कार्यक्रमों की अनुमति न देने का निश्चित फैसला फरवरी १९३४ में कर लिया था। हमारी यही नीति रही और स्वतन्त्रता के पश्चात सूचना और प्रसारण विभाग के प्रथम मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी औपचारिक रूप से यह घोषणा की थी कि सरकार रेडियो पर विज्ञापन अथवा अन्य किसी प्रकार के वाणिज्यिक प्रसारण की अनुमति नहीं देगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि सिंचाई और विद्युत मंत्री ने उन्हें बताया कि उनके भाषण से वाणिज्यिक प्रसारण अथवा विज्ञापन का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उन्होंने प्रवर्तित कार्यक्रमों का उल्लेख अवश्य किया था। अब माननीय मंत्री कहते हैं कि प्रवर्तित कार्यक्रमों की अनुमति न देने की निश्चित नीति है। तब प्रवर्तित कार्यक्रम के बारे में माननीय मंत्री का क्या उत्तर है क्योंकि वह वक्तव्य आकाशवाणी के प्रवर्तित कार्यक्रम के बारे में ही था।

†**डा० केसकर** : किसी अन्य व्यक्ति ने जो कुछ कहा उसका ब्योरा बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है। मेरा सम्बन्ध इस बात से है और यह मैं ने सभा को भी बताया कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है और यह मैं ने ही नहीं बल्कि मुझ से पहले अन्य मंत्रियों और सरकार के उत्तर-दायी व्यक्तियों ने भी कई बार इसे स्पष्ट किया है।

†**श्री राधा रमण** : यह देखते हुए कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रतिवेदन से गलतफहमी पैदा हो गई है, क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्वयं सिंचाई और विद्युत मंत्री से मिलकर स्थिति स्पष्ट की और उन से प्रतिवेदन का खंडन करने और स्पष्टीकरण करने के लिये प्रार्थना की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[17] Sponsored programme.

†डा० केसकर : यदि वह आवश्यक समझेंगे तो स्वयं ही कर देंगे ।

†श्री पट्टाभिरामन् : यह देखते हुए कि इंगलैंड में भी एक समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रवर्तित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित न किया जाये, क्या सरकार प्रवर्तित कार्यक्रम की अनुमति न देने की नीति को बनाये रखेगी ?

†डा० केसकर : अभी अभी मैं ने यही कहा है ।

†श्री रंगा : क्या 'प्रवर्तित कार्यक्रम' का अर्थ सामान्यतः यह नहीं समझा जाता कि इसमें वाणिज्यिक प्रसारण जैसी कोई बात नहीं होती बल्कि उनका अभिप्राय उन कार्यक्रमों से है जो कुछ परोपकारी और जनता की सेवा भावना से परिपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दान दिये गये रुपये से कुछ गैर-राजनैतिक मामलों पर वार्तायें आयोजित की जाती हैं ?

†डा० केसकर : यदि माननीय सदस्य ने ध्यान से मेरा उत्तर सुना होता तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि वैसे कार्यक्रम भी हो सकते हैं जैसे कि वह बता रहे हैं परन्तु अधिकतर प्रवर्तित कार्यक्रम बड़े बड़े वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा कराये जाते हैं ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय मंत्री ने बताया था कि वाणिज्यिक प्रसारण के विरोध का मूल कारण यह है कि व्यापारी वर्ग रेडियो से अपनी वस्तुओं के विज्ञापन देने के लिये किसी विशेष मार्ग को अपनायेंगे जो रेडियो के स्तर को नीचे गिरा देगा । क्या माननीय मंत्री ने कभी देश के व्यापार उपक्रमों का एक सम्मेलन बुलाया था जिस से कोई बीच का रास्ता अख्तियार किया जा सके, अर्थात्, रेडियो द्वारा विज्ञापन भी दिये जायें और उसका स्तर भी नीचा न हो ?

†डा० केसकर : यह केवल एक तर्क है कि क्या ऐसा करना वांछनीय होगा या नहीं । कुछ एक दिन हुए इस मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में वादविवाद हुआ था और उस समय इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंगटोक में मुद्रणालय

†*११२५. श्री केशव : क्या निर्माण आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में गंगटोक स्थान पर सरकारी मुद्रणालय स्थापित करने में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है; और

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत होने का अनुमान है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) गंगटोक में मुद्रणालय स्थापित करने का विचार वित्तीय और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) अनुमान है कि इस परियोजना पर ७.४२ लाख रुपये अनावर्तक और १७३,००० रुपये वार्षिक आवर्तक व्यय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यवाही

†*११२८. **श्री संगण्णा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मद्यनिषेध के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही करने में असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन सा राज्य है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटिड

†*११२९. **श्री विमल घोष** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में राज्य व्यापार निगम ने विदेशों के आयात करने वालों (देशवार) को उन वस्तुओं के मूल्यों का भुगतान करने के लिये, जो उन्होंने भारत से खरीदी थीं, कुल कितनी राशि उधार दी ।

(ख) यह राशि किन शर्तों पर दी गई; और

(ग) प्रत्येक देश के आयातकारों के नाम अभी कितना रुपया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम ने विदेशी आयातकारों को भारत से की गई खरीदों का भुगतान करने के लिये कोई ऋण नहीं दिया है । बैंकों की साधारण प्रक्रिया द्वारा कुछ अल्पकालीन व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था का ब्योरा बताना व्यापार की साधारण प्रक्रिया के अनुकूल न होगा ।

कुटीर उद्योग

†*११३१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में बुनकर हरिजन समुदाय के बुनकरों के लिये कुटीर उद्योग आरम्भ करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ऐसी कोई योजना अवेक्षित नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी विज्ञापन

*११३२. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५६–५७ पर विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापन देने पर कितना खर्च किया; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) राजस्थान राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को इसी अवधि में दिये गये विज्ञापनों पर कितना खर्च किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) रुपये ३१,००,०२७ ।

(ख) रुपये २०,७१२ ।

सहायता तथा पुनर्वास कार्य

†*११३९. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सहायता तथा पुनर्वास कार्य में सरकार की सहायता करने के लिये कोई प्रदेशानुसार मंत्रणा समिति है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार एक स्थापित करना चाहती है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) नहीं ।

(ख) इस मामले पर त्रिपुरा प्रशासन विचार कर रहा है ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†*११४०. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने राजस्थान में बांस की वस्तुयें और टोकरियों का एक प्रदर्शन एवं निर्माण केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या केन्द्र के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ४,७८० रुपये ।

(ग) हां, श्रीमान्, केन्द्र उदयपुर में स्थित है ।

निष्क्राम्य भूमि

†*११४१. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ मार्च से ३० अप्रैल, १९५७ तक दिल्ली प्रदेश में पाकिस्तान चले गये व्यक्तियों की कितने एकड़ कृषि-भूमि ऐसे व्यक्तियों को बेची गई जो विस्थापित नहीं थे;

(ख) क्या यह सच है कि निष्क्राम्य कृषि-भूमि के स्थायी स्वामित्व अधिकार दावेदार अलाटियों[16] को उनके भूमि के दावों पर १ मार्च, १९५६ तक दिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Claimant-allottees.

(ग) क्या यह सच है कि यदि एक विस्थापित भूमि दावेदार को अस्थायी, अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी तौर पर भूमि आवंटित हो जाती है तो उसका भूमि के आवंटन का अधिकार पूरा हो जाता है; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रदेश में गैर पंजाबी भूमि दावेदारों को आवंटित की गई भूमि को वापस लेकर यदि उसका मूल्य १०,००० से अधिक है तो उसे नीलाम करने और यदि कम है तो बेचने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) जी हां, ग्रामीण कृषि-भूमि के बारे में यही नीति है ।

(ग) जी हां, ग्रामीण कृषि-भूमि के मामले में ।

(घ) माननीय सदस्या शायद दिल्ली में नगरीय कृषि भूमि के बारे में कह रही हैं । इस नगरीय कृषि-भूमि का निबटारा अन्य निष्क्राम्यसम्पत्ति की तरह ही किया जायेगा अर्थात् यदि उसका मूल्य १०,००० रुपये से अधिक हुआ तो उसे नीलाम किया जायेगा और यदि कम हुआ तो उसे आवंटित किया जायेगा ।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

†*११४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री २२ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि के बारे में प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

†*११४८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री शंकरय्या :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन कपड़ा मिलें बन्द होने की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त जांच का क्या परिणाम है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां; तीन कपड़ा मिलों के बारे में जांच की गई थी ।

(ख) जांच अभी हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खोपरा तथा सुपारी

†*११४९. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोपरा और सुपारी का (१) कार निकोबार द्वीपों में, और (२) शेष सभी अन्दमान और निकोबार द्वीपों में, वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) इन वस्तुओं में व्यापार की पद्धति क्या है;

(ग) वहां से इस समय खोपरा तथा सुपारी की कितनी मात्रा निर्यात की जाती है; और

(घ) मुख्य निर्यातक कौन हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५६–५७ में उत्पादन :

(१)	खोपरा	१४,७४,१०५ पौंड
	सुपारी	२,८५,२५१ पौंड
(२)	खोपरा	१७,८६,८१९ पौंड
	सुपारी	१,२६,७९८ पौंड

(ख) १९५६ के अन्दमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जातियों का संरक्षण) विनियम की धारा ३ के अधीन निकोबार द्वीपों को रक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और विनियम की धारा ६ के अधीन अन्दमान और निकोबार द्वीपों के मुख्यायुक्त द्वारा दिये गये लाइसेंसों के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार ही सभी प्रकार का व्यापार; जिसमें खोपरा तथा सुपारी भी शामिल हैं, किया जा सकता है । जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार के लाइसेंस हों उन्हें निर्धारित दरों पर स्थानीय जनता से खोपरा तथा सुपारी खरीदने का प्राधिकार प्राप्त है और इस प्रकार खरीदी गई प्रत्येक मद पर निर्धारित दरों के अनुसार सरकार को अधिकार-शुल्क देना होता है ।

(ग) १९५६–५७ में निर्यात :

खोपरा	३६,४७,१६० पौंड
सुपारी	३,४०,८०० पौंड

(घ) मैसर्स कार्नीकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा मैसर्स आर० अकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी ।

विकास कार्य

*११५१. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री २३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में विकास कार्यों की प्रगति के बारे में आंकड़े एकत्र करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : अपेक्षित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]

---

†मूल अंग्रेजी में

टीन की आवश्यकतायें

†*११५२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में टीन की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ग) भारत जिस अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद् का सदस्य है उस परिषद् के द्वारा किस सीमा तक इस मांग को पूरा किया जायेगा;

(घ) भारत को किन निबन्धनों तथा शर्तों पर टीन खरीदना होगा; और

(ङ) उपरोक्त परिषद् का सदस्य होने के नाते इस वर्ष भारत को टीन सम्बन्धी कितनी न्यूनतम मात्रा खरीदनी होगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां । अनुमान है कि हमें आजकल प्रति वर्ष ४,००० टन टीन की आवश्यकता होती है ।

(ग) से (ङ). अन्तर्राष्ट्रीय टीन परिषद् साधारणतया टीन के आवंटन नहीं करती है बल्कि उत्पादन क्षेत्रों से निर्यात के लिए केवल उच्चतम सीमा नियत करती है । उपभोक्ता देशों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियत किये गये निर्यात कोटा तक का माल उत्पादन देशों से प्राप्त करने की छूट है ।

१५वां श्रम सम्मेलन

†*११५३. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५वें श्रम सम्मेलन में किये गये निर्णयों को लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों को किस संभाव्य तिथि अथवा तिथियों पर लागू किया जाएगा ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें सत्र में किये गये निर्णय सरकार के विचाराधीन हैं और उन्हें राज्य सरकारों तथा नियोजकों और श्रमिकों की अखिल भारतीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा ।

(ख) क्योंकि निर्णयों को लागू करना विभिन्न हितों पर निर्भर करता है इसलिए कोई तिथि नहीं बताई जा सकती है ।

बर्मा में भारतीय व्यापारी

†११५४. **श्री दा० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री २२ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा समवाय अधिनियम के अधीन भारतीय व्यापारियों के पंजीयन के सम्बन्ध में भारत सरकार को बर्मा सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए उत्तर का स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) बर्मा सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये भरती

*११५५. श्री भक्त दर्शन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा और सामान्य पदोन्नति के जरिये रिक्त स्थानों की पूर्ति के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी रिक्त स्थानों पर काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये भरती करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के ज्यादातर दफ्तरों में भरती नियोजन कार्यालयों के द्वारा की जाती है । कोशिश की जा रही है कि सभी दफ्तरों में यह तरीका अपनाया जाय ।

संघों द्वारा हड़तालें

†*११५६. डा० राम सुभग सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) जून तथा जुलाई, १९५७ में कितने संघों ने हड़ताल की सूचनायें दी थीं;

(ख) सरकार से बातचीत के फलस्वरूप अथवा अन्यथा उन में से कितने संघों ने बाद में सूचनायें वापिस ले ली थीं;

(ग) कितने संघों ने वस्तुतः हड़ताल की थी; और

(घ) इन हड़तालों के परिणामस्वरूप उत्पादन आदि की कुल कितनी हानि हुई थी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :(क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]

लौह अयस्क का निर्यात

†८६४. श्री मं० वें० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में आन्ध्र प्रदेश से कुल कितने टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र

†८६५. श्री पांडारकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में अब तक कितने अम्बर चर्खा उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं और वे कहां पर स्थित हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के कितने केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १५ जुलाई, १९५७ तक बम्बई राज्य में कितने प्रशिक्षण केन्द्र (परिश्रमालय तथा विद्यालय) थे और वे कहां पर स्थित थे। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]

(ख) तथा (ग). अस्थायी रूप से प्रस्ताव यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में बम्बई राज्य में ६,००० चरखों की व्यवस्था की जाय। बम्बई ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया जायेगा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर कहां कहां परिश्रमालय (उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र) खोले जायें और प्रत्येक परिश्रमालय को कितने चरखे आवंटित किये जायें। इस राज्य में नये विद्यालय (शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र) खोलने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान विद्यालयों से आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

पंचायती रेडियो सेट [19]

†८६६. श्री धर्मलिंगम् : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक श्रवण योजना[20] के लिये सस्ते रेडियो सेट प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सामुदायिक श्रमिक योजना के लिये सस्ते रेडियो सेट प्राप्त करने के सम्बन्ध में अब तक जो रकम खर्च की गई है उसमें भारत सरकार का अंश लगभग ३५ लाख रुपये है।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन

†८६७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, जून तथा जुलाई, १९५७ के महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से कितने हिन्दुओं ने प्रव्रजन किया था ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

मास	प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति
मई, १९५७	८१६
जून, १९५७	७९६
जुलाई, १९५७	५०४

दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र

†८६८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक जिलावार कितने दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) क्या पंजाब में प्रशिक्षण का संगठन करने के लिये कोई ऐसा प्रयत्न किया गया है कि जिस से पंजाब की प्राचीन तथा देशीय दस्तकारीयां कायम रही आयें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[19] Community Radio sets.
[20] Community Listening Scheme.

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पंजाब में अब तक ज़िलावार खोले गये दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

१.	जालन्धर	१
२.	होशियारपुर	१
३.	करनाल	१
४.	रोहतक	१
५.	लुधियाना . . .	१
६.	गड़गांव	१
७.	गुरदासपुर	१०
८.	शिमला	२
	जोड़ :	१८

(ख) जी, हां। इन सभी केन्द्रों में इस रीति से प्रशिक्षण दिया जाता है कि प्राचीन तथा देशीय दस्तकारीयां कायम रही आयें। इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिये चालू वर्ष में, कांगड़ा ज़िले में, छ: और केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

कलकत्ता का औफ़नगंज मारकेट

†८६९. श्री स० चं० सामन्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किडुरपुर, कलकत्ता, के औफ़नगंज मारकेट के अधीक्षक के पद को खत्म कर देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मारकेट को बेचने के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) इस मारकेट से कितनी आय हुई है और इसके संधारण पर कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(घ) दुकानों का किराया नियत करने की प्रक्रिया क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, नही। इस बात को देखते हुये कि कार्य भार बहुत है और किराये की बहुत ज्यादा वसूली करनी है, औफ़नगंज मारकेट के अधीक्षक के पद को खत्म करना प्रशासकीय दृष्टिकोण से असम्भव है।

(ख) जी, हां, पश्चिमी बंगाल सरकार को मारकेट हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कुछ समय से भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच बातचीत चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा।

(ग) मारकेट की वार्षिक आमदनी लगभग ३ लाख रुपये है और इससे संधारण पर प्रति-वर्ष लगभग १¹/₄ लाख रुपये खर्च होते हैं।

(घ) अधिकांश दुकानों के सम्बन्ध में किराये आरम्भ में २४ परगना के कलक्टर द्वारा १९४२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा मारकेट अपने नियन्त्रण में लिये जाने से पूर्व निश्चित किये गये थे। जब कभी भी दुकानों को पुनः आवंटित किया जाता है तब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा एफ० आर० ४५ बी० के आधार पर, जिस रूप में वह गैर सरकारी व्यक्तियों पर लागू होता है, पुनः किराया नियत किया जाता है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†८७०. श्री सूपकार : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९५६–५७ में सम्पूर्ण योजना के खर्च की कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई है; और

(ख) किन शीर्षों के अन्तर्गत कुल खर्च की दस प्रतिशत से भी कम रकम खर्च की गई है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) तथा (ख). १९५६–५७ के लिये प्रगति प्रतिवेदन की तैयारी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है । जानकारी प्राप्य होने पर लोक सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

खादी तथा हथकरघा उद्योग

†८७१. श्री जावव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५६ तक, वर्षवार, खादी उद्योग को कितनी राजकीय सहायता दी गई थी; और

(ख) इसी अवधि में, वर्षवार, हथकरघा उद्योग को (मिल के धागे पर काम करने वाले करघे) कितनी राजकीय सहायता दी गई थी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) खादी उद्योग के विकास के लिये १९५१–५२ से पहिले किसी रकम की मंजरी नहीं दी गई थी, १९५१–५२ से १९५६–५७ तक इस प्रयोजन से निम्न राशियों की मंजूरी दी गई है :

वर्ष	राशि रुपयों में
१९५१–५२	२,००,०००
१९५२–५३	९,००,०००
१९५३–५४	१,०६,१९,१९८
१९५४–५५	२,४६,५२,८४१
१९५५–५६	५,१४,२७,७१९
१९५६–५७	६,५६,३१,२५८

१९५५–५६ तथा १९५६–५७ के सामने जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिये दी गई मजूरी भी शामिल है ।

(ख) १९४९–५० तथा १९५६–५७ की बीच की अवधि में हथकरघा उद्योग के लिये अनुदान की निम्न रकमों की मंजूरी दी गई थी और १९४९–५० से पहिले कोई रकम मंजूर नहीं की गई थी :

वर्ष	राशि रुपयों में
१९४९–५०	३,५०,६८०
१९५०–५१	३,०७,७३५

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष	राशि रुपयों में
१९५१–५२	१,८५,५९५
१९५२–५३	५,४६,०६५
१९५३–५४	१,४९,१९,९१८
१९५४–५५	९४,९६,०७४–२–०
१९५५–५६ . . .	१,८२,११,९२३–१४–०
१९५६–५७ . . .	३,३६,४१,२६९–३–०

निष्क्राम्य कृषि भूमि

†८७२. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५७ तक, वर्षवार, दिल्ली क्षेत्र में कुल कितने एकड़ निष्क्राम्य कृषि भूमि थी;

(ख) इन में से कितने एकड़ (१) उद्यान भूमि, (२) प्रथम श्रेणी की भूमि, (३) द्वितीय श्रेणी की भूमि और (४) बंजर भूमि थी;

(ग) इस निष्क्राम्य भूमि में से कितने एकड़ भूमि, स्थायी तथा अस्थायी दोनों आधारों पर, पश्चिमी पाकिस्तान से आये पंजाबी तथा ग़ैर पंजाबी विस्थापित भूमि दावेदारों को आवंटित की गई है ;

(घ) इस में से कितनी भूमि उन व्यक्तियों को आवंटित की गई है जिनका भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं था ;

(ङ) दिल्ली में तथा इसके इर्द गिर्द शरणार्थी बस्तियां बनाने के लिये इस निष्क्राम्य भूमि में से कितने एकड़ भूमि का सरकार द्वारा उपयोग किया गया है; और

(च) इस निष्क्राम्य भूमि में से कितने एकड़ उपरोक्त अवधि में, वर्षवार, अप्रैल, १९५७ तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये मुसलमानों को वापिस की गई थी ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रविधिक कर्मचारी

†८७३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यों के लक्ष्यों को पूरा न कर सकने का कारण प्रविधिक कर्मचारियों की कमी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार प्रविधिक अध्ययनों के लिये और स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति[21] पर प्रविधिक तथा प्रशासकीय कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य शपथ-ग्रहण करना चाहते हैं। शपथ-ग्रहण सभा का अन्य कार्य आरम्भ होने से पहिले होना चाहिये ; लेकिन वे नये सदस्य हैं, इसलिये मैं उन्हें इसकी अनुमति दिये देता हूं। माननीय सदस्य शपथ-ग्रहण कर सकते हैं।

श्री जोगेन्द्र सेन (मण्डी)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय नियम में संशोधन

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं चाय अधिनियम १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं —

(१) दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४९४।

(२) दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४९५।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एस०—२०७/५७]

विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में विकास परिषदों के प्रतिवेदन

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारी रसायन (अम्ल तथा उर्वरक) के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२१३।५७]

(२) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारी रसायन (क्षार) के लिये विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२१४।५७]

(३) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इन्टर्नल कम्बश्चन इंजिन्स और विद्युच्चालित पम्प्स के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२१५।५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

[21] Deputation.

(४) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिजली के भारी सामान के उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२१६।५७]

(५) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिजली के हलके सामान के उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२१७-५७]

(६) ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अलोह धातुओं के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२१८।५७]

(७) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मशीनरी औजार उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० २१९।५७]

(८) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये साइकिलों के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२२०।५७]

(९) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भैषज्यों तथा औषधियों के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२२१-५७]

(१०) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऊन उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एस०—२२२।५७]

(११) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कृत्रिम रेशम उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२२३।५७]

(१२) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये चीनी उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२२४।५७]

वित्त (संख्या २) विधेयक १९५७ के सम्बन्ध में याचिका

†**सचिव** : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६७ के आधीन मुझे सभा को बताना है कि मुझे वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में एक याचिका

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

प्राप्त हुई है जिस का विवरण इस प्रकार है :

विवरण

याचिका संख्या	हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य
१०	१	कायमगंज (फ़रुखाबाद)	उत्तर प्रदेश

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"दक्षिण-पूर्व रेलवे के पलसा और पुण्डी स्टेशनों के बीच, १९ अगस्त, १९५७ को हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पलसा यार्ड में शंन्टिग होने के दौरान में, माल का एक भरा हुआ डिब्बा १९ अगस्त, १९५७ को म० प० एक बज कर पच्चीस मिनट पर यार्ड से निकलकर पुण्डी की ओर लुढ़कने लगा था। वह म० प० डेढ़ बजे ४२२/९ मील पर विजयवाडा से हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रेस संख्या ४६ डाउन से टकरा गया था। जनता एक्सप्रेस पहले ही पुण्डी से रवाना हो चुकी थी। इससे ट्रेन का इंजन पटरी से उत्तर गया था। पलसा के स्टेशन मास्टर ने शीघ्र ही एक बस का प्रबन्ध कर लिया और वह सड़क के रास्ते से संख्या ४६ डाउन एक्सप्रेस को रोकने के लिये पुण्डी की ओर चल पड़ा था। लेकिन उसके ट्रेन तक पहुंचने और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित कर पाने के पहले ही यह टक्कर हो चुकी थी ।

उस दुर्घटना के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तीन तो वहीं मर गये थे और एक की मृत्यु बाद में पलसा रेलवे अस्पताल में जाकर हुई थी। नौ व्यक्तियों को गम्भीर और सात को हल्की सी चोटें आई थीं। घायल व्यक्तियों में से तीन तो इंजिन में काम करने वाले कर्मचारी थे और बाकी यात्री लोग थे, जो संख्या ४६ डाउन के इंजिन के बाद ही लगे थर्ड लगेज और ब्रेकवान में यात्रा कर रहे थे ।

स्टेशन मास्टर द्वारा लाई गई बस में घायल व्यक्तियों को म० प० पौने दो बजे पलसा रेलवे अस्पताल में ले जाया गया था। वहां उनकी प्राथमिक चिकित्सा की गई थी। वहां से उनको एक एम्बुलेंस ट्रेन द्वारा बरहामपुर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया था। यह एम्बुलेंस म० प० साढ़े छः बजे पलसा से चल कर म० प० नौ बज कर पचपन मिनट पर बरहामपुर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

पहुंची थी। बताया गया है कि अस्पताल में घायल व्यक्ति संतोषजनक ढंग से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ।

२० अगस्त, १९५७ को म० पू० साढ़े आठ बजे गाड़ियों का सीधा आना जाना आरम्भ हो गया था ।

कलकत्ता के रेलवेज़ के सरकारी निरीक्षक ने २० अगस्त, १९५७ को उस दुर्घटना की संविहित जांच आरम्भ कर दी थी ।

कार्य-मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ अगस्त, १९५७ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मुझे सभा को सूचना देनी है कि २६ अगस्त, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का क्रम इस प्रकार होगा :—

१. वित्त विधेयक ।

२. धनकर विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

३. रेलवे यात्री किराया विधेयक ।

४. विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक ।

५. बीमा (संशोधन) विधेयक ।

६. अन्तर्राज्यीय निगम विधेयक ।

७. धोती (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक ।

८. व्यय-कर विधेयक ।

वैदेशिक-कार्य सम्बन्धी वाद-विवाद २ सितम्बर को होगा ।

---

*अनुदानों की मांगें--जारी

वित्त मंत्रालय—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा करेगी । २३ अगस्त को प्रस्तावित सभी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत

शाम को पांच बजे जितनी मांगें शेष रही ह, उन पर मतदान होगा। श्री शंकरय्या अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : हमारे देश में कर-अपवंचक लोग सभा द्वारा लगाये गये सभी करों का अपवंचन करने के लिये तुले हुये हैं ।

सभा में इसके सम्बन्ध में कई बार चर्चा हो चुकी है। सबसे अधिक कर-अपवंचना उत्पादन-शुल्क में होता है। सभा इसके उदाहरण जानती ही है । सरकार को इस सम्बन्ध में और कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये

सरकार ने इसकी जांच-पड़ताल के लिये एक अलग विभाग खोला है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिये एक स्थायी उच्च शक्ति समिति नियुक्त की जानी चाहिये। वह समिति पूरी परिस्थिति का लेखा-जोखा करेगी और प्रभावशाली उपाय करेगी। वह कराधान के उपायों के संशोधित होने की राह नहीं देखेगी । इस समिति को विशेष तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी दिये जाने चाहियें ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कर-अपवंचकों के विरुद्ध कुछ भयोत्पादक दण्डों का विधान करना चाहिये। अन्यथा इससे राजस्व की हानि होती ही रहेगी ।

साथ ही, विभिन्न विभागों में शीघ्र ही अपव्यय भी रोकना चाहिये ।

चूंकि केन्द्र ने राजस्व के अधिकांश संसाधनों को अपने लिये सुरक्षित कर लिया है, इसलिये राज्य के वित्त में बड़ी कमी आ गई है। विकास सम्बन्धी कार्यों के कारण, राज्य का खर्च भी अधिक बढ़ गया है । अब सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता के आश्रित हो गई हैं । यह ठीक नहीं है। राज्यों की वित्तीय स्थिति भी दृढ़ होनी चाहिये। केन्द्रीय को विकेन्द्रीयकरण करना चाहिये और राज्यों को कुछ मदें सौंप देनी चाहिय ।

राज्य-पुनर्गठन के बाद तो पहले के कई आत्मनिर्भर राज्य भी अब केन्द्र का मुंह ताकने लगे हैं। वे अपने यहां के नये क्षेत्रों को पहले जैसी सुविधायें नहीं जुटा पाते ।

वित्त आयोग राज्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार कर रहा है । माननीय मंत्री को इस मामले में उदारता से काम लेना चाहिये । उन्हें आयोग का प्रतिवेदन मिलने से पहले ही राज्यों को विकास-कार्यों के लिये पर्याप्त राशियों की व्यवस्था कर देनी चाहिये । इसमें पिछड़े हुये क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। आयोग का प्रतिवेदन आने में तो काफी अधिक समय लग जायेगा । मैसूर राज्य को कुछ अतिरिक्त अनुदान दिये जाने चाहियें ।

अब विक्रय-कर और उसके संग्रह का प्रश्न लीजिये। लगभग सभी वस्तुओं पर विक्रय-कर लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न मदों पर भिन्न-भिन्न अवस्था और भिन्न-भिन्न दरों पर विक्रय-कर लगाया जाता है। पता नहीं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कब से प्रख्यापित किया जायेगा, लेकिन उसमें कुछ अनियमिततायें हैं। उनको शीघ्र ही दूर कर देना चाहिये, अन्यथा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को और भी अधिक असुविधायें हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शंकरय्या]

केन्द्र ने एकीकरण के समय मैसूर सरकार के सरकारी कर्मचारियों को, विशेषकर उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों को अपने अधिकार में लेते समय उनके साथ काफ़ी विभेद और अन्याय किया है । यह एकीकरण १ अप्रैल, १९५० को हुआ था । उनमें से कुछ अधिकारी अपनी इच्छा से राज्य सरकार में चले गये थे । कुछ केन्द्रीय सरकार की अधीनता में आये थे, लेकिन उनकी सेवा की परिपुष्टि नहीं की गई थी । उसका कारण यह बताया गया था कि वह ज़ोन भी स्थायी नहीं था । उसे १९५३ में स्थायी बताया गया था । लेकिन तब बाहर से नये लोगों को भर्ती कर लिया गया और उन पुराने अधिकारियों को पहले से नीची श्रेणियों में रखा गया था । उनकी सेवायें अस्थायी रखने का कारण यह बताया गया था कि तब तक उसके सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क बोर्ड ने भी अपनी राय नहीं दी थी । बोर्ड की राय १९५६ में मालूम हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको पहले से नीची श्रेणियों में ही रखा गया था । और, उनमें से कई को अभी तक, बोर्ड की राय के बाद भी, न स्थायी बनाया गया है और न केन्द्रीय सरकार के वेतन तथा भत्ते दिये गये हैं । इसका प्रभाव उनमें से कई के निवृत्ति-वेतनों और उपदानों पर भी पड़ेगा । लेकिन, इसके विपरीत, त्रावनकोर के कर्मचारियों को उसी समय ये सुविधायें दे दी गई थीं । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस अन्याय का निराकरण करेंगे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । विरोध सिर्फ इसलिये नहीं कर रहा हूं कि वित्त मंत्रालय की कोई नीति नहीं है । नीति तो स्पष्ट है और वह नीति है पूंजीवादी लोगों, जो लोग निहित स्वार्थों वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की । वह खास तौर से किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को और आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली है । जिन मांगों पर हम बहस कर रहे हैं अगर उनको हम देखें तो पता लगता है कि वित्त मंत्रालय अपनी इस नीति को प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के विरुद्ध चला रहा है ।

मैं एक तम्बाकू के सवाल को लेता हूं । तम्बाकू का कर सन् १९४३ में शुरू किया गया । जिस वक्त १९४३ में यह कर शुरू किया गया उस वक्त सिर्फ १ आ० प्रति पाउंड कर उस तम्बाकू पर था जो हुक्के के काम में लाई जाती है । उस वक्त ही बीड़ी की तम्बाकू पर ६ आ० प्रति पाउंड के हिसाब से कर लगाया गया था : बीड़ी और हुक्के की तम्बाकू में ६ और १ का फर्क था । लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि बीड़ी और हुक्के की तम्बाकू पर एक सा कर लगा दिया गया है । बीच में भी जब जब तम्बाकू पर कर बढ़ाया गया तब हमेशा यह कहा गया कि सिगरेट, बीड़ी और तम्बाकू पर जो कर की दर है वह इस तरह रक्खी जाये कि सिगरेट से कम बीड़ी पर और बीड़ी से कम हुक्के पर रहे । इसी तरह से सन् १९५१ में फाइनेन्स बिल (वित्त विधेयक) पर एक सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) बनी, उस सेलेक्ट कमेटी में आज के मंत्री श्री राजबहादुर ने एक मिनट आफ डिसेंट (विमति टिप्पणी) दिया था, और उस में उन्होंने कहा था कि खाने और हुक्के की तम्बाकू पर ७५ प्रतिशत बढ़ाना उचित नहीं होगा । इस सेलेक्ट कमेटी में श्री राजबहादुर और श्री मिहिरलाल चट्टोपाध्याय, इन दो माननीय सदस्यों का यह मत था कि बीड़ी से हुक्के की तम्बाकू पर कम कर होना चाहिये । और जब तम्बाकू पर कर लगाया गया तो यही नीति बरती गई थी । जहां शुरू में हुक्के की तम्बाकू पर १ आ० प्रति पाउंड कर था तहां बीड़ी की तम्बाकू पर ६ आना प्रति पाउंड रक्खा गया था । लेकिन जिस तरह से यह बाद में बढ़ाया गया, अगर हम देखना चाहें इन तम्बाकुओं के खर्चे पर उसका क्या असर पड़ा है, तो हमें पता चलेगा कि सन् १९४३ में जिस वक्त यह कर शुरू हुआ हुक्के की तम्बाकू १८ करोड़ १० लाख पाउंड पी जा रही थी, बीड़ी ५ करोड़ ४० लाख पाउंड पी जा रही थी और सिगरेट १ करोड़

१० लाख पाउंड पी जा रही थी। सन् १९५३ में जब कि हुक्के की तम्बाकू पर ६ आ० पाउंड कर लगा दिया गया उस वक्त उस की खपत १८ करोड़ १० लाख पाउंड से घट कर ११ करोड़ ९० लाख पाउंड हो गई थी, बीड़ी की खपत ५ करोड़ ४० लाख पाउंड से बढ़ कर १७ करोड़ पाउंड हो गई थी और सिगरेट की खपत १ करोड़ १० लाख पाउंड से बढ़ कर २ करोड़ १० लाख पाउंड हो गई थी। यह हालत उस वक्त थी जब कि हुक्के की तम्बाकू पर सिर्फ ६ आ० पाउंड का कर था, लेकिन इस वक्त हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट रक्खा है, उसमें जो प्रस्ताव आये, उन से क्या स्थिति पैदा होती है? हम देखते हैं कि सिगरेट पर जहां अब तक १ रु० प्रति पाउंड ड्यूटी (शुल्क) ली जा रही थी, उसे अब १ रु० के बजाय १२ आ० पाउंड कर दिया गया है, एक एग्जिक्युटिव (कार्यपालिक) आदेश से, जिस पर कि ज्यादा बढ़ना चाहिये थी। आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वह माननीय सदस्य कह चुके हैं जो आज सरकार में हैं। वे कह चुके हैं कि तम्बाकू पर जो कर है उस का निर्धारण इस प्रकार से होना चाहिये कि सिगरेट से बीड़ी पर कम और बीड़ी से हुक्के पर कम हो। लेकिन सिगरेट पर घटा कर १ रू० से १२ आ० किया जा रहा है, और जब कि बीड़ी पर १४ आ० पाउंड था और हुक्के पर ६ आ० प्रति पाउंड था, उन को अब एक कटेगरी (श्रेणी) में रक्खा जा रहा है। और उन दोनों को मिला कर कहीं पर ८ आ० प्रति पाउंड और कहीं पर १ रु० प्रति पाउंड किया जायगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो नीति उन माननीय सदस्यों ने निर्धारित की थी जो कि आज सरकार में सम्मिलित हो गये, हैं, उस समय गैर-सरकारी सदस्य थे पर सरकार की पार्टी के थे, आज उसको ही परिवर्तित किया जा रहा है, हालांकि उस के लिये आज कोई कारण नहीं है।

यह स्पष्ट बात है कि देश में जो तम्बाकू पी जा रही है, उस में हुक्के की तम्बाकू वह लोग पीते हैं जो कि किसान वर्ग के कहे जाते हैं, मजदूर वर्ग के कहे जाते हैं, गरीब वर्ग के कहे जाते हैं, जो बीड़ी और सिगरेट नहीं पी सकते। आप सिगरेट की ड्यूटी को घटाना चाहते हैं और बीड़ी की ड्यूटी हुक्के के बराबर रखना चाहते हैं। सन् १९४३ में जब कि इन दोनों करों में १ और ६ का फर्क था तब १९५७ में आप दोनों को एक दर पर लाना चाहते हैं। पता नहीं यह कौन सी नीति है। मैं तो समझता हूं कि इस में एक स्पष्ट नीति है, और वह यह है कि बीड़ी के क्षेत्र में कुछ निहित स्वार्थों वाले लोग हैं, जो बीड़ी बनाते हैं, जिन की करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी का मुनाफा उन को देने की नीति है। वह किसान जो पैदा करता है इस तम्बाकू को, जो हुक्का पीता है, उसका कोई संगठित आन्दोलन नहीं है, कोई संगठित प्रयास नहीं है, इसलिये मनमाने ढंग से इस ड्यूटी को आप उस पर लादना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि न सिर्फ सन् १९५१ में जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया वही हमारे सामने है, बल्कि सन् १९५३ में जो टैक्सेशन इन्क्वारी कमिशन (कराधान जांच आयोग) बैठा था उसकी रिपोर्ट में भी यही बात कही गई।

यह बात सन् १९५३–५४ में इस रिपोर्ट में कही गई कि जहां तक बीड़ी और हुक्के का सवाल है हुक्के को कीमत अलग है और बीड़ी की तम्बाकू की कीमत अलग है। अगर आप हुक्के की तम्बाकू पर, जिस की कीमत अलग है, एक सा कर लगा देते हैं, तो उस से उन के मूल्यों में फर्क होता है। इस तरह से बाजार में उन्हीं बीड़ियों की कीमत तो कम हो जाती है और हुक्के की तम्बाकू की कीमत ज्यादा हो जाती है। नतीजा यह निकलता है कि बीड़ी का खर्च बढ़ जाता है और लोग बीड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैंने अभी आंकड़े देकर बतलाया कि किस तरह से सन् १९४३–४४ से लेकर सन् १९५३–५४ तक इन चीजों की खपत में फर्क पड़ा है। इस के बाद के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। किस तरह से हुक्के की तम्बाकू का खर्च १८ करोड़ १० लाख पाउंड से घटकर ११ करोड़ ९० लाख पाउंड रह गया और बीड़ी की

[श्री ब्रजराज सिंह]

तम्बाकू का खर्च ५ करोड़ ४० लाख पाउंड से बढ़ कर ११ करोड़ ७० लाख पाउंड हो गया। मैं समझता हूं कि अगर वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रक्खे हैं, उनको मान लिया जाता है, तो इसके साफ माने यह होंगे कि हम देश को जनता से कहते हैं कि तुम हुक्के को छोड़ कर बीड़ी पीना शुरू करो। तुम जब्बलपुर के जो सेठ बीड़ी पैदा करते हैं उनकी जेबों को भरो और यह जो तुम हुक्का पी रहे हो अपनी तम्बाकू को पैदा करके या दूसरों से खरीद कर और उसमें कुछ चीजें मिलाकर इसको खत्म कर दो। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी नीति है जिससे हिन्दुस्तान की उस जनता को जो कि वास्तव में हिन्दुस्तान को बनाती है, यानी हिन्दुस्तान की गरीब किसानों और मजदूरों की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यह कहा जा सकता है कि क्योंकि तम्बाकू एक नशीली चीज़ है इसलिये उसके विषय में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहियें। मैं समझता हूं कि यह कह कर असलियत को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। जो विदेशी तम्बाकू आती है, जिससे कि अच्छे सिगरेट बनते हैं, उसको नई दिल्ली में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए कोई रोक नहीं है न कोई दलील दी जाती है कि यह अच्छी नहीं है। यह दलील केवल उन गरीब आदमियों के लिये दी जाती है जो कि थक जाने के बाद अपनी थकान को मिटाने के लिये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिये यह कहना कि चूंकि हम प्राहिबिशन (मद्य-निषेध) शुरू करने वाले हैं इसलिये तम्बाकू के विषय में ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि यह दलील सही नहीं है।

यह जो प्रस्ताव आया है उससे कितना रेवेन्यू (राजस्व) बढ़ने वाला है। सरकार ने अपने ह्वाइट पेपर (श्वेतपत्र) में कहा है कि इससे ६ रोड़ १५ लाख की आमदनी बढ़ेगी, सिगरेट की तम्बाकू, बीड़ी की तम्बाकू और हुक्के की तम्बाकू पर कर बढ़ाने से। इस तम्बाकू पर कर बढ़ाने से केवल ६ करोड़ १५ लाख का फायदा होने वाला है। मेरा निवेदन है कि इस थोड़े से फायदे के लिये आप हिन्दुस्तान की गरीब जनता का नुक्सान मत कीजिये और उसकी तरफ ध्यान दीजिये।

वैल्थ टैक्स (धनकर) की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विरोधी सदस्यों के मुताबिक तो ६ करोड़ का रिलीफ (सहायता) दिया जाना चाहिये और सरकार को खयाल है कि कम से कम रिलीफ देने में ढाई करोड़ का तो नुकसान हो ही जायेगा। जहां पहले १५ या १६ करोड़ के रेवेन्यू का वैल्थ टैक्स से नुकसान था वहां अब साढ़े १२ करोड़ ही रेवेन्यू होगा। तो आप वैल्थ टैक्स में तो इस तरह का रिलीफ दे सकते हैं लेकिन इस ओर आप देखते नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि यह मनोभावना उसी नीति की परिचायक है जिसका मैंने पहले इशारा किया था।

इसके साथ ही मैं एक दो और बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि मितव्ययता से सम्बन्ध रखती हैं। हमसे इस मितव्ययता के लिये दस प्रतिशत कमी करने को कहा जाता है और हमारे मिनिस्टरों ने दस परसेंट अपने वेतन में कट करके उदाहरण भी हमारे सामने पेश कर दिया है। लेकिन इससे हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था में कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता। हमको तो इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस दस परसेंट कट (कमी) से लगभग तीन लाख की बचत होगी। लेकिन इतना नुकसान तो आप किसी भी मद में कर सकते हैं एक अशोक होटल में ही इतनी अधिक हानि हो रही है। मैं समझता हूं कि यदि आपको वास्तव में इकानमी ड्राइव चलाना है तो जितने केन्द्र के मंत्रालय हैं उन सब के खर्च की जांच-पड़ताल करने के लिये आपको इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिये, चाहे उसमें आप कांग्रेस के ही सदस्य रखें। सेक्रेटरियों को यह काम

सौंपना कि वह देखे कि ये मंत्रालय इकानमिक यूनिट (मितव्ययता पूर्ण इकाई) बन जाये, मैं समझता हूं कि गलत होगा। वे इस काम को नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह उनकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के खिलाफ है। वे लोग इस काम को करने वाले नहीं हैं। छः महीने तक तो उनकी जांच पड़ताल होती रहेगी और फिर रिपोर्ट आ जायेगी कि यह मुमकिन नहीं है। वह यह सिफारिशें करेंगे कि बिजली का खर्चा घटा दिया जाये, मेम्बरों को जो स्पीचों की तीन प्रतियां मिलती हैं उनकी जगह एक प्रति मिला करें, या कागज़ का खर्च कम किया जाये। लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे कोई अमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस काम के लिये किसी एक मिनिस्टर को नियुक्त किया जाये। वैसे तो आपके पास मिनिस्टर काफी हैं उनमें से ही किसी को इस काम पर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर यह सम्भव न हो तो और मिनिस्टर कायम कर दीजिये जिससे किसी पार्टी के मेम्बर की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जायेगी और यह काम भी हो जायेगा। हमें तो काम से मतलब है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी बचत हो सकेगी। हमारा शासन का व्यय बढ़ता ही चला जाता है। सन् १९५३–५४ के बजट में यह १००० करोड़ है, केन्द्र और राज्यों का मिलाकर, और सन् १९५७-५८ में यह १९०० करोड़ हो गया है। इसको कम करने के लिये हमको अपनी अर्थ निति में मौलिक परिवर्तन करना होगा। जब तक आप कोई ऐसी कमेटी, जैसी के लिये मैंने सुझाव दिया है, मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक कांम नहीं होगा। मुझे ताज्जुब है कि खर्चा बराबर किस तरह से बढ़ रहा है।

आप लोक-सभा के सचिवालय को लें। यहां पर पिछले साल में जितना बजट था उससे इस साल के बजट में आपने २७ लाख रुपया बढ़ा कर ज्यादा कर दिया है। कहा गया है कि लोक-सभा सचिवालय में कुछ एक्सपेंशन (विस्तार) होगा। इस बात का पता नहीं है कि क्या एक्सपेंशन होगा। दस लाख रुपया तो कामनवैल्थ पारलियामेंटरी कानफ्रेंस (राष्ट्रमंडलीय संसद् सम्मेलन) हो रही है उस में खर्च होगा और १७ लाख रुपया एक्सपेंशन पर खर्च होगा। यह किस तरह का एक्सपेंशन होगा। यहां हम देखते हैं कि दिन में भी बिजली जलती रहती है। यहां पर एक्सपेंशन करेंगे और उसमें १७ लाख रुपया खर्च होगा। कुछ प्राइवेट सेक्रेटरी नये बढ़ेंगे, और नये नये स्टाफ रखे जायेंगे। इस तरह से आप हिन्दुस्तान का भला नहीं कर सकते। यहां तो आमूचूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिसे कि आप करते नहीं हैं।

आपने नई दिल्ली को एक ऐसी तसवीर बनाया हुआ है जो कि गरीब हिन्दुस्तान की तसवीर नहीं है। आप इसको पैरिस या लन्दन की तरह से बनावें, लेकिन गरीब हिन्दुस्तान है उसके प्रतिनिधि के रूप में हम यह सब बातें नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को अपनी अर्थ नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह काम उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से कि सरकार कर रही है।

हम देखते हैं कि एक मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री में मतभेद हैं। मैं आपको उदाहरण दूं। एक मिनिस्ट्री ने नुमाइश की। इस मिनिस्ट्री के दूसरी मिनिस्ट्री से अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। उसी विषय पर दूसरी मिनिस्ट्री भी नुमाइश कर रही है। एक दफ्तर एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है, दो दिन बाद उसको फिर वापस लाया जाता है। इस तरह से रुपया खर्च हो रहा है। हमको यह परिवर्तन करने का काम सर्विसेज़ (सेवाओं) पर नहीं डालना चाहिये। मेरा मतलब यह नहीं है कि सर्विसेज़ के लोग काम नहीं करना चाहते। सर्विसेज़ में भी बहुत से अच्छे और ईमानदार आदमी हैं लेकिन उनकी बहुत सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वह कुछ नहीं कर सकते। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको इस काम के लिये जिम्मेदार बनाये और अपनी

[श्री ब्रज राज सिंह]

नीति में मौलिक परिवर्तन कीजिये ताकि लोग समझ सकें कि हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं और कोई मौलिक परिवर्तन होने वाला है ।

हम देखते हैं कि सरकार गांवों की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है और अधिकतर जो ध्यान दे रही है वह शहरों को बनाने की तरफ दे रही है । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । आप देखें कि सन् १९५६–५७ के बजट में गांवों में गृह-निर्माण के लिये ७.२ करोड़ रुपया रखा गया । पर रिपोर्ट में बतलाया गया है कि इसमें से राज्य सरकारों को केवल २.३ करोड़ दिया जा सका और बाकी नहीं दिया जा सका । इसलिये अब इसको घटाकर सन् १९५७–५८ के बजट में ५ करोड़ कर दिया गया है । यानी सारे हिन्दुस्तान के रूरल हाउसिंग (देहाती गृह-निर्माण) के लिये इस साल केवल ५ करोड़ रुपया रखा गया है । इसमें से भी अगर राज्य-सरकारों ने इस साल में दो तीन करोड़ रुपया ही इस्तेमाल किया तो सन् १९५८–५९ के बजट में केवल तीन करोड़ ही रखा जायेगा । एक तरफ यह हालत है । आप गांवों को बरबाद कर के शहरों को बनाना चाहते हैं । इसका कारण यह है कि शहरों के लोग संगठित हैं, वे अपनी आवाज उठा सकते हैं । अखबारों में अपने विचार छपवा सकते हैं । वे अपना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं ।

अभी उस दिन माननीय गृह-कार्य मंत्री कह रहे थे कि जब सीधी कार्यवाही बन्द कर दी जायगी, तब गोली चलाना भी बन्द कर दिया जायगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस नीति पर चलते रहेंगे, तब तक सीधी कार्यवाही भी जारी रहेगी —सत्याग्रह होगा, हड़तालें होंगी । अगर आप गोली चलाना बन्द नहीं करना चाहते , तो न कीजिये, लेकिन इस को आप रोक नहीं सकते हैं । इस को रोकने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अपनी नीति में परिवर्तन कीजिये । यह ग़रीबों का मुल्क है । वे अपनी हालत सुधारने के लिये संघर्ष करते रहेंगे । सीधी कार्यवाही नहीं रुकेगी और अगर उस को रोकने के लिये आप गोली का प्रयोग करना चाहें, तो कीजिये ।

†श्री डेडा (निज़ामाबाद) : कल कई माननीय सदस्यों ने सरकार की कराधान नीति की बड़ी आलोचना की थी ।

लेकिन यदि हम देश की परिवर्तनशील परिस्थिति की ओर ध्यान दें, तो उन सभी करों का औचित्य स्पष्ट सामने आ जाता है । हम कल्याणकारी कार्यों के लिये अधिक कर-संग्रह करना चाहते हैं ।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये नये संसाधनों की आवश्यकता है ही । वित्त मंत्री यदि किसी कर में रियायत देते हैं, तो दूसरे में उन्हें सख्ती करनी ही पड़ेगी । इससे पूरे देश का लाभ होता है ।

वित्त मंत्री ने आय-कर में जो रियायत दी है उससे साढ़े सात करोड़ रुपयों का घाटा होगा, लेकिन उसकी पूर्ति के लिये १५ करोड़ राजस्व देने वाला धन-कर भी लगाया गया है ।

हमारी कराधान की नीति बड़ी सुसंगत है । मध्यम आय वाले वर्ग को रियायत दी गई है । धनी वर्गों पर ही करों का अधिक भार पड़ेगा । ये कर समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को ध्यान में रख कर ही लगाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी अर्थ-व्यवस्था में निजी बैंकों का क्या महत्व है ? देश की प्रगति के मेरूदण्ड यही हैं। सामान्यतया इनकी प्रगति संतोषजनक रही है।

इन बैंकों के निक्षेप और इनके द्वारा दिया जाने वाले अग्रिम धन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। अभी उनके पास ८५० करोड़ रुपयों के निक्षेप हैं। वाणिज्यिक बैंकों के समूचे निक्षेप भी १९५६ में बढ़कर १,१२५ करोड़ रुपयों के हो गये हैं, जो १९५४ में केवल ९५० करोड़ रुपये थे ।

उनके द्वारा दी जाने वाली अग्रिमधन की राशि भी १९५६ में ७८८ करोड़ रुपये हो गई थी, जो १९५४ में ५५० करोड़ रुपये ही थी । औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगमों की स्थापना से निजी बैंकों को बड़ा लाभ होगा। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राज्य वित्त निगम बनाने के स्थान पर, सरकार को एक केन्द्रीय वित्त निगम की स्थापना करके, विभिन्न राज्यों में उसकी शाखायें बना देनी चाहिये । इससे अधिक मितव्ययता और सह-योजना की जा सकती है ।

कृषि के क्षेत्र में, ऋण के लिये उचित व्यवस्था नहीं की गई है । मुझे इससे तो प्रसन्नता है कि सूदखोर महाजनों के वर्ग को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर अब ऋण देने की नई सुविधायें पैदा नहीं को गई हैं।

महाजनों के स्थान पर क्या व्यवस्था की गई है ? भू–बंधक बैंकों और सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। रक्षित बैंक ने इसके लिये भारत के राज्य बैंक को सुविधायें भी दी हैं। इसीलिये भारत, के राज्य बैंक ने देहातीक्षेत्रों में बहुत सी शाखायें खोल दी हैं।

इंगलैण्ड और अमरीका में देहाती ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को देखते हुये, हमारे देश में इसकी इतनी अधिक संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई है। इंगलैण्ड का कृषीय बंधक निगम वाणिज्यिक बैंकों के जरिये ही काम करता है ।

अमरीका में भी उन्होंने इसके लिये कई उपाय किये हैं । इसके लिये वहां कई बंधक निगम और सहकारी समितियां हैं। उनमें प्रतियोगिता रहती है।

लेकिन, हमारे देश में ऐसी सुविधायें नहीं हैं। हमारे गांवों की सहकारी समितियों पर गांव के चार-पांच मुखिया ही हावी रहते हैं। बिना उनकी इच्छा के किसी भी कृषक को समिति से ऋण नहीं मिल सकता। सामान्य कृषक उससे वंचित रहते हैं ।

ऋण प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया भी बड़ी लम्बी रखी गई है। पहले समिति सिफ़ारिश करती है, फिर राज्य बैंक उसकी जांच-पड़ताल कराता है। इस प्रकार ऋण मिलने में लगभग वर्ष-डेढ़ वर्ष लग जाता है। सामान्य कृषक को कभी यह विश्वास नहीं रहता कि प्रार्थना-पत्र देने के बाद उसे ऋण मिल ही जायेगा । इसीलिये, सामान्य कृषक समझता है कि ऋण पाने के लिये ईमानदारी नहीं बल्कि चतुराई की जरूरत है ।

वर्तमान कार्यक्रम के बजाये अथवा वर्तमान कार्यक्रम के साथ साथ हमें वाणिज्यिक बैंकों को भारत के राज्य बैंक के समान ही सुविधायें देनी चाहिये कि देहाती क्षेत्रों में शाखायें खोलने पर प्रारम्भ में जो हानि हो उसको रक्षित बैंक सहन करेगा। मेरे विचार से इससे इन वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

[श्री हेडा]

अब मैं चलते फिरते बैंकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमने चलते फिरते डाकघर इस दृष्टिकोण से चालू किये कि इन से प्रारम्भ में जो हानि होगी उसको विभाग वहन करेगा क्योंकि यह डाकखानों के प्रयोग के प्रचार का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि चलते फिरते बैंकों को इसी भावना के आधार पर प्रारम्भ करना चाहिये।

एक ताल्लुक या तहसील को ले लीजिये। हेडक्वार्टर्स में एक शाखा होगी। यदि दो चलते फिरते बैंक आपने चलाने प्रारम्भ कर दिये तो मेरे विचार से इनसे पर्याप्त लाभ होगा। इनके कर्मचारीगण भी ऐसे होने चाहिये जो जनता से अपना सम्पर्क बढ़ाने के लिये उत्सुक हों। इसलिये माननीय वित्त मंत्री से मेरी अपील है कि वह इस योजना को इस दृष्टिकोण से देखें और शीघ्रातिशीघ्र कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को दीर्घकालीन ऋण दिया जा सके। इंगलैण्ड तथा अमेरिका में मकान बनाने, सड़क बनाने के लिये किसानों को ऋण दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस पर ध्यान देगा। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी विचार है कि बिल मार्केटिंग स्कीम से भी ग़ैर सरकारी बैंकों के उद्योग की प्रगति में सहायता मिलेगी।

†**श्री बागशी ठाकुर** (त्रिपुरा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : आज वित्त मंत्रालय की मांगें हमारे सामने हैं जिनमें देश के विकास के लिये धन की मांग की गई है ? हम इसके लिये धन देंगे परन्तु साथ ही साथ हम यह भी देखना चाहेंगे कि जो धन हमने दिया उसका सद्पयोग भी किया गया है अथवा नहीं।

त्रिपुरा को लीजिये। त्रिपुरा की प्रगति के बारे में पर्याप्त कहा जाता है। परन्तु यदि उस धन पर ध्यान रख कर जो व्यय किया जा रहा है, त्रिपुरा को देखें तो हमें संतोष नहीं होगा।

त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कभी कमी नहीं थी परन्तु आज वहां पर इनकी बहुत कमी है। पुनर्वास के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ३० प्रतिशत पुनर्वास काम पूरा हो चुका है जो कि झूठी बात है। वहां पर जाने के लिये केवल विमान मार्ग को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है। न कोई रेल, न कोई सड़क वहां जाने के लिये बनाई गई है। इसी पर ध्यान रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि आप त्रिपुरा की रक्षा करने का किस प्रकार विचार करते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो हालत काश्मीर की है बिल्कुल वही हालत पूर्वोत्तर प्रदेश में त्रिपुरा की है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें समझना चाहिये कि आसाम, मनीपुर, नेफ़ा, लुशाई पर्वत श्रेणियां आदि सभी खतरे में हैं।

भारत सरकार त्रिपुरा के लिये पर्याप्त धन, और पर्याप्त खाद्यान्न दे रही है; इसलिये मैं उनको दोषी नहीं ठहराता हूं। मैं तो इसके लिये प्रशासन को ही दोषी मानता हूं जिसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल रहा है। मेरी माननीय वित्त मंत्री से अपील है कि वह त्रिपुरा पर अधिक ध्यान दे।

मेरे मित्र श्री दशरथ देव के द्वारा प्रस्तुत कुछ कटौती प्रस्तावों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने महाराजा काल की रक्षित भूमि की मांग की है। यह भूमि १९५० वर्ग-मील है जो आदिम जातियों में से पांच उपजातियों के लिये रक्षित थी। यदि सरकार उस आदेश को पुनः लागू कर देगी तो त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास असम्भव हो जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा है कि भूमि के सम्बन्ध में त्रिपुरा के आदिम जाति के लोगों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वह चाहते हैं कि सीमा सम्बन्धी व्यवस्था पहले जैसी पुनः लागू की जानी चाहिये परन्तु इससे हजारों एकड़ भूमि दो ज़मीनों की सीमा के बीच में बेकार पड़ी रहती है। यदि ऐसा किया गया तो पुनर्वास के लिये भारत सरकार भूमिहीन किसानों को भमि किस प्रकार दे सकती हैं।

उन्होंने एक कटौती प्रस्ताव में कहा है कि जो अनुसूचित आदिमजाति के लोग नहीं हैं उनके पुनर्वास पर नियंत्रण लगाया जाये। अनुसूचित जातियों के अलावा जो जातियां हैं उनमें शरणार्थी भी हैं। एक साथ दूसरे प्रस्ताव में यह कहा है कि शरणार्थियों का पुनर्वास ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। यह दो बातें तो उन्होंने एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कही हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चहती हूं। आज हम देख रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं। मैं इस बात को मानती हूं कि जब तक प्राइवेट प्रापर्टी रखने का अधिकार समाज को मिला हुआ है उस वक्त तक हम को टैक्स लगाने ही होंगे। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है और कहां कहां पर कितना कितना लगाना चाहिये, इस बारे में भी मैं आज कुछ अधिक कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करती हूं। मगर जिस पर हमें सब से अधिक एतराज है वह उस पद्धति पर है जोकि पैसा वसूल करने को निर्धारित की गई है। हमें पैसे देने में एतराज नहीं होना चाहिये मगर जो टैक्स रीयलाइज करने की प्रथा आज हम ने रायज की है वह कुढंगी सी है और इससे लोग तंग आ गये हैं, बदकिस्मती से हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वे कुछ ऐसा समझते हैं कि जो टैक्सपेयर्स हैं उन में से ज्यादातर चोर हैं और टैक्सपेयर्स में बिजिनेसमैन जो हैं उन के दिल में कुछ ऐसी बात पैदा हो गई है कि ये जो अधिकारी लोग हैं ये तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अधिकारियों तथा आम जनता में आज बहुत ज्यादा अन्तर पैदा हो गया है और स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती ही जा रही है। मैं समझती हूं कि लोगों को टैक्स अदा करने में तथा वाजिब टैक्स अदा करने में कोई एतराज नहीं है, और इसमें उनको कोई नाराजगी नहीं है। मगर जब वे आफिसिस में जा कर उन अधिकारियों के दिमागों को देखते हैं तो वे, घबरा जाते हैं।

मैं इस बात को मानती हूं कि कुछ लोग चोरी भी करते होंगे, इवेजन भी करते होंगे लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती और न ही कोई और आदमी मान सकता है कि सब के सब ऐसे हैं, सब के सब अप्रमाणिक हैं। मैं ने ऐसे बिजिनेसमैन भी देखे हैं जो प्रामाणिकता से चलना चाहते हैं। लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको भी डिसआनेस्टी के काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अगर इस तरह चलने दिया गया तो हमारे देश में आनेस्टी कभी नहीं रह सकेगी। अब इधर उधर थोड़े बहुत सुधार कर देने से कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का बैसिक सिस्टम है उसमें सुधार की आज अत्यधिक आवश्यकता है। अगर ऐसा न किया गया तो हमारा समाज दिन-प्रति-दिन गिरता ही जायेगा। यह आज जो सिस्टम प्रेवेलेंट है चाहे वह फाइनेस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत हो या किसी दूसरी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत वह ज्यादा-तर सन्देह पर, ज्यादातर ससपिशन पर वेस्ड (आधारित) है। इस वास्ते इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज मैं देख रही हूं कि अधिकारी वर्ग के लिये हमारी समाज में सिम्पैथी नहीं रही है। आज हम यह कहते हैं कि हम ने यहां पर डेमोक्रेसी रायज की हुई है, आज हम ने यहां पर लोक राज की स्थापना की है और लोगों का ही इस राज्य पर अधिकार है लेकिन आज लोग ऐसा महसूस कम करते हैं और वे यह नहीं समझते हैं कि हम इनके ही हितैषी हैं। हम आज इस तरह से टैक्स वसूल करते हैं जिस से

[श्रीमती जयाबेन शाह]

लोगों को भारी परेशानी होती है। अंग्रेजों के जमाने में जो मामलातदार ज्यादा से ज्यादा वसूली करते थे उनको तरक्कियां मिल जाती थीं और वे लोगों के दुःख तकलीफों की कोई परवा नहीं करते थे। हम उस तरह का विधान नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने या न चाहने से क्या होता है। हम आज भी देख रहे हैं कि जो अधिकारी ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा इनकमटैक्स का रुपया वसूल करते हैं या दूसरे टैक्सिस को कोलेक्ट करते हैं उनको मान्यता मिल जाती है। ये सब बातें ठीक नहीं हैं, ऐसा मैं समझती हूं। आप कस्टम्स ड्यूटीज तथा टैक्सों का रुपया वसूल जरुर कीजिये, उसमें कोई हर्ज नहीं है और न किसी को किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिये। जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को छोड़ कर बाकी की चीजों पर टैक्स लगा दीजिये किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कि गरीबों और अमीरों के बीच में कितना ही फासला पैदा हो गया है और इसको टैक्स लगाये बगैर पाटा नहीं जा सकता है। लेकिन जो वसूली की पद्धति है, उसको आप ठीक कीजिये। मुझे एक भाई बतला रहे थे कि हम अपने सिद्धान्तों पर डटे रहना चाहते हैं लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका काम एक महीना, दो महीने, तीन महीने और कितना ही समय गुजर जाये, बनता नहीं है, उनको कुछ कम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। यह चीज बहुत दुखदायी है। जब जनता को अधिकारियों से काम पड़ता है और उसको काम निकलवाना होता है तो कुछ न कुछ और कहीं न कहीं कोरप्शन हो ही जाता है, मैं यह नहीं कहती कि सब के सब अधिकारी कोरप्ट हैं, मगर मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि जल्दी से जो काम किया जाना चाहिये वह वे नहीं करते हैं या करना नहीं आता है। यह बात उनके दिल में नहीं बैठती है कि वे जनता के सेवक हैं। अब भी जब वे एक काम को करने में एक महीना, दो महीने, तीन महीने या छः महीने लगा देते हैं और जब उन से इसका कारण पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि यह गवर्नमेंट क एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट फर्म तो है नहीं जहां जल्दी हो सके। इस तरह की आर्गुमेंट्स उनकी तरफ से पेश की जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम को डेमोक्रेसी को चलाना है तो हमको लोगों की सिमप्थीज भी हासिल करनी होंगी। उनकी सिमप्थीज को अपने साथ रख कर हमें टैक्स वसूल करना चाहिये। अगर हमको सोशलिज्म भारतवर्ष में लाना है तो वह इसी तरह से लाया जा सकता है। जब लोगों के दिलों में यह बात घर कर जायेगी कि यह जो तंत्र है यह उन्हीं के लिये है और उनकी सुख सुविधा के लिये है तो बड़ी आसानी से सोशलिज्म यहां आ सकता है। लोगों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिये कि जो लाज बनाये जाते हैं ये उन्हीं के फायदे के लिये बनाये जाते हैं न कि उनको हैरान और परेशान करने के लिये। मगर इनका इम्पलेमेंटेशन इस तरह से हो रहा है कि वे लोगों के लिये दुःखदायी साबित होने शुरु हो गये हैं।

आज हम कई प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं और लगाते ही रहेंगे। परन्तु जितना श्रम उसके पीछे लगाते हैं उतना श्रम हमको एडमिनिस्ट्रेशन की ओर लगाना चाहिये। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रयत्न एडमिनस्ट्रेशन में सुधार लाने की ओर ज्यादा होने चाहियें। फाइनेंस की बात तो जाने दीजिये, दूसरे छोटे छोटे कामों को करवाने में भी लोगों को कितना ही कष्ट उठाना पड़ता है। इस कष्ट को देख कर हमारे कुछ फ्रेंड्स मजाक में कहते हैं कि बेतहर हो अगर गवर्नमेंट उन से चन्दा ले लिया करे या टाल टैक्स उन से वसूल कर लिया करे और वे इस चीज को वैलकम करेंगे। लोग यह नहीं चाहते हैं कि इतना इंटरफीयरेंस हो जितना कि अब हो रहा है। आज हमारे अधिकांश गण लोगों के साथ पूरे आदर से व्यवहार नहीं करते। यदि उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जायेगा तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। पहले हमने देखा है कि जब पुलिस राज था उस वक्त सत्ता को लोगों को डराने के लिये अपने हाथ में लिया जाता था और यही चीज आज भी चल रही है। अब भी ऐसा देखने में आता है कि जब लोग इनकमटैक्स आफिस में एकांउटस पेश

करने के लिये जाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि मानो वे किसी डी० एस० पी० पुलिस के आफिस में जा रहे हैं। आज उनके दिलों पर इस तरह का असर क्यों होता है, इस पर आपको विचार करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये और इस चीज को दूर करने का कोई न कोई तरीका आपको अवश्य खोजना चाहिये। आज जो सिस्टम चल रहा है उस में किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। आज जो प्राइवेट प्रापर्टी की बात चली आ रही है वह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल वह खत्म होगी और जो गरीब लोग हैं वे बैठे नहीं रहेंगे। जो हम ने कांस्टीट्यूशनल मैथड्स अपनाये हैं अगर उन से हमारा काम न चला तो लोग दूसरा मार्ग अख्तयार करेंगे। मगर इन बातों से लोगों में आज उतनी नाराजगी नहीं है जितनी कि एडमिनिस्ट्रेशन से है। मैं मानती हूं कि हमारे प्लान के प्रति लोगों में जितनी दिलचस्पी होनी चाहिये उतनी आज नहीं है। यह भी आपको मानना पड़ेगा कि यह सब एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की वजह से है। इस वजह से लोग आज हमारे खिलाफ हो रहे हैं। वे समझते नहीं हैं कि जितने भी आज काम हो रहे हैं उनके लिये ही हो रहे हैं। वे समझते नहीं है कि ये जो तालाब बन रहे हैं, ये जो ताल्लुको में बैंक खुल रहे हैं, उन के फायदे के लिये बन रहे हैं और खुल रहे हैं। हम जब उन से जा कर पूछते हैं तो वे बार बार कहते हैं कि अधिकारियों ने यह ज्यादती की और वह ज्यादती की। आज हमें अधिकारियों को यह बात सिखानी होगी कि उन्हें जो कुछ करना है उसे उनकी गुडविल हासिल कर के ही करना है। अधिकारियों को चाहिये कि वे लोगों में इस भावना को पैदा करें कि वे उसके ही सेवक हैं और उसके हित में ही काम करना उनका फर्ज है। इस तरह यदि किया गया तो लोग खुशी खुशी पैसा जो उनको देना है, दे देंगे और पूरी सहायता भी करेंगे।

इस बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं मानती हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों का ऐसा ही अनुभव है कि टैक्स क्लेक्शन के बारे में लोगों को ज्यादा दिक्कत पड़ती है तो उसके बारे में कोई जांच कमेटी नियुक्त की जाये। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि आज जिस तरह काम चल रहा है और हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है अगर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा काम बिगड़ जायेगा और हमारा प्लान भी आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि लोग पैसा नहीं देंगे और अगर पैसा आपने उनसे किसी तरह ले भी लिया तो पैसा तो आपको जरुर मिल जायेगा लेकिन वे अपना दिल कभी भी नहीं देंगे और जब तक लोगों का दिल हमारे साथ नहीं होगा सफलता हम से दूर रहेगी। अमीर का दिल तो वैसे ही इन टैक्सों की वजह से चढ़ा हुआ है लेकिन गरीब भी आज तंग और परेशान है और वह भी हमारे ऐडमिनिट्रेशन से तंग आया हुआ है? आज जो हमें द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े बड़े काम करने हैं, बांध और प्राजेक्ट्स बनाने हैं, जब तक लोगों का दिल नेशन का साथ नहीं होगा तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज जो हमें अपने प्लान को कामयाब बनाने के अन्दर कठिनाई महसूस होती है उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोगों का दिल उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है।

फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर काबू रखता है क्योंकि सरे कागजात उस के पास आते हैं, सारी स्कीमें उनके पास पहुंचती है और उन स्कीमों के लिये पैसा भी वही सैंक्शन करता है, वह ऐसा द्वार है जिस में से कि हो कर सबको निकलना पड़ता है और वह द्वार इतना छोटा होता है कि उस में से निकलने में काफी मुश्किल पेश आती है और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी तंग आ जाते हैं। इस के सम्बन्ध में मेरा भी कुछ थोड़ा अनुभव है और मैं चाहती हूं कि उस पर विचार करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की जाये।

हम ने सोचा था कि स्वराज्य मिलने पर जब शासन की बागडोर हमारे हाथों में आयेगी तब यह सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधर जायेगा और बदल जायेगा लेकिन दुःख का विषय है कि हमारी वह आशा पूरी नहीं हुई और वह सुधरने के बदले दिन पर दिन और अधिक रिजिड हो रहा है उसमें

[श्रीमती जयाबेन शाह]

डायनामिज्म नहीं है और जब तक वह नहीं आयेगी तब तक कोई भी काम नहीं बनेगा। जहां तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का सम्बन्ध है मैं जानती हूं कि वह इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और अगर उनकी यह इच्छा पूरी हो जाती है तो उस में मुझे खुशी होगी। कौन ऐसा अभागा इस देश में होगा कि जो गरीब लोगों की तरक्की और खुशहाली को देख कर खुश न होगा। लेकिन हमें देखना चाहिये कि क्या हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इस दस वर्ष के दौरान में हम ने कितनी प्रगति की है। मेरी राय में जितना आगे हमें बढ़ना चाहिये था इस अर्से में हम नहीं बढ़े हैं। इधर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कम्युनिज्म की ओर हमारी जनता आकर्षित हो रही है। कम्युनिज्म कई लोगों को बहुत प्रिय है और इसलिये उसकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बल्कि यह इस कारण है कि लोग आज इस ऐडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे ढंग से अत्याधिक तंग आ गये हैं। हमें सत्ता के बल पर यह समझ कर मनमाने ढंग से नहीं चलते जाना चाहिये कि हम जनता से टैक्स और पैसा वसूल कर ही लेंगे क्योंकि जैसा मैं ने आपसे पहले कहा जनता का दिल साथ ले कर हमें चलना होगा तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, आज प्रजातंत्र के युग में हमारा वैसा खयाल कर के चलना ठीक नहीं होगा और जनता उसको चुपचाप बर्दाश्त भी नहीं करेगी और इस तरह हमारा सब काम बिगड़ जायेगा।

मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि जो टैक्स गरीब जनता पर पड़ रहा है उसमें कुछ कमी करें और साथ ही वह चीजें जो कि जनता को मुश्किल और परेशानी में डालने वाली हैं उनको हटा दें। ऐसा करने पर कुछ कम पैसा भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है।

आज तो हम देख रहे हैं कि समाज में एक म्युचुएल चीटिंग क्लब सा चल रहा है जिसमें अधिकारी वर्ग लोगों को परेशान करता है और जनता तथा व्यापारी वर्ग अधिकारियों को बना कर टैक्स इवेजन करते हैं और यह आज सब पर जाहिर है कि "ओनेस्टी इज नौट ए वर्च् इन बिजनैस कम्युनिटी"। यह सब गड़बड़ इसीलिये हो रही है कि हमारा प्रशासन ठीक ढंग पर नहीं चल रहा है और जनता उससे परेशान हो गई है। कुछ लोग यह कहते हैं सुने जाते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसे ही होता है और यू० के० और यू० एस० ए० में भी ऐसे ही चलता है और वहां लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन मैं बतलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की जनता इस तरह के गलत ढंग से चल रहे ऐडमिनिस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेगी और हमें समय रहते उस में आवश्यक सुधार कर लेना चाहिये।

कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं कि कांग्रेस सत्ता के मोह में है और अब वह जनता की सेवक नहीं रही है लेकिन मैं उन से सहमत न होते हुए यह बतलाना चाहती हूं कि कांग्रेस आज से नहीं जब से उसका जन्म हुआ है, जनता की सेवा करती आई है, कर रही है और आगे करती जायेगी। आज समय है जब हम अपने उन सिद्धांतों और आदर्शों को अमल में लायें जिनको कि हम कांग्रेस वालों ने सदा से अपने सामने रक्खा है। आज हमारी सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि यह जो प्रशासन जनता को तंग करता है, उसमें जो खामियां, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करें और जब हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जायेगा तब जनता से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। आज हम देखते हैं कि रिश्वतखोरी चलती है और चोरबाजारी करने वाले या और किसी प्रकार की चोरी करने वाला यदि सम्बन्धित अधिकारी को जेब में पैसा डाल देता है तो सब ठीक हो जाता है। सरकार को बड़ी गम्भीरता के साथ अपने प्रशासन में सुधार करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें क्योंकि इसके किये बिना हमारा काम आगे चलने वाला नहीं है और जनता से भी पूरा सहयोग मिलने वाला नहीं है। आज देखने में आता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो नम्रता का भाव होना चाहिये वह देखने को नहीं मिलता है और जनता को अक्सर उसके बारे में शिकायत रहती है। आज प्रजातंत्र

के युग में यह बहुत जरुरी है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन अपना पुराना रवैय्या बदले और जनता के साथ शिष्टता और नम्रता से पेश आये। मैं समझती हूं कि हमारा काम आज ज्यादा इसलिये बिगड़ा है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में वही पुरानी नौकरशाही की मनोवृत्ति विद्यमान है और उन्होंने अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप नहीं बनाया है। आज हमें इस काम को हाथ में लेना चाहिये और ऐडमिनिस्ट्रेशन में बिना विलम्ब किये सुधार करना चाहिये और मैं तो समझती हूं कि जब तक उसमें सुधार नहीं होता तब तक उन पर हमें टैक्स लगाने का अधिकार भी नहीं है। यह तय बात है कि अगर आपने इसको नहीं बदला और जनता के असन्तोष को दूर नहीं किया और जनता के दिल में ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति प्रेम भाव नहीं रहा तो आपकी यह जो बड़ी बड़ी स्कीमें बांध बांधने और प्राजेक्ट्स बनाने की हैं, सफल नहीं होंगी और जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। हमें इस दिशा में गम्भीरता से सोचना चाहिये और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिसमें कि हमें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आभारी हूं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा चलाई गई नीतियों के सम्बन्ध में इतने कम समय में कुछ कहना कठिन तो है परन्तु फिर भी मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि यह नीतियां किस सीमा तक ठीक रास्ते पर हैं और किस सीमा तक निर्धारित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही हैं।

हमारे वित्त मंत्री ने कुछ उद्घोषणाओं के द्वारा उन प्रथाओं को बदल दिया है जो दीर्घकाल से चली आई थी और जिन पर अंग्रेजों की छाप थी। हम इसका स्वागत करते हैं जब यह वित्त मंत्री के पद पर आसीन हुए उस समय एक योजना समाप्त हो चुकी थी और दूसरी प्रारम्भ हो रही थी और ऐसे अवसर पर, कुछ नई योजनायें बनाई जानी थीं, कृषि उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाना था। सिंचाई योजनायें बढ़ाई गई और विकास के अन्य कार्यक्रम तैयार किये गये। इसीलिये इस मंत्रालय की आलोचना करने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिये कि वित्त मंत्री ने इस मंत्रालय का भार बड़े कठिन समय में संभाला था। प्रोफेसर मारिस डॉब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष भारतीय अर्थ व्यवस्था पर बोलते हुए कहा था कि भारतीय अर्थ व्यवस्था इस समय कुछ उसी प्रकार की है जैसी १९२८ में रूस की अर्थ व्यवस्था थी। उस कठिन समय में स्टालिन के शक्तिशाली निर्णय के कारण ही रूस की अर्थ व्यवस्था आज ऐसी है और इसीलिये रूस अपने उद्योगों का विकास कर पाया है और वह फासिस्टों का मुकाबला कर सका है। अब हमें यही देखना है कि हमारा वित्त मंत्रालय इस कठिन समय में क्या निर्णय करता है जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था की प्रगति होगी अथवा अवनति होगी।

मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री एक नीति निर्धारित करना चाहते हैं परन्तु साथ ही साथ उसको लागू करते समय उन्हें सामाजिक व राजनैतिक बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए नीति को अन्तिम रूप देते समय इनका प्रभाव पड़ना आवश्यक है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था किस प्रकार की है। मेरी राय में, हमारी अर्थव्यवस्था अंशतः नियंत्रित है और अंशतः स्वतंत्र है; इस स्थिति में मुद्रास्फीति हो सकती है। अब हमें यही देखना है कि हमारे वित्त मंत्री की नीति इस मुद्रास्फति को रोकने तथा विनियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी सफल होती है। इसकी सफलता अथवा असफलता इसके द्वारा निकले परिणामों से ही जांची जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

वित्त मंत्री ने धन कर तथा व्यय कर के प्रस्ताव रखे हैं। और जहां तक मुझे याद है उन्होंने मद्रास में एक भाषण में कहा था कि वह लगान को समाप्त कर के कृषि की आय पर कर लगाना चाहते हैं। यह भी एक बड़ा साहसपूर्ण कार्य होगा। प्रोफेसर काल्डोर ने भी कहा है कि भूराजस्व से प्राप्त ५० करोड़ रुपयों में से सरकार को थोड़ी सी आय भी नहीं होती है। परन्तु इस दिशा में कुछ करना कठिन ही दिखाई देता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल किसानों को नाराज करना नहीं चाहता। वह जानते हैं कि किसानों के बल पर ही तो वह सत्तारूढ़ हैं। यदि कृषि आय पर कर की व्यवस्था कर दी जाये तो सरकार को पर्याप्त आय हो सकती है। परन्तु मद्रास के भाषण के पश्चात् हम ने वित्त मंत्री से इस बारे में कुछ नहीं सुना।

धन कर तथा व्यय कर बड़ी प्रगतिशील प्रस्थापनायें हैं। संभव है उन में कुछ कमियां हों तो वह संविहित प्रस्त में रखे जाने के पश्चात् भी दूर की जा सकती हैं। मैं चाहता हूं कि करारोपण के ढांचे को बदलने के लिये उन्हें राज्यों को भूराजस्व बढ़ाने के निदेश देने चाहियें। भू-राजस्व को वसूल करने का ढंग भी यथासंभव परिवर्तित करना चाहिये।

कुछ दिन पूर्व उन्होंने रक्षित बैंक के द्वारा बैंकिंग संस्थाओं को आदेश दिये कि खाद्यान्नों पर कोई अग्रिम धन नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु इसके कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकले। मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। उन्हें समझना चाहिये कि पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था में यह आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों पर कोई असर न हो। तभी आप प्रगति कर सकते हैं और समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया गया और यही इस नीति की असफलता है।

बैंकिंग पर विचार करते समय हमें इस पर भी विचार करना है कि वित्त मंत्री बैंकिंग का ढांचा किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। वह हमें यही बतायेंगे कि हम ने इंगलैंड के समान पांच वाणिज्यिक बैंक बना दिये हैं। परन्तु हम ने हाल में ही यह देखा है कि यह बैंक अपनी स्थिति का पूरा लाभ उठा रहे हैं और क्षेत्रीय बैंकिंग संस्थाओं के काम में इन से बाधा पहुंच रही है जो कि वास्तव में जनता की मांग को पूरा करते हैं। इसीलिये मैं जनाना चाहता हूं कि वह किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था करना चाहते हैं।

मैं यह नहीं चाहता कि आप बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीय करण कर दें परन्तु यह चाहता हूं कि इन पर, एक कठोर नियंत्रण होना चाहिये। पुनर्वित्त निगम के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं। मराठी भाषा भाषी क्षेत्र में एक महाराष्ट्र बैंक है परन्तु छोटा होने के कारण उसको धन नहीं दिया जा रहा है। केवल १५ बड़े बड़े बैंकों को यह सुविधा दी जा रही है। इसीलिये मेरा सुझाव है कि पुनर्वित्त निगम को इस प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहियें और सभी को समान रूप से देखना चाहिये जिस से छोटे क्षेत्रीय बैंकों का भी विकास हो सके।

बीमे के सम्बन्ध में हमारा विचार था कि राष्ट्रीयकरण से मामला सुधर जायेगा। परन्तु हमारा गत वर्ष का यह अनुभव है कि जीवन बीमा निगम के द्वारा हमें ७० करोड़ रुपये की हानि हुई है। आप धन पर नियंत्रण रखना चाहते थे परन्तु धन पर नियंत्रण रखना और क्षेत्रीय कार्य में बड़ा अन्तर होता है। जिनकी बीमे के व्यापार में रूचि होती थी वह बड़े उत्साह से काम करते थे और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जनता को बीमा कराने के लिये उत्सुक करते थे। परन्तु अब व्यापार की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। हमें राष्ट्रीयकरण के परिणामों को भी देखना चाहिये। मेरा विचार है कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई जिन से जनता ठीक प्रकार से प्रोत्साहित हो सके तो व्यापार बढ़ाया जा सकता है।

महाराष्ट्र में वेस्टर्न इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी की जो लोगों को बलिदान से फली फूली । परन्तु अब बलिदान तथा त्याग पर ध्यान न रखते हुए बीमे के सभी कर्मचारियों को एक ही श्रेणी में रख दिया गया है । श्रेणी निर्धारित करने के लिये लाल आयोग नियुक्त किया गया था । इन लोगों के साथ जो अन्याय किया गया है उसे दूर करना चाहिये और जो व्यक्ति इस काम में उत्साह दिखावें उनको यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि एक निश्चित धन राशि उसी क्षेत्र में लगा दी जायेगी जिस क्षेत्र के कर्मचारियों ने अधिक उत्साह से काम किया हो ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि विकास के लिये करारोपण आवश्यक है ; हमें केवल प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री नाडकर्णी (उस्मानाबाद) : मैं वित्त मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये उठा हूं। सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये हैं कि सरकार जनता की सामान्य रुचि का ध्यान नहीं रख रही है और जानबूझ कर उस ने समाजवाद की ओर जाने के अपने लक्ष्य की गति धीमी कर दी है । मेरा निवेदन है कि कुछ वर्षों से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में हमारा देश ही है जिसने समाजवाद अथवा समुदाय कल्याण के लक्ष्य को अपने सामने रखा है । मैं मानता हूं जनसंख्या की वृद्धि तथा परिस्थितियों के परिवर्तन से कुछ कठिन समस्यायें हमारे सामने आ गई हैं । परन्तु मुझे इसका गर्व है कि इन कठिनाइयों के रहने पर भी विभिन्न अधिनियमों के द्वारा हमारा देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है ।

हमारे वित्त मंत्री पर आरोप लगाये गये हैं कि उनकी वित्त व्यवस्था सैद्धान्तिक है, आयोजित नहीं । मेरे विचार से यह आरोप सर्वथा असत्य है । उपलब्ध संसाधनो का उपयोग न करने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था अविकसित रही है । इस समय भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और विनियोजन बहुत कम है। परन्तु फिर भी १९५६ से इस में पर्याप्त प्रगति हुई है। प्रथम योजना की क्रियान्विति के समय यह आशा की जाती थी कि ११ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी परन्तु इस योजना की समाप्ति पर राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ गई है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पर्याप्त वृद्धि हुई है और हमारी वित्त व्यवस्था सैद्धान्तिक नहीं है अपितु गंभीर है । योजना का यह अर्थ नहीं है कि केवल संसाधनों का विकास हो । मेरे विचार से योजना का अर्थ है सभी प्रकार से देश का समुचित विकास । सरकार के लिये समान विरोधी, पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करने की बातें कही गईं । मेरे विचार से इस प्रकार की आलोचना करने का कोई आधार नहीं है ।

धन कर तथा व्यय कर विधेयकों से यह पता लग जाता है कि हमारी सरकार समाजवाद की ओर जा रही है और पूंजीपतियों के साथ पक्षपात नहीं कर रही है । कल किसी सदस्य ने सरकार की मद्यनिषेध नीति की आलोचना की । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र राज्य में समाज कल्याण के लिये मद्यनिषेध नीति एक मुख्य नीति है । संविधान भी हमें देश में पूर्ण मद्यनिषेध की स्वीकृति देता है । इस सभा ने ३१ मार्च, १९५६ को मद्यनिषेध का एक संकल्प पारित किया और इसके लिये बहुत सी योजनाओं और सिफारिशों को सामने रखा और तभी हमने मद्यनिषेध की शपथ ली थी । मद्यनिषेध बड़ा आवश्यक है और अब लगभग ४५ प्रतिशत जनता मद्यनिषेध विधि के अधीन है । बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के स्कूल ने ऐसे लोगों के पारिवारिक आय-व्ययकों का सवक्षण किया है जिन में से कुछ शराब के आदी नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नलद्गंकर]

उनके आंकड़ों से यह पता लग जाता है कि मदिरा आदि पीने से खाद्यान्न आदि के व्यय में अन्तर पड़ता है। मद्रास में किये गये सर्वेक्षण के भी यही परिणाम थे। मद्यनिषेध जांच समिति ने १९४५-४६ में अपने प्रतिवेदन में कहा था कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १६५ रुपये हैं और शराब पीने पर प्रति व्यक्ति व्यय १०८ रुपये है। सरकार की मद्यनिषेध नीति बड़ी सफल रही है। शोलापुर और बम्बई में कुछ परिवार थे जो मदिरा के कारण ऋण में इतने दब गये थे कि उन्हें अपनी सम्पत्ति तक बेचनी पड़ी थी। परन्तु अब काश्तकारी विधि के कुछ उपबन्धों के कारण वह ऐसा करने से बच गये और उनकी हालत अब सुधर गई है। बाद में जब शोलापुर और बम्बई में मद्यनिषेध लागू किया गया तो उनकी दशा में और सुधार हुआ। इसलिये प्रकट है कि सभी आर्थिक मामलों में देश ने समुचित प्रगति की है।

समाजवाद पूर्वी विचार धारा के लिये कोई नयी बात नहीं है। पुराने समय में राजा लोगों के राज्य में भी समाजवाद के सिद्धांतों का पालन होता था। हमारे धार्मिक और नैतिक सिद्धांत भी इस मामले में बड़े स्पष्ट हैं। हमें तो अपने महान नेताओं, तिलक और गांधी के रास्ते पर चलना है। इसलिये हमें विदेशी समाजवाद नहीं चाहिये, हमें तो वह समाजवाद चाहिये जो हमारे देश की परिस्थितियों में ठीक बैठता है।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : मैं अपने थोड़े समय में जीवन बीमा निगम और विशेष तौर पर इसकी नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। १९५६ में बीमें के काम में जो भारी कमी हुई है उसकी मुझे चिन्ता नहीं। राष्ट्रीयकरण के कारण ऐसा हो जाने की आशा ही था। निगम पर भी तो सारे १९५६ वर्ष की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। उसको देखने के लिये एक वर्ष तक और प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद भी यदि अवस्था यही रहे तो चिन्ता का गम्भीर कारण अवश्य बन जाता है। परन्तु यह बात मैं कह देना चाहता हूं कि निगम का सेवा कार्य राष्ट्रीयकरण के पहले से अच्छा नहीं। बीमा व्यापार के कर्मचारियों से तो ठीक है समझौता हो गया है परन्तु क्षेत्रीय कर्मचारियों में अभी असन्तोष ही चला आ रहा है। और क्षेत्रीय कर्मचारी ही इस व्यवसाय की जान हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनके असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे। परन्तु मुझे विनियोजन नीति के बारे में भी कुछ कहना है।

राष्ट्रीयकरण के समय भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सभी आस्तियों में जो आनुपातिक विनियोजन हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद ही गिरवी कर्जों में विनियोजन बन्द कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत परेशानी हुई है। क्योंकि ये लोग इसी प्रकार कर्जा ले कर मकानादि बनवा लिया करते थे। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया है। वित्त मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में विनियोजन के बारे में मार्ग दर्शन के लिये एक समिति बनाने की बात कहीं थी। उस बारे में क्या किया गया है ?

इस बजट के कारण स्टाक एक्सचेंजों के अंशों का दाम बहुत गिरा तो जीवन बीमा निगम ने भारी संख्या में अंश खरीद लिये। शायद इसके बिना स्टाक एक्सचेजों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। इस से २०० करोड़ से अधिक की हानि हुई। स्टाक एक्सचेंज चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में ही आते हों परन्तु सरकारी सहायता के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के विभिन्न एक्सचेंजों द्वारा किस अनुपात से निगम का धन विनियोजित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीयकरण के समय निगम का प्रधान कार्यालय बम्बई में रखने का इसीलिये विरोध हुआ था कि कहीं वित्तीय केन्द्रीयकरण न हो जाये। बम्बई में रूपये की मंड़ी कलकत्ते की मंड़ी से कोई बहुत बढ़िया नहीं है। देश के तीन, मुख्य उद्योग कोयला, चाय और पटसन कलकत्ते के पास ही स्थित हैं। और प्रधान कार्यालय के लिये वह उपयुक्त स्थान था। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर विचार कर कार्यालय को कलकत्ता ही ले जाना चाहिये, क्योंकि बहुत अधिक केन्द्रीयकरण राष्ट्र के हित की बात नहीं है।

मैं निगम क्षेत्र के सम्बन्ध में वित्तीय विभाग के प्रशासनिक संगठन के बारे में भी कुछ जानकारी चाहता हूं। भूतपूर्व वित्त मंत्री की तो राय यह थी कि सहकारी क्षेत्र के सभी वित्तीय वभिागों को एक ही स्थान पर कर दिया जायेगा। पर अभी मैं ने एक समाचार पत्र में एक समचार पढ़ा है कि समवाय विधि प्रशासन विभाग वाणिज्य मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा बताई गई नीति में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। ब्रिटेन में राजस्व बोर्ड सरकारी आधार पर चलने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं का काम देखता है। मेरे विचार में यह उपयुक्त भी है। परन्तु ऐसे क्या कारण हैं। जिनके लिये सरकार भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित नीति का परित्याग करना चाहती है।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–पूर्व): मैं तो यह चाहता था कि वित्त मंत्रालय की गतिविधियों नीतियों और सिद्धॉतों पर सविस्तार कुछ कहूं, पर अभी हाल कुछ विशेषों पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा। जीवन बीमा निगम के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं, परन्तु उस सम्बन्ध में मैं ने जो सूचना दी है, उसकी चर्चा के समय ही मैं उस पर विचार करूंगा। परन्तु समय मिला तो निगम के कार्य के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख अवश्य करूंगा।

सब से पहले मैं सदन का ध्यान उन हथकंडों की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं जो यहां कुछ विदेशी सार्थ और समवाय अपना रहे हैं। उन हथकंडों के कारण हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा और राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। यह सार्थ और समवाय कई प्रकार के फर्जी नाम रख कर कई प्रकार से हमें धोखा दे कर हमें विदेशी मुद्रा की हानि पहुंचा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पूर्वी यूरोप के कुछ देशों का नाम लिया जा सकता है। परन्तु नाम लेना ठीक नहीं। ये विदेशी सार्थ भारत में अपनी शाखायें खोले हुए हैं और उन शाखाओं के केवल अभिकर्त्ता कहते हैं अतः यदि हानि होती है तो भारतीय शाखा को होती है शेष सारा लाभ तो इंगलैंड में ही चला जाता है अतः हमारी विदेशी मुद्रा की हानि होती है उनके इस प्रकार के व्यापार से वे खूब कमाई करते हैं भारतीय उद्योगों को कुछ लाभ पहुंचाये बगैर भारतीय श्रम को भी हानि पहुंचाते हैं और साथ ही भारत उन डालरों से भी वंचित रह जाता है। सरकार भी कर से वंचित रह जाती है। यह स्थिति बड़ी गम्भीर है। और उसका उपचार किया ही जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इन मामलों की पूरी जांच करें और देखें कि कितने सार्थ यह काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्हें रोकने के लिये किसी प्रकार की समुचित सजा की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें आंगल मुद्रा से अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये। यह मैं कोई भावुकता के आवेश में नहीं कहता। प्रत्युत आर्थिक आधारों पर कह रहा हूं। और मेरे विचार में हमारी वित्तीय सुरक्षा और द्वित्तीय पंच वर्षीय योजना की सुरक्षा भी इसी में है। अपने देश की मुद्रा को हमें किसी देश के साथ बांध कर नहीं रखना चाहिये। परन्तु आज तो आंगल मुद्रा की स्थिति भी बड़ी सन्देहजनक हो रही है। इस सम्बन्ध में स्वयं ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों और प्रेस ने इस सम्बन्ध में अपने मत व्यक्ति किये हैं। १० जुलाई को श्री पीटर थोर्नी

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री साधन गुप्त]

करोफट ने, जो कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, भी कहा था कि यदि चलाई की गिरती हुई अवस्था में ब्रिटेन ने अपनी मुद्रास्फीति की समस्या का कोई हल न किया गया तो मामला गम्भीर हो जायेगा। उन्होंने यह भी माना कि केवल ढंगों में सुधार कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिये उन्होंने दो तरीके बताये, एक यह कि जितनी भी हो सके बचत की जाये। और दूसरा यह कि मजूरी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि आज की अवस्था में मजूरी नियंत्रण के बिना मुद्रा स्फीति को रोका नहीं जा सकता। यह एक चेतावनी है जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये अन्यथा तमाम हालात की जिम्मेदारी उस पर होगी।

इस समय जब कि हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था तथा सारा विकास कार्यक्रम खतरे में हैं, हमें स्थिति के साथ जुआ खेलना नहीं चाहिये। साथ ही हमें ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाना चाहिये जिस पर कि शायद सरकार नियंत्रण न कर सके। जो दो बातें श्री थोर्नी क्रोफट ने बताई हैं वे भी रामबाण सिद्ध नहीं हो सकती। इस हालात में मैं तो अपने देश की मुद्रा को नष्ट करने के हक में नहीं हूं। यदि हम ब्रिटेन पर विश्वास भी कर लें तो मजूरी नियंत्रण के सम्बन्ध में हम क्या करेंगे ? ब्रिटेन का सत्ताधारी दल इसी विचार का है कि मजूरी नियंत्रण के बिना हम मुद्रास्फीति से नहीं बच सकते। परन्तु परिवहन और सामान्य श्रमिक संघ ने सितम्बर में होने वाले श्रमक संघ कांग्रेस अधिवेशन के लिये १३,००,००० सदस्यों ने यह प्रस्ताव भेजा हैं, जिसमें यह कह कर कि श्रमिक अपना जीवन स्तर नीचा करना नहीं चाहते, मजूरी नियंत्रण के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया है। इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि श्रमिक संघ का यह निश्चय है कि जब कि कीमतों और मुनाफों का नियंत्रण नहीं किया जा रहा, तो इस प्रकार के पग उठाये जायें जिस से मजूरी का स्तर बढ़ रही कीमतों के बराबर लाया जाये।

इसके बाद कौन कह सकता है कि मजूरी नियंत्रण की नीति सफल होगी, और ब्रिटेन का सत्ताधारी दल यह मान चुका है कि इसके बिना वह मुद्रा स्फूर्ति को रोक नहीं सकेगी। ब्रिटेन की नीति के सम्बन्ध में मैं कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, परन्तु स्वेज और ओमान की घटनाओं का प्रभाव तो उसकी मुद्रा पर पड़ेगा ही।

†श्री द० स० राजू (राजामुंद्री): मैं चिकित्सा सम्बन्धी औषधियों और औजारों के बारे में ही उल्लेख करूंगा। हमारे जैसे पिछड़े हुए देश में योजना का काम बहुत कठिन बात है क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। सन्देह नहीं, कि योजना सफल होगी। परन्तु उसके लिये धन चाहिये, इसलिये कराधान करना ही होगा।

हमारे देश में औषधि तथा शल्य चिकित्सा के औजार अनावश्यक तौर पर बहुत अधिक हैं। आयात की गई बहुत सी औषधियां किसी काम की नहीं हैं। इन पर बिना कारण ही देश का धन नष्ट किया जा रहा है। थोड़ सी औषधियां से ही बहुत सी व्याधियों का इलाज हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिये इसमें अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधि होने चाहिये। समिति को स्थान स्थान पर जा कर सारे मामले का अध्ययन कर के आवश्यक औषधियों और शल्य औजारों की एक सूची तैयार करनी चाहिये ? इससे विदेश विनिमय में जाने वाला देश का बहुत सा धन बच जायेगा। जिसका उपयोग हम अन्य कार्यों में कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समिति को आयुर्वेदिक युनानी और होम्योपैथी औषधियों के नाम भी सूची में रखने चाहियें। मेरे विचार में इस समिति से बहुत लाभ होगा और हमें प्रयत्न करना चाहिये कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के काल समाप्त होने पर हम इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

†श्री नरसिंहन् (कृष्ण गिरि) : मैं सरकारी ऋण व्यवस्था के महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। इस मामले पर संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी। अन्य देशों में इसके लिये ढंग दूसरा है। अमेरिका में केवल संघीय सरकार को ऋण लेने का विधिवत अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में लोक सभा ही सरकार द्वारा ऋण लेने के सम्बन्ध में निर्णय करती है। कनाडा में भी लगभग यही व्यवस्था है।

जब यह प्रश्न संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत था तो हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया था कि सरकार के उधार लेने के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश अवश्य होना चाहिये। इसी प्रकार के विचार डाक्टर अम्बेडकर महोदय ने भी प्रकट किये थे। हमारा लोक तंत्र अभी विकास की अवस्था में है हमें इस प्रकार की अच्छी परम्परायों और प्रक्रियाओं का निर्माण करना चाहिये जो कि परिपक्व हो। हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा। विदेशी मुद्रा की राशि इस समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे पौंड पावने की राशि भी कम हो गयी है। समझ में नहीं आता कि किस को दोष दें ? वैसे तो सभी मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार है किन्तु फिर भी ऐसी बातें हो रही हैं। जब सरकार इस प्रकार आश्चर्य प्रकट करती है तो हम समझते हैं कि हमें पहले इसकी खबर नहीं थी। मैं तो विरोधी दल को भी दोषी ठहराता हूं, क्योंकि उसने भी इस बात की कभी चेतावनी नहीं दी। वास्तव में विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पहले हमें अनुभव ही नहीं था। मुझे आशा है कि भविष्य में हम इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी से काम करेंगे और कोई भूल नहीं करेंगे।

कई लोगों ने सरकारी सहायता की आशा कर के और यह आशा कर के कि काम चलाने के लिये वे विदेशी मुद्री की सहायता लेते रहेंगे, उद्योग चालू किये थे। अपना पैसा तो उन्होंने उत्पादन शुरु करने में लगा दिया अब उन्हें भी कठिनाई हो रही है। हमें इस तरह की बढ़ती हुई कठिनाइयों की ओर ध्यान देना है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अर्थ-प्राणाली समाजवादी कहा जाता है। समय समय पर इस के कई प्रकार के नाम करण किये जाते हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी, सोशलिस्ट इकानोमी, आदि। परन्तु इस का क्या आधार है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। यदि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी या समाजवादी अर्थ–प्रणाली का अर्थ यह हो कि उस में सारे हिन्दुस्तान का भाव है–हमारे गावों में जो आदमी हैं, उनका भी भाव है, तो जहां तक अब तक काम हुआ है, जिस प्रकार अभी तक यह प्रणाली काम में लाई गई है, मैं नहीं देखता कि उन का ध्यान रखा गया है। मैं इस पर भी विशेष बोलना नहीं चाहता। जब योजना पर बहस होगी–जो कि होने वाली है–तब, यदि मुझे समय मिला, तो, मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। सरकार के दृष्टिकोण से अथवा अन्य लोगों के दृष्टिकोण से जो प्राणाली अभी चल रही है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

इस प्रणाली में यह बात मान ली गई है कि प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर (सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र) दोनों रहेंगे –इस में दोनों को ही स्थान दिया गया है। अब हम को यह देखना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

है कि इन दोनों सैक्टरों में से रुपया पैसा लगा कर, चाहे वह सरकारी का हो, कम्पनी का हो या किसी निजी व्यक्ति का हो, हम को—इस देश को क्या फल मिला, किस सैक्टर से अधिक फल मिला । इस से पहले में एक बात और कहना चाहता था, वह मैं कहे देता हूं । एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में, या पब्लिक सैक्टर के विषय में हमारी सरकार की जो कार्यवाहियां हैं, वे हमारी समझ में नहीं आतीं और हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार वह काम करती है । अचानक कोई बात हो उठती है । जैसा कि अभी हमारे पूर्ववक्ता ने बतलाया, फारिन एक्सचेंज के बारे में हमको अचानक जान पड़ता है कि हमारा फारिन एक्सचेंज कहां चला गया । उसको हाहाकार मच रही है । जब हमारी कामर्स मिस्ट्री काम करती है और हमारी फाइनेन्स मिनिस्ट्री काम कर रही है तो क्या वे इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि हमारे फारिन एक्सचेंज की क्या हालत है । और किसी खास कार्यवाही का इस पर क्या असर होगा । हमारे यहां इतने सेक्रेटरीज हैं, एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर साहीबान हैं, डिप्टी मिनिस्टर साहिबान हैं, सब कोई हैं, फिर भी इस चीज़ को अपनी दृष्टि में क्यों नहीं रखते कि हमको क्या करना है और यदि हमारे फारिन एक्सचेंज की यह अवस्था हो जायेगी तो हमारे देश की क्या अवस्था होगी । मैं तो यही सोचता हूं कि एक ढर्रा सा लगा दिया है और उस ढर्रे के साथ चलते हैं, सारी चीज़ को दृष्टि में नहीं रखते । कोई एक बात एक समय खयाल में आ गई कि इस समय कंज्यूमर गुड्स कम है, इस की कीमत सस्ती होनी चाहिये, चलो बाहर से मांग लो और लोगों को सस्ता दे दो, कम्पिटीशन कर दो, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो, तो यदि इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली चली तो फिर इस प्रकार की दिक्कतें आती रहेंगी और कभी ऐसी स्थिति हो जायेगी जिस का परिणाम भयानक हो सकता है ।

इसी तरह से हम देखते हैं कि आज अन्न के दाम बहुत बढ़ गये हैं, पता नहीं अन्न कहां चला गया, यद्यपि मैं समझता हूं कि देश में अन्न काफी है । अन्न के सम्बन्ध में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की और सरकार की यह नीति थी कि बैंकों के द्वारा अन्न पर इतना कर्जा न दिया जाय । किन्तु अचानक देखते हैं कि उस पर बहुत सा कर्जा दिया गया । तब हमारे फुड मिनिस्टर (खाद्य मंत्री) साहब दौड़ते फिरते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में चलती हैं और ये बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको सब कोई जानते हैं जो कि मैं ने आप के सामने रखी हैं ।

इस के अलावा और भी बहुत सी शिकायतें समय समय पर व्यक्तियों की तरफ से और संगठनों की तरफ से सरकार के सामने आती रहती हैं । उस समय वे उनके प्रति ध्यान नहीं देते । यहां पर पार्लियामेंट में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का किसी न किसी तरह से उत्तर दे दिया जाता है, किन्तु उस प्रश्न को हल करना है या नहीं इस पर विचार नहीं करते । प्रश्न करने वाले का क्या मंशा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता । वे तो केवल अपना इतना कर्तव्य समझते हैं कि कोई न कोई उत्तर दे दिया जाये और उसके बाद वे अपना कर्तव्य पूरा हुआ समझते हैं । परन्तु प्रश्न करने वाले का कुछ मंशा रहता है, वह जो प्रश्न कर रहा है उसमें एक गम्भीर बात होती है जिसको सरकार को सोचना चाहिये और ठीक करना चाहिये । परन्तु उसके प्रति ध्यान नहीं देते । और जो शिकायत करते हैं उसके प्रति भी ध्यान नहीं देते ।

अगर मैं हर एक डिपार्टमेंट की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सारी बातें कहूं तो बहुत समय लगेगा और सब बात मैं कह भी नहीं सकूंगा । मोटी मोटी बातें मैं ने आप के सामने रख दी हैं । मैं वित्त मंत्री साहब से पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं और ऐसी बातें अचानक क्यों हो उठती हैं । चार पांच बरस पहले भी ऐसा ही हुआ था । हमारा स्टर्लिंग बैलेंस इंगलैंड में बहुत पड़ा हुआ था ।

अचानक देखा गया कि हमारा स्टर्लिंग बैलेंस कहां चला गया पता नहीं। तब हमारी समझ में बात आयी। लन्दन से भी खबर आयी कि तुम इतना स्टर्लिंग बैलेंस ले चुके हो अब इतना रह गया है। इस से पहले वे चुपचाप रहे। हमारी सरकार कंज्यूमर गुड्स (उपभोग वस्तु) मंगाती थी जिसकी लन्दन वालों को जरूरत नहीं थी। उन को अपना गैर जरूरी माल निकालने का अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने उलहाना भी दे दिया। अगर इस तरह का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) चला तो एक समय ऐसी हालत हो सकती है जिसे सुधारना मुश्किल हो जायेगा।

इस समय बड़ी धूम है हमारे यहां टैक्स लगाने की। वैल्थ टैक्स लगया जा रहा है, एक्सपेंडीचर टैक्स लगाया जा रहा है और भी अन्य बहुत से टैक्स लगाये जा रहे हैं। इस विषय में जो बिल आवेगा उस पर अगर मुझे बोलने का समय मिला तो मैं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हमको इस बात की फिक्र नहीं है कि आप कितना बेसी टैक्स लगाते हैं या कम टैक्स लगाते हैं। हां यदि कहीं किसी पर असहय बोझा डाला जाता है तब तो उसको फिक्र होती है। परन्तु जब अधिक टैक्स लगाया जाता है तो लोगों का यह सोचना जरूरी है कि हमारा जो रुपया सरकार ले रही है, और जो अन्तिम रूप से गरीब लोगों की जेब से ही आता है, वह किस प्रकार काम में लाया जाता है, किस प्रकार वह खर्च किया जाता है।

हमारे देश में पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है। लेकिन जहां तक सरकार के काम का सवाल है हम उसके बारे में जाकर लोगों से बहुत उत्साह से नहीं कह सकते कि टैक्स की कोई परवाह मत करो। परवाह वह कैसे नहीं करेंगे। उनको तो परवाह करनी ही है। जब आदमी का निजी पैसा जाता है तो उसे दुःख होता है। पर इस दुःख के प्रति हम लोगों को यह कह कर संतोष करा सकते हैं कि देश का काम होना चाहिये, हम देश के लिये रुपया दे रहे हैं इस में हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु जब आदमी देखता है कि उससे पैसे का सदूपयोग नहीं होता है तो उसको दुःख होता है कि हमारा यह पैसा बेकार जा रहा है।

मैं कोई प्राइवेट सेक्टर का हिमायती नहीं हूं। कोई भी काम करे चाहे प्राइवेट सेक्टर करे या पबलिक सेक्टर करे, हमको तो उस पर इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये कि उस से देश को क्या फल मिला। जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कुछ काम किया है। जितना उनको टारगेट (लक्ष्य) मिला उसको उन्होंने पूरा किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी, मुझे आशा है, वे लोग अपना काम पूरा करेंगे। पर जहां तक पबलिक सेक्टर का सवाल है, उसकी तरफ हम जितनी भी अपनी निगाह दौड़ाते हैं हम को अंधेरा ही दिखता है। जैसा कि मैं ने पहले ही कह दिया मैं कोई प्राइवेट सेक्टर का हिमायती नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप लोग यदि अच्छी तरह से काम करवाना चाहते हैं तो यह देखिये कि जो लोग अच्छी तरह से काम करते हैं उन के रास्ते में रोड़े मत अटकाइये, उन के रास्ते को साफ और सीधा कर दीजिये ताकि वे सहूलियत से काम कर सकें। टैक्स (कर) आप जितना चाहें लें इस में कोई हर्ज नहीं है।

आप देखिये कि आपने एक कम्पलसरी डिपाजिट (अनिवार्य निक्षेप) की स्कीम डाल दी है। इस का क्या नतीजा होता है? आपने यह आशा की थी कि कि कम्पलसरी डिपाजिट में १५ से २० करोड़ रुपया मिलेगा लेकिन हम हमझते हैं कि दो तीन करोड़ से अधिक नहीं मिला। लेकिन इस से हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं, जो कम्पनियां आदि हैं उन को बड़ी अड़चन हो रही है। उन को जिस समय पर जितना रुपया लगाना चाहिये, अपनी कम्पनी की कमाई में से, उसको वे नहीं लगा पाते। सरकार के पास एक बार रुपया चला जाने के बाद फिर उसे काम

[श्री झुनझुनवाला]

में लगाने के लिये वापस लेने में रेडटेपिज्म (लाल फीताशाही) के कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यह चीज़ सरकार को देखनी चाहिये। वे यह सोचें कि जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उसके रास्ते में यदि कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन हो तो उसको न आने दें।

जहां तक पब्लिक सेक्टर का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सेक्टर जितना भी अधिक बढ़े, जितना भी इसका अधिक विस्तार हो, उतनी ही अधिक खुशी मुझे होगी। परन्तु जब हम इस के जो नतीजे देखते हैं, उनको देखते हैं तो हमें कुछ निराशा होती है और वे उतने अच्छे नहीं दिखते जितने अच्छे कि वे निकलने चाहिये। मैं आप के सामने मध्य प्रदेश की नेपा पेपर मिल की मिसाल पेश करना चाहता हूं। कितने ही दिनों से वह चल रही है परन्तु जो प्रगति उस ने की है, उसक ओर से भी हमें अपनी आखें नहीं मूंद लेनी चाहिये। कोई उल्लेखनीय प्रगति करने के बजाय वह नीचे की ओर ही गई है। आपने उत्तर प्रदेश में एक सीमेंट की फैक्टरी भी खोली है और उस पर तीन करोड़ रुपया खर्च किया है। इसी कैपेसटी (क्षमता) की फैक्ट्रीज़ दूसरी जगहों पर एक करोड़ रुपये में बन गई है। एक करोड़ रुपये के स्थान पर तीन करोड़ यदि हम खर्च करें तो इस के नतीजे अच्छे नहीं निकल सकते हैं। इस तरह से यदि पब्लिक सैक्टर को चलाया गया तो यह बड़े दुःख की बात होगी।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। वित्त मंत्री जो ने टैक्सों के सम्बन्ध में एक बिल पेश किया था और उस के नतीजे के तौर पर हमने यह देखा है कि गरीबों पर और मिडल क्लास जनता पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उनको जो कास्ट आफ लिविंग (रहन सहन का स्तर) है वह बहुत बढ़ गया है और बढ़ जायेगा। मंत्री महोदय की ओर से एक पैम-फ्लेट निकाला गया है जस में यह दिखलाया गया है कि एक्साइस ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) आदि लगाने के बाद चीजों के दामों में इतनी ही वृद्धि होगी जो कि लोग आसानी से सह सकते हैं और उन्हें सहनी चाहियें। यह सब दिखलाकर वह कहते हैं कि ये जो टैक्स लगाये गये हैं नाममात्र ही लगाये गये हैं और उन का कास्ट आफ लिविंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। इस चीज़ को उन्होंने फिगर्स (आंकड़े) देकर और हिसाब लगा कर दिखलाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप हिसाब पर न जाइये आप देखिये कि इस का साइकोलोजिकल इफेक्ट (मनोवैज्ञानिक प्रभाव) क्या पड़ता है। आपको इस के बारे में प्रेक्टिकल व्यू लेना चाहिये और केवल मैथेमेटिकल कैलकुसेशन्स पर नहीं जाना चाहिये। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि एक हाकर को जो रास्ते में बैठकर चीजें बेचता है और वे चीजें बेचता है जिन पर कि उस को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, वह भी बढ़े हुए भावों पर ही बेचता है। जब उससे यह कहा जाता है कि इस चीज़ पर तो ड्यूटी नहीं लगी है और तुम इसे इतनी मंहगी क्यों बेच रहे हो, इस का क्या कारण है, तो वह कहता है कि जो आप कहते हैं ठीक कहते हैं और इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी है। लेकिन मुझ को भी तो खाना है तथा अन्य चीजों पर जो ड्यूटीज़ लगी हैं उस का असर मुझ पर भी पड़ा है और मुझ को भी उन को खरीद पर ज्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। वह खर्चा जो बढ़ गया है, उस को मैं यह मामूली चीज़ बेच कर और बढ़े हुए भाव पर बेच कर ही पूरा कर सकता हूं और यहीं से मुझे उस खर्चे को निकालना है। इस तरह से यदि आप प्रेक्टिकल व्यू लें तो सचमुच आप देखेंगे कि गरीबों का जो कास्ट आफ लिविंग है वह काफी बढ़ गया है और यदि आप इस का पता लगाने की कोशिश करेंगे तभी आप को पता चलेगा कि वह कितना बढ़ गया है।

आज हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं वे अपना रुपया पोस्टल सर्टिफिकेट्स में जमा करते हैं। इस की फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। लेकिन अगर आप पोस्टल सर्टिफिकेट्स की फिगर्स को देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि इस मद में सेविंग्स बहुत कम हो गई हैं। जो लोग पहले जमा किया करते थे उन की यह हालत हो गई है कि वे अपनी जमा की हुई ही रकम में से निकलवा निकलवा कर खा रहे हैं और अपना खर्चा चला रहे हैं। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। अगर आप एक्साइज़ ड्यूटीस को देखें तो आप को पता चलेगा कि वह बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। १९५५-५६ में वह १४५ करोड़ थीं जबकि आज एक साल के अन्दर वह २७० करोड़ हो गई हैं यानी ८० प्रतिशत बढ़ गई हैं। इस का एक असर तो यह हुआ है कि कंज्यूमर्स के ऊपर इतना ज्यादा बोझा बढ़ा है। दूसरा असर इस का यह हुआ है कि इस का असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ा है और उन की कीमतों भी बढ़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ये इस वजह से बढ़ गई हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ गये हैं।

मेरी इच्छा तो बहुत कुछ कहने की थी, परन्तु चूंकि मुझे समय कम दिया गया है, इस वास्ते मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री का० च० जेना (बालासौर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का असवसर प्रदान किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कई टैक्स लगाये हैं। लेकिन इन टैक्सों के होते हुए भी मैं उन को बधाई देना चाहता हूं। क्यों बधाई देता हूं इस का भी एक कारण है। हमारे देश को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने के लिये हम को पैसे की आवश्यकता है। पैसे के बगैर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हम को लैंड रिफार्म्स (भूमि सुधार) करने के लिये एजुकेशन का प्रसार करने के लिये तथा दूसरे काम करने के लिये पैसे की आवश्यकता है। इस पैसे को हासिल करने के लिये सरकार के सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो यह है कि दूसरे देशों से कर्ज़ लिया जाय, दूसरे देशों से लोन लिया जाय तथा उन देशों पर निर्भर रहा जाय और उन के आगे हाथ पसारे जायें और दूसरा यह कि अपने देश के अन्दर से ही पैसा इकट्ठा किया जाय। जहां तक दूसरे देशों से लोन लेने का ताल्लुक है हम ने अपनी पालिसी क्लीयर कर दी है और कह दिया है कि इस के साथ कोई शर्तें नहीं होनी चाहियें। हमारे जो सिद्धान्त हैं उन को छोड़ कर हम दूसरे देशों से रुपया लेना नहीं चाहते हैं और न ही हमें लेना चाहिये। किसी भी दूसरे देश के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं है और जिस के आगे हम हाथ पसारेंगे वह जरूर यह चाहेगा कि हम उस के हाथ का खिलौना बनें जिस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिस को हम सहन नहीं कर सकते हैं। इस से हमारी जो आज़ादी है, वह भी खतरे में पड़ सकती है। इस वास्ते दूसरों पर निर्भर करना किसी भी तरह से उचित नहीं समझा जा सकता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है और सरकार के सामने एक ही तरीका रह जाता है और वह है टैक्स लगा कर रुपया वसूल करने का और इस का हमें स्वागत करना चाहिये। लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी चीज़ों पर टैक्स न लगायें जोकि गरीबों के इस्तेमाल की हैं और जिन पर टैक्स लगाने से गरीबों की जेबों पर अधिक असर पड़ता हो या उन पर किसी प्रकार का बोझा पड़ता हो।

इस के साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पिछड़े हुए सूबे हैं, उन को ओर खास ध्यान दें। उन की ओर दयादृष्टि से देखना उन के लिये बहुत जरूरी है। ऐसे सूबों में उड़ीसा का सूबा भी आ जाता है। मैं उड़ीसा से आया हूं और उड़ीसा की बात ही करना चाहता हूं। उड़ीसा बंगाल और मद्रास के बीच में पड़ता है। इन दोनों सूबों के बीच में होते हुए भी इस की प्रगति की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। अगर अंग्रेज़ों को

[श्री का० च० जेना]

कलकत्ता और मद्रास को रेल से जोड़ने की जरूरत न पड़ती तो यह रेलवे लाइन भी हमें नसीब न होती। क्योंकि उड़ीसा बीच में आता था इस वास्ते इस लाइन को उड़ीसा में से ले जाया गया है और इस की सुविधा उस को भी प्राप्त हो गई है। यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। और भी इलाके तथा सूबे हैं जो पिछड़े हुए हैं जैसे असम का है, मध्य प्रदेश का है, उन की ओर भी मंत्री महोदय को दया दृष्टि से देखना चाहिये। उड़ीसा में १३ जिले हैं और उस की डेढ़ करोड़ की आबादी है। वहां के लोगों का केवल एक ही धंधा है और वह कृषि का है। खेती बाड़ी के लिये वहां के लोगों को वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं लेकिन उन नदियों का कोई भी फायदा उड़ीसा को नहीं हो रहा है। उन का फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब वहां बांध बनाये जायें, प्राजैक्ट्स बनाई जायें और नहरें निकाली जायें। इस के लिये काफी पैसे की जरूरत होती है जोकि उड़ीसा में प्राप्त नहीं हो सकता है। इस वास्ते मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह उड़ीसा को ज़रा ज्यादा मदद दें जिस से कि वहां प्राजैक्ट्स बनाये जा सकें, बांध बनाये जा सकें, नहरें बनाई जा सकें।

हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई है और इस समय उस पर अमल हो रहा है। हमारे संविधान ने हरिजनों को सुविधायें दिये जाने की विशेष व्यवस्था की है और ये सुविधायें उन को प्राप्त भी हो रही हैं। लेकिन जिस गति से हरिजनों को तथा दूसरी पिछड़ी जातियों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और जितना रुपया इस काम के लिये रखा जा रहा है और खर्च किया जा रहा है, उस से मुझे भय है कि हम पांच साल बीत जाने के बाद भी उन को अधिक ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। इस गति से हम उतना काम नहीं कर सकेंगे जितना कि हम करना चाहते हैं। आज हमें, हरिजनों को शिक्षा देनी है और उन को शिक्षित बनाना है, उन की आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करनी है और उन को दूसरे लोगों के बराबर लाना है, दूसरे लोगों के समान ला कर खड़ा करना है लेकिन हम यह सब नहीं कर सकेंगे अगर हम इस रफ्तार से चलते हैं जैसे कि अब चल रहे हैं। उस की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इस काम पर ज्यादा पैसा खर्च किये जाने की आवश्यकता है जिस से कि वे उन्नति कर सकें।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां परादीप बन्दरगाह बन रही है जोकि महानदी पर बनाई जा रही है। आवश्यकता आज इस बात की है कि इस को जल्दी पूरा किया जाय और इस को पूरा करने में कोई रुकावटें न आयें, कोई गड़बड़ी न हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस काम के लिये भी उड़ीसा को रुपया दिया जाय और उस की मदद की जाय।

शिक्षा के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि उड़ीसा में केवल एक युनिवरसिटी है और कालिज भी वहां पर कम हैं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस मिनिस्ट्री से तो रुपया ही मांगें, शिक्षा के लिये और कालिज खोलन के लिये दूसरों को कहें।

श्री का० च० जेना : उड़ीसा चूंकि पिछड़ा हुआ प्रान्त है इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उस की ओर विशेष रूप से दया दृष्टि दिखलायें। बस मैं और अधिक न कह कर आप ने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अब काफ़ी बहस हो चुकी है इसलिये ज्यादा बातें नहीं रह गई हैं जो इस सदन के सामने पेश की जायें किन्तु मुझे एक चीज़ कहनी है कि हमारे मिनिस्टर महोदय ने जब टैक्सेज़ का ऐलान किया तो एक चीज उन्हों ने कही कि टैक्सेज़ हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि लोगों को अपने ज़िम्मेदारी का अहसास हो जोकि उन्हें दूसरी पंच-

वर्षीय योजना को कामयाब बनान में निभानी हैं, गोया उस की ज़िम्मेदारी का अहसास कराने के लिये ही यह टैक्स उस जनता के ऊपर लगाये गये जिस की कि कमर पहले से ही काफ़ी टूट चुकी थी। अगर इस टैक्स से हमारी पंचवर्षीय योजना या दूसरा प्लान कामयाब हो जाता तो हम ग़रीब और शोषित जनता को ज़रूर यह सलाह देते कि वह सब्र के साथ इस बोझे को बर्दाश्त करे। इन टैक्सेज़ से हमें १०० करोड़ रुपया मिलने वाला है जबकि हमारे देश में दूसरे ऐसे रिसोर्सेज़ (संसाधन) हैं जिन को कि अगर हम टैप करें और लेने की कोशिश करें और जिस हिम्मत के साथ हम छोटे लोगों की तनख़्वाहों की मांगों को कुचल सकते हैं, उसी हिम्मत का अगर हम इस्तेमाल करें और उस छिपे हुए रुपये को लाने कीं कोशिश करें तो वह काफी रुपया आज हमें मिल सकता है।

टैक्स इवेज़न के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी उस को महसूस करता हूं और कभी कभी हैरान भी होता हूं कि आख़िर यह टैक्स इवेज़न बन्द किस तरीके से हो। सरकार कहती है कि वह टैक्स इवेज़न को बन्द करना चाहती है और हम लोग भी कहते हैं कि इस को बन्द होना चाहिये। इस में कोई मतभेद और दो राय नहीं है कि टैक्स इवेज़न रुकना चाहिये लेकिन वह रुके कैसे। मैं समझता हूं कि उस को रोकने के लिये कुछ ऐसा क़दम उठाना चाहिये जो मुमकिन है कि मुट्ठी भर आदमियों को बुरा लगे लेकिन अगर उस को हम रोक नहीं सकते हैं तो हमारे देश को प्लान को कामयाब बनाने के लिये करोड़ों और अरबों रुपयों की ज़रूरत होगी और उस के लिये अगर हम ग़रीबों कीं जेबों को दुबारा कतरना चाहते हैं तो मेरे ख़याल में यह मुमकिन नहीं होगा।

इनकमटैक्स मुहकमे के वे कर्मचारीगण जो इस टैक्स इवेज़न के खिलाफ लड़ना चाहते हैं हम क्या देखते हैं कि बम्बई में हमारे माननीय मंत्री जाते हैं तो वहां तो बड़े बड़े सरमायादार आते हैं और टैक्सेज़ के बारे में चर्चा करते हैं उन के लिये तो समय हो जाता है लेकिन जब हमारे इनकम-टैक्स के कर्मचारी उन से मिलने का समय मांगते हैं और एक मुज़ाहिरे की शक़ल में उन के सामने आते हैं तो बजाय इस के कि उन ग़रीब कर्मचारियों की बात सुनी जाय जिस से उन्हें कुछ उत्साह मिले और वे सुचारु रूप से काम करें, उन को सस्पेंशन मिलता है और अगर तसल्ली मिली तो बम्बई के कम्युनिस्टों को मिली। आज ज़रूरत इस बात की है कि टैक्स इवेडर्स को जोकि हमारे देश को खोखला बना रहे हैं और देश के आर्थिक ढांचे को धक्का लगाना चाहते हैं उन को पकड़ा जाय और उन को पकड़ने के लिये आज हमारे स्टाफ में काफी विजिलिंस की ज़रूरत है।

दूसरी चीज़ मैं सेल्स टैक्स के विषय में कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से चुन कर आया हूं और वहां पर मैं ने देखा कि सेल्स टैक्स के बारे में कोई युनिफ़ार्म पालिसी न होने की वजह से पूरा व्यवसाय चौपट हो रहा है। मैं न तो कम्युनिस्ट हूं और न ही फ़ाइनेंस के बारे में मुझे कोई विशेष ज्ञान हासिल है लेकिन मैं आप को कहना चाहता हूं कि सेल्सटैक्स के बारे में गवर्नमेंट द्वारा कोई एक युनिफ़ार्म पालिसी अपनाई जानी चाहिये।

मुझे बड़ी ख़ुशी है कि मद्रास गवर्नमेंट के डा० पी० एस० लोकनाथन् ने भी यह विचार प्रकट किया है और मैं उन को सुनाये देता हूं :

डा० लोकनाथन् ने भी इस बात पर जोर दिया कि पड़ौसी राज्यों के साथ बिक्री कर लगाने की दरों का एक रूप होना बड़ा आवश्यक है।

होता यह है कि किसी जगह सवा छै परसेंट सेल्सटैक्स लगता है तो कहीं पर सवा चार परसेंट है और सेल्सटैक्स में इस तरह की विभिन्नता होने से हम देख रहे हैं कि बिज़नेस चौपट हो रहा है। इसलिये आप को सेल्स टैक्स युनिफ़ार्म बेसिस पर लगाना चाहिये और अगर आप ने ऐसा नहीं किया

[श्री स० म० बनर्जी]

तो आप का व्यापार चौपट हो जायगा । सेल्स टैक्स का अजीब कानून है और वह काफ़ी कम्पलीकेटेड है और उस को सिम्पलीफ़ाई करने की जरूरत है । अब लोग सेल्स टैक्स इस तरह इवेड करते हैं कि अगर एक दुकानदार है और वह सेल्सटैक्स का पेमेंट इवेड करना चाहता है तो तीन महीने के बाद वह दुकान को बन्द कर देता है और चौथे महीने एक दूसरा साइनबोर्ड लगा कर यदि दुकान को चालू कर देता है तो उस को सेल्सटैक्स नहीं देना पड़ेगा । इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये का सेल्स-टैक्स का इवेज़न हो रहा है । जब हम कहते हैं कि सेल्स टैक्स को ऐक्साइज़ ड्यूटी के साथ एमैलगेमेट कर दिया जाय तो सरकार द्वारा कहा जाता है कि उस के लिये बिल आ रहा है लेकिन मालूम नहीं कब तक वह आयेगा ।

इंटरस्टेट्स सेल्सटैक्स के बारे में मुझे यह कहना है कि यह बड़ा कम्पलीकेटेड है । अब इटर-स्टेट्स सेल्सटैक्स वैसे तो १ परसेंट लगता है लेकिन फर्ज़ कीजिये कानपुर का एक दुकानदार बम्बई से सामान मंगाता है तो उस को क़ायदे के मुताबिक़ तीन फ़ार्म्स रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भर कर भेजने होंगे और अगर कहीं उस ने वह तीन फार्म्स नहीं भेजे तो फिर उस पर १ परसेंट इंटरस्टेट्स सेल्सटैक्स नहीं पड़ेगा बल्कि बम्बई का ४ परसेंट या जो भी हो वह उत्तरप्रदेश के सवा छै परसेंट में ऐड हो जायगा और इस तरह सवा दस परसेंट पड़ेगा और उस हालत में आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक साधारण इंसान कैसे उतनी महंगी चीज़ खरीद सकेगा और इस तरह उस व्यापारी और कंज्यूमर्स दोनों का नुक़सान होगा । सेल्सटैक्स इतना कम्पलीकेटेड हो चुका है कि अगर उस को सिम्प्लीफ़ाई नहीं किया गया तो व्यापारी वर्ग और कंज्यूमर्स दोनों को नुक़सान होगा ।

अब सेल्सटैक्स के बारे में जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, उन को आप अलग भी कर दीजिये क्योंकि दिल्ली एक पिक्यूलियर जगह है और उन का केस भी पिक्यूलियर कैसे है, उन को आप ख़ास तौर से माफ़ी दे दीजिये लेकिन दूसरे प्रान्तों को तो देखिये कि वहां पर किस तरह से अलग अलग सेल्स टैक्स लिया जा रहा है । आप सेल्सटैक्स के बारे में एक युनिफ़ार्म पालिसी सब जगह के लिये रखिये ।

फूड स्टफ्स के ऊपर सेल्सटैक्स लगने के बारे में मेरा कहना है कि फूडस्टफ्स की प्राइसेज़ चैक होनी चाहियें और वे बढ़नी नहीं चाहियें । ग़ल्ले के ऊपर सेल्सटैक्स लगाये जाने के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि उस को हटा लिया जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि गल्ले पर से सेल्स टैक्स हटने के बारे में क्या हुआ और उस को हटाने के लिये क्या किया गया ? अगर हम चाहते हैं कि ग़ल्ले की प्राइसेज़ चैक हों तो ग़ल्ले के ऊपर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि अलटिमेट्ली उस का भार कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा ।

मैं चाहता हूं कि जब तक सेल्सटैक्स को ऐक्साइज़ ड्यूटी के साथ मिला न दिया जाय तब तक के लिये इंटरेस्ट्स सेल्स टैक्स को सस्पैंड रक्खा जाय ।

इंश्योरेंस कारपोरेशन के बारे में कुछ चीज़ें कही गई हैं, ख़ास कर फ़ील्ड वर्कर्स के बारे में ज़िक्र आया है । कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक कौलिंग एटेंशन के जवाब में कहा था कि यह इंस्पैक्टर्स लोग काम नहीं करते थे इस वजह से इन को नौकरी से हटा दिया गया है लेकिन मैं आप के सामने एक ऐपायन्टमेंट लेटर जोकि उन इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स को दिया गया है उस को मैं पढ़ना चाहता हूं । उस की डेट २८ जून सन् १९५७ थी उस का इम्पलीमेंटेशन रिट्रौस्पेक्टिव एफ़ेक्ट १५-९-५६ से जिस दिन से कारपोरेशन का जन्म हुआ, किया गया । एक साल पहले से ऐपायन्टमेंट लेटर उन को दे दिया गया और उस में लिखा यह गया है कि एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं । ऐसे

ऐप्वाइंटमेंट लेटर्स दिये गये हैं जोकि १९५७ में इश्यू होते हैं और आशा यह की जाती है कि वह करीब ७ लाख का बिजिनेस, जिस का प्रीमियम तकरीबन २९ हजार के होता है, एक साल में दे। साल भर पूरा आप उस को मौका नहीं देते हैं और बीच में कहते हैं कि तुम्हारा काम ठीक नहीं रहा, इसलिये तुम्हारी नौकरी चली गई। इसलिये मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दर्ख्वास्त करूंगा कि वह फील्ड इंश्योरेंस वर्कर्स के मामले को रिकंसिडर करें और किसी तरह से उन की नौकरी को बचायें क्योंकि वही तो इस बिजिनेंस को चलाने वाले हैं।

दूसरी चीज़ जनता पालिसी के बारे में है। उस का नाम जनता पालिसी दे दिया गया। इस देश की परम्परा यह है कि जनता का नाम ले कर सारा काम किया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि जनता में वह चीज जाती है और जनता का उस से काफ़ी फायदा होता है। आप ने देखा होगा कि हमेशा से यह होता आया है। सन् १९४६ में आप देखते, चाहे कोई भी दुकान हो, उस का नाम नेता जी के नाम पर होता था। नेताजी रेस्टोरां, नेताजी हेअर कटिंग सैलून। आज जो कुछ हो रहा है सब जनता के नाम से हो रहा है। इस के बारे में तमाम आदमियों को बतलाया गया कि जनता पालिसी के द्वारा हम मजदूरों और गरीबों को इंश्योर करना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज है, अगर उन का जीवन इंश्योर हो जाय। लेकिन इस के लिये गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियनों, फेडरेशन्स और पोलिटिकल पार्टीज को कांफिडेंस में नहीं लिया। मैं जानता हूं कि हमारे ढेबर साहब ने इस का उद्घाटन किया। वह बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप इस को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप को दूसरे आदमियों का भी सहारा लेना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं, ज्यादा वक्त न ले कर, दुबारा दर्ख्वास्त करूंगा अपनी माननीय मंत्री जी से कि वह सेल्स टैक्स के बारे में अपने विचार रक्खें। वह लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड वर्कर्स के बारे में भी कुछ चीजें यहां पर रक्खें तो मैं उन का बहुत मश्कूर हूंगा।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से मैं अब की चुन कर आया हूं, आप ने यह पहला मौका मुझे दिया है। गोकि मैं पार्लियामेंट का बहुत पुराना मेम्बर हूं, कांस्टूएंट असेम्बली के समय से हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद इसी लिये नहीं दिया गया होगा ताकि नये मेम्बरान को मौका दिया जा सके।

श्री रा० स० तिवारी : लेकिन जरूरत तो पड़ जाती है, जिस से कुछ कहना पड़ता है।

[**श्री मोहम्मद इमाम** पीठासीन हुए]

वित्त मंत्रालय की मांगों पर आज दो दिन से बहस हो रही है। वित्त मंत्रालय का दर्जा बहुत ऊंचा है और इसी से यह अनुदान सब से पीछे रक्खी गई है। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिये इस मंत्रालय के विषय में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन अपने घर की कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की स्थिति में मैं आज आप के सामने रखना चाहता हूं। जब आपने राज्यों का एकीकरण किया तो उस के बाद राज्यों को आश्वासन दिया था कि केन्द्र उन राज्यों के खर्चों को पूरा करेगा, और उन में मकानात आदि बनाने की पूरी फेसिलिटी देंगे। विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल इन चार राज्यों को मिला कर आप ने एक प्रदेश बनाया और भोपाल उस की राजधानी बनाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री भोपाल की हालत को सुनें। भोपाल की हालत यह है कि वहां कोई मकान नहीं। वहां जितने कर्मचारी हैं, सब तम्बुओं में रहते हैं। विंध्य प्रदेश को जो ४ करोड़ रुपया हर साल मदद का मिलता था वह भी आप ने बन्द कर दिया है। यह आप ने इस लिये बन्द कर दिया कि हम अब बड़े प्रोविंस में मिल गये हैं। भोपल,

[श्री रा० स० तिवारी]

विंध्य प्रदेश आदि जो पार्ट सी स्टेट्स थीं उन सब की सहायतायें आप ने बन्द कर दी हैं। अब आप ही बताइये कि पहले तो आप ने आश्वासन दिया कि आप मदद देंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। वहां तम्बू गड़े हैं। भोपाल में न कोई रहने की जगह है और न सरकारी कार्यालयों के लिये ही कोई स्थान है। विधान सभा तक के लिये वहां पर जगह बनानी है। सारे काम हो रहे हैं और जगहों पर, लेकिन वहां पर यह काम नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और पार्ट सी स्टेट को जो मदद आप देते थे, और जिस को आप ने अब बन्द कर दिया है, वह हर प्रदेश को दीजिये। बड़े प्रान्त में मिल जाने से यह तो जरूर है कि उन का नाम बड़ा हो गया है, लेकिन क्या यह उन की मदद हो गई? मेरी समझ में कुछ नहीं हुआ। आज तो उन प्रदेशों की छीछालेदार ही हो रही है। वह बड़ी परेशानी में पड़ गये हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप ने यह कानून बनाया है कि जो प्रदेश ५० परसेंट खर्चा लगा कर मकान आदि बनवायेंगे, उन को ५० परसेंट आप देंगे। भला बतलाइये कि पहले तो हम ५० परसेन्ट रुपया लायें कहां से मकान बनाने के लिये, फिर उस का इन्तजाम करें तो पिछले बिल लायें, तब आप हम को रुपया देंगे। न वह ५० परसेन्ट रुपया हमारे यहां होना है और न आप को देना है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के झूठे वायदे हमारे देश के लिये बड़े खतरनाक हैं। मैं मंत्री महोदय और उन के सहयोगियों से प्रार्थना करता हूं कि वह इन चीजों को ध्यान से देखें, तभी यह प्रदेश आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश बनने के पहले विंध्य प्रदेश बना। तब उस में छोटे छोटे ३६ राज्य थे। उन में से हर तरह की रियासतें थीं। कोई १० हजार सालाना आमदनी की थी, कोई १२ हजार सालाना आमदनी की थी, कोई ५ लाख की थी, कोई १० लाख की थी। इस तरह से ३६ रियासतों को मिला कर वह प्रदेश बना था। वहां पर अब भी हालत बहुत बुरी है। न वहां कोई रास्ता है, न सड़कें हैं। सब की सब उसी तरह से पड़ी हुई हैं। आप ही बतलाइये कि उस का कैसे सुधार होगा। आप ने हम को एक बड़े प्रान्त में मिला कर हमारा दर्जा जरूर बढ़ा दिया है। हमारा प्रदेश अब देश में पांचवें दर्जे पर है, लेकिन अगर आप उस की स्थिति को ठीक नहीं करेंगें, उन को रुपया नहीं देंगे तो उन की उन्नति कैसे हो सकेगी। आप ने यह आश्वासन दिया था कि आप भोपाल को राजधानी के अनुरूप होने में सहायता करेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप को इसे करना चाहिये कुल ११ या १२ करोड़ रुपया बनता है जोकि उस में लगना चाहिये। अब आप ने यह झगड़ा डाल दिया है कि ५० परसेन्ट रुपया भी हम तब देंगे जब प्रदेश ५० परसेन्ट रुपया खर्च कर ले। न वह रुपया होगा और न मकान बनेंगे। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लिये आप ने आश्वासन दिया है वह आप पूरा करें ताकि मध्य प्रदेश की उन्नति हो सके।

तीसरा निवेदन मुझे यह करना है कि आप हमारे यहां टैक्स वसूल करना चाहते हैं, लेकिन वहां का टैक्स तो डाकू लोग पहले ही वसूल कर लेते हैं। आज भिंड, मोरैना, झांसी, ललितपुर, सागर, दमोय आदि जो ५, ६ जिले हैं उन जिलों में रात दिन डाकुओं द्वारा वसूली हुआ करती है। जब वही लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आप को वहां क्या मिलना है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रदेश की स्थिति पर ध्यान दे कर, उस को सम्भलवायें।

मैं वित्त मंत्रालय की प्रगति पर, वित्त मंत्रालय की आमदनी कैसी हो रही है, कौन सा टैक्स लग रहा है, इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से भाई बोलेंगे और वही सब कुछ कहेंगे और कहते रहे हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि जो हमारे प्रदेश के लिये तत्व की बात है उस पर आप ध्यान दें।

श्री विरेन्द्र सिंहजी (रायपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे मध्य प्रदेश के एक भाई ने जो हम लोगों की मुसीबतें हैं जिक्र किया । मुझे भी उन की निस्बत दो एक बातें अर्ज करना हैं । बात यह है कि वित्त मंत्रालय का कानून जो बना हुआ है कि वह कोई मकान आदि बनाने के लिये पैसा वगैरह स्टेट गवर्नमेंट को तब देता है जबकि स्टेट उस पर ५० परसेन्ट खर्चा कर ले । मान लीजिये कोई प्रोजेक्ट बनानी है, अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनाना है, तो पहले स्टेट ५० फी सदी खर्च कर लेने का वादा करे सरकार तब बाकी खर्च देती है । सब से बड़ी मुश्किल यह होती है कि पहले ५० फी सदी रुपया स्टेट जमा कर ले तब कोई चीज बने । नतीजा यह होता है कि न हम रुपया जमा कर पाते हैं और न सेन्टर से रुपया हमें मिलता है । बल्कि वह लैप्स हो जाता है । मेरा यह ख़याल है कि अगर हमें किसी चीज को बनाना है, और उस को बनाने की रकम अभी पूरी खर्च नहीं हुई है, तो वह लैप्स नहीं होनी चाहिये । खास तौर से बैकवर्ड प्राविंसेज़ में यह बिल्कुल ही नहीं होना चाहिये । मैं तो चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का कंट्रिब्यूशन है वह उसे पहले दे दे, यह नहीं होना चाहिये कि जब स्टेट खर्च कर डालेगी और उस का हिसाब आ जायगा, वह चेक हो जायगा कि किस ढंग से रुपया खर्च हुआ है, तब यहां से पैसा दिया जायगा । इस से यह होता है कि कोई काम नहीं हो पाता है । हमारे यहां की रकम तो लैप्स हो जाती है और दूसरे स्टेट्स को रुपया और मिल जाता है । यह ठीक नहीं है । होना यह चाहिये कि जो रकम प्रोवाइडेड हो किसी प्राविन्स के लिये, वह उस को मिलनी चाहिये ।

इस के बाद मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे यहां एग्रीकल्चरिस्ट्स (कृषकों) को तकावी दी जाती है । ग्रो मोर फूड वगैरह के लिये उन को पैसा दिया जाता है । लेकिन होता यह है कि किसानों को बहुत कम पैमायश पर पैसा दिया जाता है, जिस से उन का काम नहीं चलता है । मिसाल के तौर पर उन को पचास रुपये दिये जाते हैं । अब आप ही बताइये कि उस से वह बैल खरीदे या क्या खरीदे जिस तरीके से गवर्नमेंट किसान को तकावी देती है, वह एक साहुकारी तरीका होता है । ऐसा न हो कर एग्रीकल्चरल बैंक्स (कृषि बैंक) की तरह रुपया देने का इन्तज़ाम कर दिया जाय, तो इस में जो अड़चनें आती हैं और किसानों को जो तक्लीफ़ें होती हैं, वे दूर हो जायेंगी । आज-कल हालत यह है कि किसान ने अभी रकम ली नहीं होती और दूसरे रोज़ ही लोग उस से पैसा लेने के लिये आ जाते हैं । अगर किसानों के लिये एग्रीकल्चरल लोन (ऋण) का इन्तज़ाम कर दिया जाय, तो उन को बहुत सहूलियत हो जायगी ।

यह मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय के सामने क्या क्या तकलीफें हैं । उन को प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर (सहकारी उद्योग क्षेत्र) को भी देखना है और टैक्सेशन को भी देखना है । लेकिन अब समय आ गया है कि मिनिमम वेज (न्यूनतम मजूरी) फ़िक्स कर दी जाय । हम देखते हैं कि हमेशा डीयरनैस एलाउन्स (महंगाई भत्ता) बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब एक मिनिमम सैलेरी फ़िक्स कर दी जानी चाहिये । वह १०० रुपया हो, या जो भी हो, लेकिन इस बारे में अब फ़ैसला कर देना चाहिये । आज-कल हर एक प्राविंस से छोटी छोटी मांगें आती रहती हैं । भोपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के सरवेंट्स को जो कुछ भी मिलता है, उस का असर उन लोगों पर पड़ता है, जोकि उतना दे नहीं सकते हैं ।

इस के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि मैक्सिमम सैलेरीज़ भी फ़िक्स होनी चाहिये । हमारे आई० सी० एस० आफ़िसर्ज़ की बात तो दूसरी है । उन की तन्ख्वाहें हमारे विधान में—कानून में—रखी हुई हैं । मैं उन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जो लोग आई० ए० एस० वगैरह के हैं उन के और दूसरों के काम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दूसरों को तन्ख्वाह आधी मिलती है । इन डिफ़रेंसिज़ (अन्तर) को हटा देना चाहिये । इस तरह हम को करम्प्शन को भी बन्द करने का

[श्री विरेन्द्र सिंहजी]

मौका मिल जायगा। इस के बाद आप ज़रा वेस्टेज को देखिये। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। इधर से ये लोग अपनी पूरी तन्ख्वाह ले लेते हैं और उस के बाद जितने एपायंटमेंट्स (नियुक्तियां) होते हैं, उन में छोटे वर्गों के आफिर्स को नहीं लिया जाता है। आप किसी भी कार्पोरेशन वगैरह को लीजिये। जो सीनियरमोस्ट आफ़िसर रिटायर होता है, उस को वहां डाल दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि जूनयर आफिसर्ज़ को भी चांस मिलना चाहिये। अगर आप उन की तन्ख्वाहें बढ़ाना नहीं चाहते हैं। भिलाई कार्पोरेशन में यह हालत है कि वहां पर बाहर से आदमी आ रहे हैं। जो लोग वहां के रहने वाले थे, उन के लिये कोई खर्च नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो लोग बाहर से बुलवाये गये हैं, उन के लिये करोड़ों रुपयों से घरों का इन्तज़ाम हो रहा है। जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जोकि काम को जानते हैं, समझते हैं, उन को मौका दे कर इस वेस्टेज (व्यर्थ व्यय) को खत्म किया जा सकता है।

जहां तक बैटरमेंट लैवी (भूमि सुधार कर) टैक्स का ताल्लुक है, हालत यह है कि इरिगेशन का—पानी का इन्तज़ाम तो शायद चार, छः दस साल के बाद हो, लेकिन लोगों से बैटरमेंट लैवी देने के लिये अभी से कहा जाता है। उन से कहा जाता है कि अगर बैटरमेंट लैवी नहीं दोगे, तो इरिगेशन कैनाल (सिंचाई नहर) बन नहीं सकती। आदमी जब पानी लेगा, तभी वह कुछ दे भी सकेगा, लेकिन वहां वह सोचता है कि टैक्स देना है, तो इरिगेशन का काम बन्द हो जाता है, चाहे फ़ायदा ही हो और मांग भी हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग देने के लिये तैयार हैं—एक नहीं आप तीन लीजिये—लेकिन पहले पानी का तो इन्ज़ाम किया जाय। लेकिन यह शर्त लगा देना कि पहले दो, फिर कैनाल्ज़ खोलेंगे और पानी देंगे, मेरी समझ में ग़लत है।

एक बात और मैं आखिर में कहना चाहता हूं। मैं एक जंगली इलाके से आता हूं, जहां पर बैकवर्ड (पिछड़ी) और एबारिजिन्ज़ क्लासिज़ (आदिम जातियों) के लोग रहते हैं। वे अपनी कनज़म्प्शन के लिये—कामर्शियल पायंट आफ व्यू (वाणिज्यिक दृष्टि) से नहीं—अपने खेत में तम्बाकू लगाते थे। पहले उन से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन पिछले दो तीन सालों से उन से टैक्स वसूल किया जा रहा है। उन लोगों को यह शिकायत है कि आज तक तो हम ने यह टैक्स नहीं दिया था, अब सरकार यह टैक्स लगा कर एक नई बात ला रही है, हालांकि हम लोग तम्बाकू वगैरह अपने कनज़म्प्शन (उपभोग) के लिये पैदा करते हैं। मैं ने खुद इस बात को देखा है। इसलिये मैं विनय करता हूं कि यह टैक्स न लिया जाय।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं ने यहां पर रखी हैं, मंत्रालय उन पर विचार करेगा।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: यह अन्तिम मांग है जिस पर सभा चर्चा कर रही है परन्तु मेरी कठिनाई यहीं से आरम्भ होती है। मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह इन विधानों के लिए जिन पर सभा चर्चा करेगी, सभा का सम्बन्ध मेरे साथ ही रहेगा और व्यवहार्यतः वित्त मंत्रालय के प्रत्येक कार्य अर्थात् कराधान, योजना, सामान्य प्रशासन और अर्थ नीति इत्यादि पर चर्चा की जाएगी।

अतः मैं आशा करता हूं कि यदि मैं विषयों को दो श्रेणियों में बांट दूं एक तो वह जिन पर आज विचार किया जाएगा और दुसरे वे जिन के सम्बन्ध में मैं वित्त विधेयक के वाद-विवाद में उत्तर दूंगा तो सभा मुझे इसकी अनुमति दे देगी और जो माननीय सदस्य विभिन्न विषयों पर बोल चुके हैं उनके प्रति अशिष्टता नहीं समझेगी। वित्त विधेयक का उत्तर देते हुए मैं योजना पर प्रभाव डालने वाले कराधान और आर्थिक विषयों को लेना चाहता हूं। आज मैं प्रशासन के विषय को लूंगा और जहां तक संभव है उस पर विचार व्यक्त करूंगा। यदि कुछ रह गया हो तो स्वभावतः

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य मेरा ध्यान उस ओर आकृष्ट करेंगे और मैं यथाशक्ति उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा ।

आरम्भ में मैं सभा का ध्यान अपने साथी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाता हूं जो उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए दिया था और उन्होंने यह कहा था कि विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति के प्रश्न को वह जहां छोड़ रहे हैं वहीं से मैं आरम्भ करूंगा और गत पांच वर्षों में सरकार के ऊपर लगाये गये अपराधों उसकी गलतियों और कृत्यों के विषय में कहूंगा । इस बात का भी मुझे ध्यान है कि ४ वर्ष तक मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का मंत्री रहा हूं और नीतियों के निर्माण में उस समय के वित्त मंत्री के साथ मेरा भी बहुत उत्तरदायित्व रहा है ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति को योजना से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता । वस्तुतः यदि आज हमारे सामने कोई योजना न हो, कोई औद्योगिक विकास न हो, विभिन्न दिशाओं में आयोजित व्यय न हो तो विदेशी मुद्रा की हमें कोई गंभीर कठिनाई न होगी यदि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की आयोजित मांगें न हों तो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निर्यात और आयात पर से नियंत्रण भी उठा दे । अतः इस संबंध में योजना का उल्लेख करना आवश्यक है ।

वस्तुतः विदेशी मुद्रा की समस्या योजना के संसाधनों का ही एक प्रश्न है । और इसीलिए इसे देश की मुद्रा स्फीति के प्रश्नों से अलग नहीं किया जा सकता जिसके कारण हमारे भुगतान संतुलन में घाटा रहा है ।

आय-व्ययक को प्रस्तुत करते समय मैं ने सभा के समक्ष आर्थिक स्थिति का विश्लेषण भी किया था । इसमें कोई संदेह नहीं कि हम बड़ी कठिनाई में से गुजर रहे हैं । द्वितीय योजना काफी खर्चीली है । माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई गलती नहीं होनी चाहिये । और कोई भ्रम नहीं होना चाहिये । इस योजना को तभी पूरा किया जा सकता है जब समाज के सभी वर्ग अधिकतम प्रयत्न करें । परन्तु, केवल आय-व्ययक को पुरःस्थापित करते समय नहीं बल्कि उससे पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं, कि योजना को पूरा किया जा सकता है । माननीय सदस्य भले ही मुझे आशावादी कहें और संभवतः मैं आशावादी हूं भी परन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा, कि प्रथम योजना में जितने प्रयत्न की आवश्यकता थी उससे अधिक प्रयत्नों की अब आवश्यकता है ।

वस्तुतः, मैंने योजना में विदेशी विनिमय के विषय में बार बार पढ़ा और प्रथम योजना में मुझे विदेशी विनिमय के प्राक्कलनों का उल्लेख मिला और उसमें आशा प्रकट की गई थी कि पौण्ड पावना की राशि व्यय हो जाएगी परन्तु वह व्यय नहीं हुई । अतः जब मैं वर्तमान प्रसंग में कहता हूं कि योजना पूरी हो सकती है तो मैं योजना के मूल और बड़े-बड़े कार्य-क्रमों की ओर निर्देश कर रहा हूं और मेरा यह अभिप्रायः नहीं कि योजना के सभी काम पूरे हो सकते हैं ।

जैसा मैं ने पहले बताया है संसाधनों की स्थिति कठिन है और विदेशी विनिमय के अधिक व्यय के कारण यह आवश्यक है कि अधिमान्यताओं के क्रम का पालन सख्ती से किया जाये क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमें काम करना है । अतः इसमें कुछ कमी करनी ही चाहिए । आप इसे योजना को नया रूप देना कहें, अधिमानताओं का पुनरावंटन कहें परन्तु इसका वस्तुतः जो अभिप्रायः है वह यह है कि इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैंने इस्पात परियोजनाओं, खनन कार्यक्रम और सम्बन्धित विद्युत परियोजनाओं और परिवहन को 'योजना का सार' कहा है। योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालय अब इन विषयों की जांच कर रहे हैं। इस बीच में हम ऐसी नई योजनाओं की मंजूरी नहीं दे रहे जो 'योजना के सार' नहीं हैं अथवा जिनके लिए विदेशी मुद्रा की सहायता नहीं मिल रही है।

मुझे पता है कि अगले दो वर्ष बहुत कठिन होंगे और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम विदेश से अनुपूरक संसाधन के रूप में कितनी राशि ले सकते हैं और उन्हें ठीक समय पर ले सकते हैं अथवा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संकट, जिसे कुछ लोग विश्वास का संकट आदि कहते हैं जो कि बहुत सराहनीय नहीं हैं—एक विकास का संकट है,··· निश्चय ही यह निष्क्रियता का संकट नहीं है न ही विश्वास सम्बन्धी संकट है क्योंकि मैं यह समझता हूं कि हम अनुभव करते हैं योजना का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

इसी सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी विदेशी विनियम नीति और विशेषतः आयात नीति के भूतकालीन प्रभाव का कुछ विश्लेषण किया था। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री विमल घोष ने वाणिज्य तथा उद्योग की मांगों पर विचार करते हुए इस पहलू को ही अधिक लिया था।

जीवन में भूत पर विचार करने का निस्संदेह एक महत्व है। मैं समझता हूं कि यदि भूत पर विचार न किया जाए तो संभवत: कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा पर केवल भूतकाल पर विचार करने से ही आगे का काम पूरा नहीं होगा।

मैं सरकार के किसी सदस्य या सरकार पर किसी कृत्य या गलती के लिए लगाये गये आरोप के लिए क्षमा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं समझता। अभिलेखों को जो सदस्य चाहें वे देख सकते हैं··· परन्तु उपयुक्त ढंग से देखना चाहिये। आपको यह नहीं चाहिये कि आप अभिलेख के किसी भाग को लें और कहें कि देखिये यहां अमुक बात लिखी हुई है। उसे कोई भी देख सकता है और मैं सभा से यह विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि जहां तक पूरी स्थिति का सम्बन्ध है अभिलेख में जो कुछ भी दिया गया है उससे बड़ी बड़ी आशायें है।

देश ने गत कुछ वर्षों में निरंतर प्रगति की है। मेरे नवयुवक साथी, उद्योग मंत्री ने उस दिन उन विकास कार्यों का उल्लेख किया जो हमने किये हैं और जो प्रगति हमने उद्योग क्षेत्र में की है। यह जो कुछ हुआ है उस का कुछ श्रेय तो सरकार ले ही सकती है?

उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई है, और ऐसे नये विकास कार्य आरम्भ किये गये हैं जिसके लिए न केवल भावी पीढ़ियां वरन् अभी हाल के लोग भी आभारी होंगे। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विकास का मार्ग सुगम नहीं है और इसी बात पर इस समय विवाद हो रहा है।

गत कुछ मास में हमने देश की मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कई काम किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं श्री खाडिलकर की बात को लेता हूं। उन्होंने कहा कि राजकोषीय और ऋण संबंधी नीति और इस क्षेत्र के सब काम अपूर्ण हैं और उनसे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। परन्तु निस्संदेह हम ने विदेशी मुद्रा के व्यय को रोकने के लिए भी कार्यवाही की है और यह अत्यंत गंभीर समस्या हमारे समक्ष है।

मार्च १९५६ के अंत में हमारा पौण्ड पावना लगभग ७४६ करोड़ रुपये था। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का भी अनुभव करें कि उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में एक व्यक्ति था जिसका नाम ति० त० कृष्णमाचारी है। अब पौण्ड पावना ३९३ करोड़ रुपये है। इस प्रकार हमने ३५३ करोड़ रक्षित निधि के और ९५ करोड़ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि म से कम कर दिये हैं मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पौण्ड पावने की यह प्रतिकूल स्थिति अवश्य ही विकास के लिए किये गये आयात के कारण पैदा हुई है।

रक्षित बैंक ने हाल ही में कुछ प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किये हैं जिनके विषय में श्री विमल घोष ने बहुत कुछ कहा है। मैं इन आंकड़ों के सम्बन्ध में ब्योरेवार उल्लेख नहीं करूंगा परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि रक्षित बैंक के आंकड़ों से वह निष्कर्ष नहीं निकलता जो श्री विमल घोष ने निकाला है। रक्षित बैंक के आंकड़ों से पता लगता है कि १९५६–५७ में आयात का भुगतान ३२६ करोड़ रुपये था अर्थात् वह १९५५–५६ से अधिक था इससे कोई इन्कार नहीं करता। यह ठीक प्रकार से देखने का महत्व है कि हम देखें कि किन वस्तुओं का अधिक आयात हुआ है। १९५६–५७ में मशीनरी लोहा इस्पात और धातुओं का आयात १४३ करोड़ अधिक रुपये का था और खाद्यान्न का आयात ७३ करोड़ अधिक रुपये का था। इन दोनों वस्तुओं को मिला कर कुल २१६ करोड़ रुपये का अधिक आयात हुआ।

वस्तुतः हमने इन आयातों के सम्बन्ध में कई जांचें की हैं। वस्तुतः मैं ने उत्पादक माल की १३ वस्तुएं ली हैं जिनका औसत आयात १९५२–५३ से १९५५–५६ तक लगभग २५० करोड़ रुपये का है। १९५६–५७ में अप्रैल से दिसम्बर तक यह आयात २९० करोड़ रुपये का था और यदि आप कागज और पेस्ट बोर्ड को सम्मिलित करें जो निर्माण की वस्तुओं में काम आता है और मोटर गाड़ियों, पुरजों और अलग–अलग पुरजों के रूप में मोटर गाड़ियों (पुरजों) को भी लें जो कुछ हद तक पूंजीगत वस्तुएं हैं और पूर्णतः उपभोक्ता की वस्तुएं नहीं हैं, तो ४० करोड़ रुपये और जोड़ने पड़ेंगे, जिससे गत चार वर्षों में औसत २५० करोड़ रुपये के आयात की तुलना में यह अत्यावश्यक वस्तुओं का ८ मास का कुल आयात लग भग ३२४ करोड़ रुपये का है। मैं समझता हूं कि आयात की गति गत तीन मास में कम होने के बजाय बढ़ी है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध हमें कुछ कहा था। परन्तु तो भी रक्षित बैंक के आंकड़ों को ले तो उनसे पता लगता है कि कपास, पटसन, तेल, रसायन और औषधियों आदि का आयात बहुत कम है; यह लगभग २० करोड़ रुपये का है कपास और पटसन का आयात काम हो रहा है। परन्तु तेल का आयात बढ़ गया है। रसायन का ९ करोड़ रुपये का आयात बढ़ा है, और बिजली की वस्तुओं और अन्य औजारों का आयात १२ करोड़ रुपये का बढ़ा है। इन वस्तुओं के आयातों को कम करने के लिए कोई भी कुछ भी कहे परन्तु कमी की अधिक गुंजाइश का विचार नहीं किया जा सकता। रक्षित बैंक ने इन वस्तुओं के आयात का ब्योरा विस्तारपूर्वक नहीं दिया। इन ९२ करोड़ रुपयों में से सरकार ने खाद्यान्न और मशीनरी के अतिरिक्त ५० करोड़ रुपये का आयात किया है। शेष ४० करोड़ रुपये के आयात में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिन में से कुछ कच्ची सामग्री है और बहुत कम उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उपभोक्ता वस्तुओं में लोग समझ सकते हैं उपभोक्ता वस्तुएं खिलोने आदि हैं।

†श्री विमल घोष : मैंने मुख्यतः यह बात कही थी कि रक्षित बैंक ने बताया है कि १४३ करोड़ रुपये का ऐसे वस्तुओं का आयात किया गया है जो आयोजित नहीं थीं और संयंत्र मशीनें आदि नहीं थीं।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ने अभी बात समाप्त नहीं की है। मैं इस बात के संबंध में कुछ अधिक बताऊंगा। अभी मैं उपभोक्ता वस्तुओं को लेता हूं।

ऐसा लागत है कि लोग समझते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुयें हैं जिन्हें आप कनाट-प्लेस में देखते हैं जिनमें से कुछ मेरे माननीय साथी के कथनानुसार चोरी छिपे लाई जातीं हैं। पर इसका अभिप्रायः अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से, अर्थात् औषधियों आदि से है। वस्तुतः मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्र मिला जो कि एक डाक्टर हैं, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि हमने लगभग ३ महीने से औषधियों का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया है। उनका कहना है कि औषधि का प्रश्न बहुत गंभीर बात बन जायेगा। हम लगभग १५ से १७ करोड़ रुपये की औषधियों का आयात कर रह हैं। औषधियों का मूल्य बढ़ रहा है।

इन उपभोक्ता वस्तुओं में बहुत सी आवश्यक वस्तुएं आ जाती हैं। कोई माननीय सदस्य यह विचार कर सकते हैं कि बच्चों का खाना अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तु नहीं है और हम उसका आयात भी बन्द कर दें। परन्तु हमारे देश के लिए यह भी अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तु हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री विमल घोष को शायद पता नहीं है कि जो बच्चों का भोजन आयात किया जाता है उसे हमारे देश के अमीर आदमी नहीं खरीदते।

†श्री विमल घोष : पर अब आप उसमें कमी कर रहे हैं।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमें कई आवश्यक बातों के संबंध में भी कमी करनी पड़ेगी। मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूँ कि आयात किया हुआ बच्चों का भोजन धनी लोग नहीं खरीदते बल्कि गरीब लोग, जो १५० रुपये या १२० रुपये मासिक वेतन पाते हैं, खरीदते हैं। जब उसका बच्चा बीमार होता है या बीमारी के बाद बहुत कमजोर हो जाता है तो उसे बच्चे को देने के लिए दूध नहीं मिलता तब वह आयात किया हुआ बच्चों का भोजन खरीदकर अपने बच्चे को देता है। मैंने इस व्यापार के संबंध में वर्षों काम किया है अतः मैं आप को बताता हूं कि इससे आप २८ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय कमी नहीं कर सकते।

मेरे माननीय मित्र ने रक्षित बैंक का जिक्र किया उसके बारे में मैं आप को अभी उत्तर दूंगा। इस समय मैं आप को यह बता रहा हूं कि देश में औद्योगिक संसाधनों की वृद्धि हो जाने से हम अपने आयात में कमी कर रहे हैं। हमें कच्चे माल का आयात करना आवश्यक है अतः हम कुछ आयातों में कमी कर रहे हैं। अतः यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार हमारे उद्योग के कच्चे माल के लिए १४६ करोड़ रुपये की बचत होती है।

मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में और इस योजना में हमारी जो आयात नीति है वह हमारे विकास कार्य के तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से है। जब देश के भीतर उत्पादन तथा विनियोजन बढ़ाना था और देश के उत्पादन के स्तर को ऊंचा उठाना था तब हमने खल कर आयात करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साथ ही हमने अनावश्यक आयातों

†मूल अंग्रेजी में

को हमेशा कम करने का ध्यान रखा है। इस संबंध में मैं गत ५ वर्षों की आयात नीति के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बताना चाहूँगा। खुली सामान्य अनुज्ञप्ति की बात कही गयी। लोग समझते है कि इस अनुज्ञप्ति का अर्थ यह कि लोग अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। १९५२ में हमने यह रोक लगादी कि उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात अवश्य हो पर आवश्यकता के अधिक नहीं। १९५३ में हमने सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आयात की जाने वाली वस्तुओं में से २०० वस्तुओं को कम कर दिया। १९५४ में हमने खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में कुछ वस्तुयें बढ़ा दी जैसे तैयार किया हुआ गंधक और रोलर बेयरिंग क्यों कि यह हमारे उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। १९५५ में देशी उद्योग को ध्यान में रखकर हमने एक दो चीजें इस अनुज्ञप्ति से निकाल दीं। १९५६ में खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के डालर क्षेत्र में से २६ वस्तुओं और सुलभ मुद्रा क्षेत्र में से ३१ वस्तुओं को निकाल दिया गया। आयात अनुज्ञप्ति नीति के संबंध में सरकार ने १९५३ से कच्चे माल और अर्ध निर्मित माल के आयात को काफी छूट दे दी थी ताकि देश के भीतरी उत्पादन के लिए कच्चा माल हमारे पास काफी मात्रा में उपलब्ध रहे। १९५२ के उत्तरार्द्ध में देसी उत्पादन को सहायता देने के लिए कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गयी थी उन रोकों को भी कुछ ढीला कर दिया गया था। केवल ऐसी वस्तुओं पर से छूट हटाई गयी या ढीली की गयी जो देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक थीं। हमने मशीनों, औद्योगिक कच्चे मालों तथा कुछ उपभोग वस्तुओं जैसे मसाले तथा फलों के आयात के कोटे में जो कमी थी उसे पूरा कर दिया और उनके आयात में भी कुछ ढिलाई दे दी।

१९५४ में हमने अनुज्ञप्तियों को सधारणतया खुल कर देना शुरू कर दिया और उनमें फोटोग्राफी का समान, ताड़ का तेल, तांबे की नली तथा चद्दरों तथा कांसे की नली आदि वस्तुओं को भी सम्मिलित कर दिया। १९५४ के उत्तरार्द्ध नें प्रशुल्क संशोधन नीति के कारण कुछ वस्तुओं के, जिनमें आयात शुल्क बढ़ा दिये गये थे, आयात के कोटे बढ़ा दिये गये। जनवरी से जून १९५५ तक हमने लगभग १०० वस्तुओं के आयात के लिए और अनुज्ञप्तियां दीं। १९५५ के उत्तरार्द्ध में कुछ वस्तुओं के आयात का कोटा कम कर दिया और वास्तव में काम में आने वाली वस्तुओं की सूची में बहुत से नयी वस्तुओं को सम्मिलित कर दिया गया। १९५६ के प्रथमार्द्ध में २० वस्तुओं के आयात के कोटे बढ़ा दिये गये; १३ वस्तुओं को सामान्य आयात अनुज्ञप्ति सूची से निकाल दिया गया; और २७ वस्तुओं के आयात के कोटे कम कर दिये गये। हमने पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखा और अनेक उपभोक्ता सामानों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये तथा मशीनों और पुर्जों के आयात पर हमेशा छूट दी।

यदि आप इन अनुज्ञप्तियों के आंकड़ों को देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि १९५६ के पूर्व पिछले ४ या ५ वर्षों की अनुज्ञप्ति अवधियों में पूंजीगत माल, औद्योगिक कच्चे माल पथा लोहा और इस्पात के आयात में लगातार वृद्धि ही हुई है। सरकार के संचालन में और विशेषतया आर्थिक गधिविधियों के संचालन में हम यह नहीं कह सकते कि यह हमारा अटल सिद्धान्त है हम इससे डिगेंगे नहीं। इससे तो अर्थ व्यवस्था बिगड़ती और नष्ट हो जाती है। विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में हम किसी भी समय यह नहीं कह सकते कि अब और आयात नहीं करेंगे या हम केवल अमुक-अमुक वस्तुओं का ही आयात करेंगे। विकसित और अर्द्धविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमें प्रत्येक वस्तु के अपेक्षित महत्व पर ध्यान देना पड़ता है और अर्थव्यवस्था को ठीक बनाये रखने के लिये उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी करना पड़ता है।

अर्द्धविकसित भारत का विकास औद्योगिकरण से ही होगा। सभी प्रकार के आयातों को बन्द करके औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता। हमें पूंजीगत माल, अर्ध निर्मित माल तथा कच्चे

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

माल का आयात करना होता है। अनुसूचित उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात जुलाई-दिसम्बर, १९५३ में ६.७ करोड़ रुपये का हुआ था और जनवरी-जुलाई १९५७ में ३३.३ करोड़ रुपये का हुआ है। कास्टिक सोडे का आयात १९५१–५२ और १९५६–५७ के बीच २० प्रतिशत बढ़ गया है साथ ही देश में भी इसका उत्पादन बढ़ा। इसी अवधि में तांबे का आयात ४ गुने से अधिक तथा गंधक का आयात २ गुना हुआ।

यह सब हमारी प्रगतिशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। जिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता था हमें उनका भी आयात करना पड़ा। उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों में कभी कमी और कभी बढ़ती होती रही जैसा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया। स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने आयात अनुसूचियों को फिर से ठीक किया है और अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को संरक्षण भी दिया है। शुल्कों में बहुत वृद्धि करके हमने अनेक उद्योगों को जो संरक्षण दिया उसका परिणाम यह हुआ कि हमें देश के भीतर मूल्यों को कम करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप हमें उन वस्तुओं के आयात में कुछ उदारता दिखाई जिनपर बहुत अधिक आयात शुल्क था। देश के भीतरी उत्पादन तथा विदेशी विनियम की स्थिति दोनों को ठीक बनाये रखने के लिए हमने उन देशीं उत्पादनों की निर्मात नीति ढीली कर दी जिनका उत्पादन काफी था गौर जिनके लिए हमें नये बाजार की खोज करनी थी। इन उपायों में हमें कहां तक सफलता मिली इसका पता हमें इन आंकड़ों से लगता है कि मई १९५२ में हमारा पौण्ड पावना ६८७.१७ करोड़ रुपये था दिस्म्बर में ७०७.४ करोड़ रुपये हो गया; अगले वर्ष जून में ७१३ करोड़ रुपये दिसम्बर १९५३ में ७२४ करोड़ रुपये, जून १९५४ में ७४४ करोड़ रुपये; दिसम्बर १९५५ में ७३३ करोड़ रुपये, जून १९५५ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में १२ करोड़ रुपये देने के बाद ७१६ करोड़ रुपये; दिसम्बर १९५५ में; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ७ करोड़ रुपये देने के बाद ७३८ करोड़ रुपये, जनवरी १९५६ में ७४२ करोड़ रुपये, मार्च १९५६ में ७४८ करोड़ रुपये हो गया। अतः मई १९५२ से मार्च १९५६ तक हमारे पौण्ड पावने में लगभग ६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके साथ साथ अत्यावश्यक आयातों को भी प्रोत्साहन दिया गया जिससे हमारी अर्थव्यवस्था स्थायी तथा अच्छी प्रकार संतुलित रही। अतः आलोचना करने वालों को पहले तथ्यों को देखना चाहिए उसके बाद आलोचना करनी चाहिए।

हमारी वाणिज्य नीति की आलोचना करने वालों को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल आयातों को रोक-कर ही नहीं बल्कि अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनाकर, कि हम बने हुए माल का अधिक से अधिक निर्यात करें, हम संसार में अपनी स्थिति मजबूत बना सकते हैं? इसके लिए पहली बात यह जरूरी है कि हम देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाये और दूसरी बात यह है कि कच्चे माल तथा मशीनों के पूर्जों का अधिक से अधिक से आयात करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १९५२ से हमारी जो वाणिज्यिक नीति रही है उससे देश के विकास को काफी सहायता मिली है। इससे हमारे देश की अर्थ व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और हमारा भुगतान संतुलन भी बहुत अच्छी स्थिति में यहा है।

मैं स्थिति की गंभीरता को भी छिपाना नहीं चाहता—हमारे विदेशी लेखे में अब संतुलन हमारे प्रतिकूल हो गया है। विदेशी विनियम की कठिनाइयों का हमें पहले से ही भान था और उन पर योजना में भी जोर दिया गया है। योजना के पृष्ठ ९४ से १०५ तक यदि माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि योजना के निर्माताओं ने सब बातें स्पष्ट बताई हैं। ११०० करोड़ रुपये की कमी का भी उसमें उल्लेख है। उन्हें आशा थी कि २०० करोड़ रुपये की कमी पौण्ड पावने से दूरी हो जायेगी फिर भी ९०० करोड़ रुपये की कमी रह जायेगी। हमारी कठिनाइयों के बढ़

जाने के अनेक कारण हैं। योजना के कुछ कार्यों के लिए किये गये उपबन्ध पर्याप्त नहीं थे। हमारे आयात की अनेक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये। व्यापार की १०% वृद्धि का कारण ८० करोड़ का प्रतिकूल संतुलन और बढ़ जायेगा। खाद्यान्नों का हमें काफी आयात करना पड़ रहा है और प्रतिरक्षा पर भी हम काफी बड़ी बड़ी राशियां व्यय कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र में जितनी राशि के विनियोजन का अनुमान था उससे अधिक राशि हम उसमें लगा चुके हैं। योजना में यह अनुमान किया गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी औसतन इतना ही विकास होगा। जहां तक हमारे भारत सरकार के विभागों का प्रश्न है वह ५ वर्ष के लक्ष्यों को लेकर चलते है वार्षिक लक्ष्यों को नहीं। अतः हमारे आने वाले वर्षों में भुगतान का संतुलन अधिक प्रतिकूल नहीं रहेगा क्योंकि हमने मशीनें आयात कर ली हैं और यदि हम आगे कुछ समय तक मशीनों का आयात न करें तो भी हमारे विकास की गति तथा रोजगार की स्थिति को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। पर यह बात हमेशा के लिए नहीं है।

हमने भुगतान के संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए जो कदम उठाये हैं उनके बारे में सभा को पता ही है। प्रथम बात हमने यह की कि १९५६ के उत्तरार्द्ध में विदेशी विनियम नियंत्रण को केन्द्र के हाथों में पूर्णतया कर दिया गया। सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया कि विदेशी विनियम से संबंध रखने वाले उनकी सभी प्रस्थापनाओं की कड़ी छानबीन की जायेगी। यदि कोई माननीय सदस्य विदेश जाना चाहेंगे तो उनको भी तब तक नहीं जाने दिया जायेगा जब तक कि उनके बाहर जाने का कोई विशेष कारण न हो। अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय की व्यय करने वाले कार्यक्रमों को रोकने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

जनवरी—जून १९५७ की आयात नीति में अनेक वस्तुओं के, जिनमें से कुछ कुछ हद तक अत्यावश्यक है तथा कुछ अत्यावश्यक नहीं है, कोटे में कमी करने का उपबन्ध किया गया है,। पूंजीगत माल का आयात करने वालों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने विदेशी विनिमय को इस समय न्यूनतम रखें इसके लिए चाहे वे विदेशी विनियोजन स्वीकार कर लें या विलम्ब से किये जाने वाले भुगतान के आधार पर माल का आयात करें। मैंने उनको बता दिया था कि प्रथम भुगतान १९५९ में शुरू होगा पर अब हमने १९५९ को बढ़ाकर १९६० कर दिया है।

विदेशी विनिमय की बढ़ती हुई परेशानियों को देख कर हमने निश्चय किया है कि तीन महीने तक जुलाई से सितम्बर १९५७ तक हम विदेशी विनिमय का कोई नया लेन देन नहीं करेंगे। केवल उन लोगों को ही अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं जो आयातों का उपयोग स्वयं करते हैं और उनको भी केवल कच्चे माल तथा ऐसी चीजों के आयात को अनुमति दी गयी है जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में नयी योजनाओं के लिए पूंजीगत माल का आयात करने के लिए अनुज्ञप्तियां इसी शर्त पर दी जाती हैं कि आयात या तो बाद में भुगतान के आधार पर किया जाये या विदेशों से साझेदारी के आधार पर।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

केवल कुछ वस्तुओं को जैसे पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले फल तथा ताजी सब्जी को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के लिए खुली सामान्य अनुज्ञप्तियां वापस ले ली गई हैं। साथ ही निर्माण को बढ़ाने के लिए भी भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। यह एक कठिन काम है। हमारी सफलता की नाप केवल इसी से नहीं की जा सकती कि हमने कितना प्रयत्न किया क्योंकि सफलता ऐसी अनेक अन्य बातों पर भी निर्भर है जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। एक और बात है कि हम जितना अधिक निर्यात करेंगे उतना ही जोर हमारे देश के भीतरी संभरण तथा मूल्यों पर पड़ेगा। अभी उस दिन

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा था कि हम मूंगफली के तेल का निर्यात कर सकते हैं। पर हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के भीतर मूल्यों पर इसका दबाव पड़ता है।

सरकार की यह इच्छा है कि जहां संभव हो निर्यात में वृद्धि की जाये। सभा स्मरण करेगी कि आयव्ययक बनाते समय मैं ने निर्यात संबंधित उद्देश्य को सामने रखा है। जो कार्यवाही हमने की है वह पर्याप्त रूप में कड़ी है और हम जब तक आवश्यक होगा आयात पर पूरा नियंत्रण रखेंगे।

फिर भी मैं सभा के समक्ष एक तथ्य रखना चाहता हूं। हमारे पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे लिये अगले साल या उससे अगले साल तक हमारे भुगतान संतुलन की अव्यवस्थित दशा को ठीक करना संभव न होगा जब तक कि विदेशों से पर्याप्त सहायता न मिले। कुछ समय तक हमें हमारी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये अपने ही संसाधनों पर आश्रित रहना पड़ेगा। किन्तु योजना की आवश्यकतायें ऐसी हैं कि हमें अनिवार्यतः वैदेशिक वित्त प्राप्त करने का यत्न करना होगा।

एक योजना को स्वीकार करने में जबकि विदेशी मुद्रा की भारी कमी है—मैं फिर यह बात कहता हूं कि हमें कुछ खतरे मोल लेने पड़े हैं। यह खतरा हमने इस कारण मोल लिया क्योंकि इतनी बड़ी योजना के बिना हमारी अर्थव्यवस्था प्रगतिशील नहीं हो सकती थी। जब संसद् ने इस योजना को स्वीकार किया तब विदेशी की कमी ६०० करोड़ रुपये की थी।

हाल ही में हमारे एक राजदूत को एक विदेशी पत्रकार ने यह पूछा कि विदेशी मुद्रा की इतनी कमी होते हुए इतनी बड़ी योजना को स्वीकार करके हम विदेशी मुद्रा के इस खतरे को क्या स्वतः ही मोल नहीं ले रहे। इस प्रश्न में सार है। किन्तु उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर योजना बनाने वालों से मिलना चाहिये। इस सभा में २६ मई, १९५६ को भाषण देते समय प्रतिष्ठित भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था :—

> "जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विदेशी मुद्रा की कमी १,१०० करोड़ रुपये की है और हम समझते हैं कि २०० करोड़ हमारे एकत्रित पौण्ड पावने की राशि में से प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिये ६०० करोड़ रुपया विदेशों से ही प्राप्त करना है। यह संभावना है। यदि हम अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ायें और अनाज हमारी आवश्यकता से अधिक हो तो इस से हमारा आयात घट सकता है और कुछ रुपया हम निर्यात से भी कमा सकते हैं। दूसरे तरीके वहां दिये गये हैं—विदेशों से ऋण लिया जा सकता है—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान लिये जा सकते हैं और इसी प्रकार की सहायता ली जा सकती है। केवल एक बात जिसके बारे में हमारे विरोधी सदस्यों तथा हमारे बीच सिद्धान्त का विरोध है वह है विदेशी पूंजी लगाने के बारे में.....जो आंकड़े हमने लिये हैं वह ज्यादा नहीं है—यह पहले आंकड़ों की तुलना में ठीक है—अर्थात् पिछले सात वर्षों में जो विदेशी पूंजी यहां लगी है उसकी तुलना में। मेरे विचार में यह १३० करोड़ थी।"

कोई यह नहीं कह सकता कि पहले इस बात को बताया ही नहीं गया। और न यह ही है कि हमें पहले इसका ध्यान नहीं था या यह कि यह संकट हमारे किसी विचारहीन

कार्य के परिणामस्वरूप ही सामने आयेगा । आरंभ में बहुत सी अनिश्चितायें थीं । फिर भी संसद् ने योजना को स्वीकार किया तथा यह खतरा मोल लिया । मैं केवल यह बात कह रहा हूं कि सभा ने यह जोखिम ली और जोखिम यह थी कि बिना महान् बलिदानों तथा कठिनाइयों के हम उस कमी को पूरा न कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद बहुत सी बातें हुई हैं । विदेशी मुद्रा को प्रतिरक्षा आवश्यकताओं पर देना पड़ा है और उस भुगतान में अधिक वृद्धि हो गई है । दुनिया में चीजों के मूल्य बढ़े हैं और स्वेज नहर आदि की घटनाओं का बहुत सा प्रभाव पड़ा है । हमें तेल के विकास तथा अन्य बुनियादी परियोजनाओं के लिये ज्यादा रुपया जुटाना पड़ा है हालांकि इन योजनाओं के बारे में योजना में इनकी पूरी पूरी व्यवस्था नहीं थी । सरकार ने प्रत्येक अवस्था पर इन बातों को संसद् के समक्ष रखा है ।

इस पद पर आने के दस दिन बाद मैंने राज्य-सभा में कहा था :—

"इस योजना की क्रियान्विति के मार्ग में मुझे आन्तरिक संसाधनों की बाधा प्रतीत नहीं होती किन्तु दूसरी बातें शायद इसकी क्रियान्विति के मार्ग में कठिनाई पैदा करें अर्थात् विदेशी मुद्रा तथा विदेशी चीजों की कीमतों की समस्यायें—"

मैंने आगे कहा था :—

"मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि ८०० करोड़ रुपये की ही कमी नहीं है । कमी इससे भी ज्यादा होगी और शायद १२०० करोड़ रुपये तक हो । मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूं । कुछ संभावनायें हैं— कतिपय दशाओं में हम स्वतः चल रहे हैं ।"

अभी मेरे साथी श्री कानूनगो ने मुझे बताया कि मैं ने १२ अप्रैल, १९५६ को लौहा तथा इस्पात मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए कहा था कि १२०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी है । यह कहां से पूरी होगी ? कुछ अंश तक पौण्ड पावने से यह कमी पूरी की जा सकती है किन्तु सारी कमी तो इस प्रकार पूरी नहीं की जा सकती । उन्होंने कहा कि मैं ने यह बात १ १/२ वर्ष पहले कही थी ।

†श्री विमल घोष : जब योजना बनी तब ४००–५०० करोड़ की कमी का अनुमान था उसकी पूर्ति का भी प्रबन्ध था ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य दोबारा पढ़ें । तब कुछ ऐसा व्यय भी हुआ जो योजना से अलावा था । मैं इस सम्बन्ध में बाद में बताऊंगा ।

दो दिन बाद मैं ने इस सभा को बताया :—

"इन बातों को हमें हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिये जो कि अभी कुछ समय से बिगड़ रही है । रक्षित बैंक की विदेशी आस्तियां ३० मार्च, १९५६ को ७४८ करोड़ थीं किन्तु ३१ अगस्त, १९५६ को कम होकर यह आस्तियां ६३४ करोड़ हो गयीं ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं ने बताया था, "फिर भी जिस गति से यह कमी होती जा रही है वह तीव्र है । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी लगाई जायेगी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र म भी पर्याप्त धन लगेगा—हमें अपने देश के विदेशी मुद्रा के संसाधनों के परिरक्षण तथा संवर्धन के लिये मार्ग ढूंढना होगा ।"

इसके आगे मैं ने बताया था, "पूंजी लगाने की गति धीमी करने से यह संभव है कि हम एक प्रकार का संतुलन मांग तथा संभरण का स्थापित कर सकें । किन्तु ऐसी नीति योजना के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगी । वास्तव में यह नीति योजना के उद्देश्य के खिलाफ है । विकास का अर्थ है कि सामूहिक मांगें बढ़ें और मांगों की पूर्ति के लिये संसाधनों के प्रभावपूर्ण विकास से संभरण की मात्रा में मांगों को पूरा करने के लिये यथोचित वृद्धि की जाये ।"

आज भी मैं यही कहता हूं कि हम प्राथमिकता योजना को देंगे । किन्तु जो बातें मैं ने ऊपर बताई हैं उनसे सिद्ध होता है कि हमें विदेशी मुद्रा के प्रश्न पर अधिकतम रूप से सतर्क रहें ।

मैं इस सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं । कई माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर बोलते समय बताया कि देश के प्रतिरक्षात्मक पहलू को और भी ज्यादा मजबूत किया जाये । उन्होंने ठीक कहा । मैं ने वाद-विवाद को सुना—किन्तु रुपया कहां से आयेगा ? हम कुछ रुपया व्यय कर रहे हैं किन्तु वह योजना के अलावा है । केवल हमारे पास इस समय ९०० करोड़ विदेशी मुद्रा ही की कमी नहीं है बल्कि योजना से अतिरिक्त व्यय के लिये कोई भी उपबन्ध नहीं हैं । उसके बाद अनाज के आयात का प्रश्न है । योजना १९५३-५४ के हालात को दृष्टि में रखकर बनी है । योजना के अलावा दूसरा व्यय भी सदैव रहता है । इन बातों से कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

कोई भी यह नहीं कहता कि हमें कठिनाइयां नहीं है । कोई यह नहीं कहता कि हम अनावश्यक बातों में कमी नहीं करेंगे । लेकिन इन बातों के कहने में कोई सार नहीं है कि सरकार ने इस संकट को पहले नहीं देखा—और यह कि सरकार की वाणिज्यिक तथा औद्योगिक नीति योजना से असंबंधित रही । वास्तव में यदि प्रथम योजना न होती तो औद्योगिक विकास के लिये दूसरी योजना न होती । यदि हमें देश की औद्योगिक क्षमता का पता न होता तो हम १२०-१५० लाख टन सीमेंट तथा ६० लाख टन इस्पात की बात न सोच सकते । एक बात से दूसरी पैदा होती है ।

यह सच है कि एक कमी को पूरा करते हुए दूसरी कमियां आ जाती हैं, और हम संकट में हैं । हम ने सीधी जोखिम ली—और इसीलिये भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि इस सीधी जोखिम को पार करना है । यहां मेरे नवयुवक मित्र ने कहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी के लिये हमें किसी को भी दोषी नहीं बनाना चाहिये ।

यह नम्रता की बात है । वह मुझे दोष देना चाहेंगे । किन्तु वास्तव में हम किसी का दोष नहीं दे सकते और न ही योजना आयोग को दोष दे सकते हैं क्योंकि हमने योजना को स्वीकार किया है । योजना आयोग ने कुछ प्रस्तावनायें रखी थीं हम कह सकते थे कि हम इतनी बड़ी योजना नहीं चाहते—हम यह सब नहीं चाहते ।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां तक विदेशी मुद्रा का संबंध है मैंने अपनी पूरी योग्यता से यह बताने का यत्न किया है कि सरकार बढ़ी हुई विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं तथा औद्योगिक क्षेत्र जो कि इस योजना का आवश्यक अंग हैं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहली योजना के समय से ही तैयारी कर रही है ।

और मैं —यदि कोई ऐसा जांच आयोग नियुक्त कर सकता—है उसके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं । किन्तु यदि कोई आयोग बनाया जाता है तो वह अन्त में उन्हीं लोगों की निंदा करेगा जिन्होंने योजना को स्वीकार किया क्योंकि सारी कठिनाइयां योजना ही के कारण उत्पन्न हुई हैं—हमारी नीति से नहीं—और उस सीमा तक हमारे माननीय विरोधी सदस्य भी जिम्मेदार हैं ।

दो एक बातें और हैं जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है । किसी ने राज्यों के ऋणों के बारे में कहा । शायद श्री मुहीउद्दीन ने यह बात कही थी । मुझे इस में भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि भूमि सुधार कर न लगाया जाये । सारी बात यह है कि जब हमने राज्यों को परियोजनाओं के लिये ८०० करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिनके परिणाम.....

†**श्री वीरेन्द्र सिंह जी** : मैं ने यह नहीं कहा । मैं ने कहा था कि सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यह कर लगाया जाये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : तब ठीक है । खैर विभिन्न बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं पर ५०० करोड़ रुपये का हिसाब लगा है । वास्तव में यह ऋण राज्यों को विकास के स्पष्ट प्रयोजन के लिये दिया जा रहा है और वह राज्य या तो कर संसाधनों से या भूमि सुधार कर से जिसे अब लगायें या बाद में या सिंचाई के शुल्क से एक प्रकार की एक भुगतान निधि बनाते हैं ताकि वह ऋण को वापस कर सकें । आखिर माननीय सदस्य यह बात भूल जाते हैं कि वह संसद् के सदस्य हैं और जो व्यय हम करें उनमें उनका भी उत्तरदायित्व है यदि आप व्यय मंजूर कर के यह कहें कि इसे मुफ्त दे दो तो तब आपको रुपये की जरूरत होगी आपके पास रुपया कहां से आयेगा । आखिरकार हम भी कुछ पूंजी की आस्तियों तथा संसाधनों पर ऋण देते हैं ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्यों को यह देखना होगा कि क्या ये परियोजनायें कुछ लाभदायक होंगी । कई बार राजनैतिक दबाव आदि के कारण केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग को यह परियोजनायें स्वीकार करनी पड़ जाती हैं जो कि पहले २ १/४ प्रतिशत लाभ दें तथा बाद में कम । उसका अर्थ यह है कि उस विशेष परियोजना के ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी राज्य की है ।

मेरा ध्यान बिजली की दरों पर भी दिलाया गया है जो कि कुछ राज्यों में लागू किये जा रहे हैं विशेषतया उन राज्यों में जो कि विश्व बैंक के पास ऋण लेने जाती हैं । विश्व बैंक ने कहा है कि इन दरों से वह ऋण नहीं चुका सकतीं ।

राज्यों को ऋण देने के इस प्रश्न पर जांच की आवश्यकता है । किन्तु माननीय सदस्यों को यह जान लेना चाहिये कि ये ऋण केन्द्रीय आस्तियां हैं जिन्हें बड़े कड़े कराधान से बनाया गया है और जिनका परिरक्षण करना उनका कर्तव्य है । उन्हें यह ऋण लौटाने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

चाहियें क्योंकि अन्ततः यह भार भारत की जनता पर पड़ता है—राज्यों पर नहीं । इस कारण से इस बात को हम किसी छोटे दृष्टिकोण से नहीं देख सकते ।

मेरे माननीय मित्र ने कुछ बातें मुख्यलेखापाल के कार्यालय के बारे में भी कहीं हैं । मैं माननीय सदस्यों को एक बात बताना चाहता हूं कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक जो मुख्य लेखापाल के दफ्तर का नियंत्रण करता है—स्वाधीन है । मैं लेखे के लिये उस पर आश्रित हूं । कभी लेखा पृथक्करण होगा । तब मैं श्री शंकरैया के प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा । अब मेरे पास यह शक्ति नहीं है कि मैं नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से जानकर यह कहूं कि तुम्हारा मुख्य लेखापाल ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता । कई लोग यह सोचते हैं कि लेखापरीक्षक विभाग पर वित्त मंत्री का नियंत्रण है । ऐसी बात नहीं है । मैं तो उसके दफ्तर में जा भी नहीं सकता । वह कह सकता है कि तुम मेरे अधिकारी नहीं हो यहां से चलते बनो । मैं केवल एक बात कर सकता हूं। उसका वेतन ऐसे समय तक रोक सकता हूं जब तक संसद मेरे आदेश को रद्द न करे । सो मेरी यह कठिनाई है ।

मैं आशा करता हूं कि श्री विमल घोष की दोनों बातों का उत्तर दो मिनट में दे सकूंगा । मैं तो हैरान था कि श्री घोष ने इन बातों का उल्लेख पहले नहीं किया । उन्होंने समवय कानून के प्रवर्तन में पर्याप्त रुचि ली । उन्होंने कहा कि किसी ने यह आश्वासन दिया था कि समवाय विधि के अन्तर्गत समवायों सम्बन्धी सभी बातों अर्थात् पूंजी नियोजन आदि की भी व्यवस्था होगी । यदि किसी ने ऐसा आश्वासन दिया था तो वह गलत है क्योंकि इन बातों पर अर्थात् पूंजी निगम आदि के मामलों पर आर्थिक मामलों का प्रभाव पड़ता है ।

समवाय अधिनियम केवल व्यवस्था तथा सांख्यकी से सम्बन्धित है और जैसा एक मित्र ने कहा है कि यह विक्रय कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। यह ठीक है कि उस में वह त्रुटि है और हम उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं । किन्तु केवल इसी लिये कि हमारे हां समवाय विधि है हमें केवल विशेष प्रशासन रखकर शेष बातें उन्हें सौंप देनी चाहियें । पता नहीं माननीय मित्र को यह विचार किस ने दिया है । मैं समवाय विधि प्रशासन को सर्वशक्तिसम्पन्न नहीं बनाना चाहता—क्योंकि आखिर में मैं आर्थिक व्यवस्था का भी जिम्मेदार हूं । यदि माननीय मित्र को किसी ने बताया हो कि समवाय विधि ने प्रशासन की शान घटा दी गई है—तो मैं समझता हूं कि यह समय था कि यह किया गया । समवाय विधि प्रशासन की कोई शान नहीं है क्योंकि इस का काम प्रवर्तन को देख-रेख करना है और अधिक कुछ नहीं । मैं ने वित्त मंत्री के रूप में पूरे उत्तरदायित्व से परिवर्तन किये थे और यदि इस बारे में माननीय सदस्य को कोई सन्देह था तब वह मुझसे पूछ सकते थे और मैं उन्हें बता सकता था । मुझे आशंका है कि ये बातें किसी रुचि रखने वाले पक्ष की ओर आ रही हैं ।

माननीय मित्र ने जीवन बीमा निगम की पूंजी नियोजन के बारे में पूछा । वह १३ अगस्त के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर को पढ़ लें उसमें इसी बात का जवाब है । जहां तक भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का सम्बन्ध है—मैं समझता हूं कि मैं ने उस आश्वासन को निभाया है । मैंने ऐसी जगह स्थायित्व स्थापित किया है जहां स्थायित्व रखना बड़ा कठिन होता है—इसलिये बीमा निगम ने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी किया है—वह ठीक ही हुआ है ।

श्री साधन गुप्त ने भी अन्य प्रश्न उठाये । यदि वह जानकारी हमें दें हम उन कमियों तथा त्रुटियों को दूर करेंगे । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपराधों में ६० लोगों पर हम अभियोग चला चुके हैं--किन्तु मैं समझता हूं कि अभी कुछ और भी मामले हैं । माननीय मित्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये उन्हें मेरे पास वह सूचना देनी चाहिये ताकि मैं इस मामले में कार्यवाही कर सकूं ।

श्रीमान् यदि कुछ और बातें रह गई हों तो माननीय सदस्य मुझे याद दिला दें मैं उनका उत्तर वित्त विधेयक के वाद-विवाद का उत्तर देते समय दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभा के सामने कटौती प्रस्ताव रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२७	वित्त मंत्रालय	९०,३८,०००
२८	सीमा-शुल्क	२,३५,१६,०००
२९	संघ उत्पादन शुल्क	४,३३,९१,०००
३०	आय-कर, निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित	२,७३,४६,०००
३१	अफीम	२१,२५,०००
३२	स्टाम्प	९७,२५,०००
३३	लेखा-परीक्षा	५,४३,६७,०००
३४	मुद्रा	२,०९,३९,०००
३५	टकसाल	१,९५,८६,०००
३६	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	१६,३०,०००
३७	वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	१,५८,०१,०००
३८	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१४,८४,३०,०००
३९	योजना आयोग	९६,०२,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३,५६,०००
४१	विभाजन-पूर्व के भुगतान	४०,१४,०००
१०९	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	४,४४,०००
११०	मुद्रा और टंकण पर पूंजी व्यय	१,५५,६४,०००
१११	टकसाल पर पूंजी व्यय	४२,००,०००
११२	निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य	२४,८२,०००
११३	छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	१४,०००
११४	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६७,४१,५४,०००
११५	केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	६९,६६,८२,०००

†मूल अंग्रेजी में

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित शेष मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९९	संसद्-कार्य विभाग	१,१२,०००
१००	लोक-सभा	८०,४६,०००
१०२	राज्य-सभा	२४,५५,०००
१०३	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	३६,०००

विनियोग (संख्या ४) विधेयक*

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं** ।

मैं प्रस्ताव ‡ करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

*भारत सरकार के असाधारण ज़ट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक २४-८-५७ में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया

† मूल अंग्रेजी में

‡ राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किय गया

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें करीब करीब सारी वही मांगें हैं जिन पर यहां चर्चा हो चुकी है; कुछ ही मांगें ऐसी हैं जिन पर यहां चर्चा नहीं हुई और जिनके बारे में मुक्तबन्ध का प्रयोग किया गया । इसलिये मैं सभा से इस प्रस्ताव को पारित करने के अतिरिक्त और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

† श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : यह आश्चर्य की बात है कि हमसे एक ऐसे विधेयक में बोलने को कहा जा रहा है जिसकी एक प्रति भी हमारे पास नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक की प्रतियां एक घंटे पूर्व नोटिस आफिस में रखी जा चुकी हैं । क्योंकि माननीय सदस्य यहां बैठे हैं अतः वे वहां से विधेयक की प्रतियां प्राप्त न कर सके। वस्तुतः उसमें मांग की अनुसूची की अलावां और कुछ भी नहीं है; यह पहिले ही स्वीकृत हो चुकी है ।

†श्री नौशीर भरूचा : प्रतिरक्षा बजट में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है कि प्रतिरक्षा के लिये कौन सी सामग्री खरीदी जा रही है । निस्संदेह कुछ बातों को खुले आम नहीं बताया जा सकता है तथापि व्यय की मुख्य मदें तो अवश्य ज्ञात होनी चाहियें जिसमें यह ज्ञात हो सके कि क्या हम अभी द्वितीय महायुद्ध के समय वे ही शस्त्रास्त्र खरीद रहे हैं अथवा क्षेप्यस्त्रों (बालिस्टिक वीपन्स) के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्था की है क्योंकि इन अस्त्रों के विकास ने पुराने अस्त्रों को बिल्कुल निरर्थक सिद्ध कर दिया है उन्होंने सभा को यह भी नहीं बताया है कि भविष्य में अणु अस्त्रों के उपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्त्रों में क्या परिवर्तन किया गया है । यदि प्रतिरक्षा मंत्री उन्हें प्रतिरक्षा के रहस्य समझते हैं तो इस बात की जांच के लिये इस सभा के सदस्यों की एक प्रवर समिति बनाई जाय ।

अब मैं विदेश मंत्रालय सम्बन्धी प्रश्नों को लेता हूं। गोआ का प्रश्न कई वर्षों से लटका हुआ है । मेरा सुझाव है कि नगर-हवेली को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य बना दिया जाय और तब वह सारी पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र करवाने का नेतृत्व ग्रहण करे । मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार अहिंसा पर चल कर भी हम सारी पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं ।

आप रक्षित कोष में कमी कर रहे हैं । मैंने वित्त मंत्री के भाषण बड़े ध्यान से सुना है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संसद् इतनी बड़ी योजना स्वीकार करने की अपराधी है । मेरे विचार से इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा । क्योंकि इस रक्षित कोष का विदेशी आस्तियों के रूप में होना ठीक है क्योंकि अपने कामों को पूरा करने के लिये हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । इन आस्तियों से हमारे द्वारा चलाये गये नोटों में जनता का विश्वास रहता है । एक बार जब भारत रक्षित बैंक अधिनियम ने न्यूनतम राशि का उल्लेख कर दिया गया है तो मेरे विचार से उसे कम करना उचित नहीं है । वित्त मंत्री भले ही कुछ भी कहें वे इस योजना को नहीं बचा सकते हैं । यह सच है कि हमारी मुद्रा अन्य कई देशों की मुद्रा से सुदृढ़ है तथापि शक्तिशाली मुद्रा भी एक दिन में ही दुर्बल हो जाती है । वस्तुतः योजना में इतनी राशि की कमी है कि ऐसा समय आ सकता है जब हमें रुपये का अवमूल्यन करना पड़े अथवा अपनी योजना में ही कटौती करनी पड़ेगी ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

जहां तक राजनैतिक दलों को चन्दा देने का प्रश्न है, मैं इस बात पर विस्तार से अपने विधेयक को प्रस्तुत करते समय बोलूंगा, क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में एक विधेयक की पूर्व सूचना दे चुका हूं। मेरे विचार से सरकार के प्रति किसी को संदेह नहीं होना चाहिये जब कि विभिन्न समवायों और पूंजीपतियों से अंशदान स्वीकार करने पर लोग सरकार को संदेह की दृष्टि देखने लगते हैं।

अब मैं कर्मचारी भविष्य निधि के प्रश्न को लेता हूं। इसके क्रियान्वित न करने को हस्तक्षेप अपराध ठहराया जाना चाहिये। क्योंकि मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक स्थान पछोरा में देखा कि एक कारखाने के नियोजकों ने कारखाना बन्द कर दिया और कर्मचारियों की सारी भविष्य निधि हड़प ली। सरकार यह सब चुपचाप देखती रही। अधिनियम को क्रियान्वित करने में इस प्रकार का पक्षपात किया जाता है क्योंकि बिना इसके उन्हें चन्दा नहीं मिल सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि बम्बई और कलकत्ता के न्यायालयों में द्वेष प्रणाली चलती है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह प्रणाली भविष्य में भी कायम रहेगी या नहीं।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने पहिला प्रश्न यह उठाया है कि प्रतिरक्षा का स्वरूप बदलना होगा। उन्होंने यह अनुमान भी लगा लिया है कि हम इसका स्वरूप बदल सकते हैं। इससे उन्होंने हल निकाला है। उनके अनुमान यदि सत्य भी मान लिये जायें तो भी उनके हल गलत हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात को बताने का दायित्व नहीं लेंगे कि अणु युद्ध का मुकाबला करने के लिये प्रतिरक्षा का स्वरूप किस प्रकार बदला जाये। वस्तुतः हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते हैं।

गोआ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को २ सितम्बर तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब इस सभा में विदेश-कार्य मंत्रालय पर चर्चा की जायेगी।

वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में वे बहुत उदार हैं। इस बात के लिये इच्छुक हैं कि मैं देश के कल्याण का विचार करूं। और इसलिये मुद्रा का अवमूल्यन कर दूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता कि वे इस प्रकार देश को कहां ले जाना चाहते हैं। मेरे विचार से अवमूल्यन से किसी भी गम्भीर समस्या का उपचार नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी देश की अर्थ-व्यवस्था में विदेशी विनिमय देश की आर्थिक लेन देन का बहुत छोटा भाग है। यदि आप केवल आंशिक लाभ के लिये देश की अर्थ-व्यवस्था भंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। वस्तुत ऐसे मामलों पर सभा में इस प्रकार चर्चा नहीं की जाती है क्योंकि अवमूल्यन करने वाले देश अंतिम समय तक यही कहते हैं कि वे अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि विदेशी सहायता न मिलने तथा कोई संसाधन प्राप्त न होने पर भी यदि सभा का समर्थन रहेगा तो मैं मार्च १९५९ तक रुपये का अवमूल्यन नहीं करुंगा। मेरे विचार से यह सुझाव अनुचित है।

माननीय सदस्य इस बात के लिये भी बहुत संवेदनशील हैं कि विश्व तथा भारत की जनता यह कहेगी कि सरकार केवल इसलिये पक्षपात कर रही है कि कुछ कम्पनियों ने कांग्रेस को चन्दा दिया है। विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्य यह भी कह देते हैं कि उसके बदले में उन्हें रियायतें दी जायेंगी। यदि रियायतें देना उचित होगा तो अवश्य दी जायेंगी। यदि रियायतें नहीं दी जायेंगी तो वे कहेंगे कि हमने उनका कुछ और काम किया है। वे लोग स्वयं भी देवता नहीं हैं। उनकी बातों की जांच नहीं की जा सकती है। यदि हम उन्हें कुछ रियायतें देंगे तो वे प्रकाशित होंगी

† मूल अंग्रेजी में

और सभी सदस्य उनकी जांच कर सकेंगे। इसलिये रियायतों के दल को दिये गये चन्दे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। कदाचित माननीय मित्र ने (अपने चुनाव में) कोई धन व्यय नहीं किया किन्तु उसी पक्ष के कई सदस्यों ने धन व्यय किया जो विभिन्न तरीकों से आया। स्पष्ट वक्ता भिन्न होने के नाम पर इस प्रकार आरोप लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने बम्बई तथा कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की द्वैध प्रणाली का भी जिक्र किया। विधि मंत्री अभी हाल तक कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील रहे हैं। वे इस बात का निश्चय करेंगे कि द्वैध प्रणाली अच्छी है या बुरी। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरे विचार से उनकी किसी बात में कोई सार नहीं है अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को पारित करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाय।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के सम्बन्ध में, जिसका उत्तर ६–९–५७ को दिया गया था, एक आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करना चाहता हूं। इसके उत्तर में कहा गया था कि इंजिन डिब्बे इत्यादि तथा पटरी का सामान उपलब्ध होने पर गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया जायेगा। इससे ज्ञात होता है कि द्वितीय योजना के प्रति रेलवे बोर्ड का रवैया बहुत उपेक्षा का है। बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् यह योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल की जा सकी, वह भी इस कारण कि मध्य प्रदेश के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठलराव]

कोयला खानों से द्वितीय योजना की अवधि में २० लाख टन कोयले का उत्पादन किया जायेगा और इस कोयले को बम्बई की कपड़ा मिलों में पंहुचाया जायेगा। बम्बई में कोयले की बहुत कमी है और इसके कमी के कारण कई मिलें बन्द हो गई हैं।

इसके सम्पर्क की स्थापना के लिये आज १८ महीने बीतने पर भी केवल सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में तीन सर्वेक्षण हो चुके हैं परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमने निश्चय किया है कि हम केवल ८४२ मील रेलवे लाइनों का निर्माण करेंगे परन्तु जिस गति से हम काम कर रहे हैं उससे हमारा यह लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा और इससे परिवहन के साधनों की अप्राप्यता के कारण हमारी सारी योजना अव्यवस्थित हो जायेगी।

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है किन्तु यातायात के लिये रेलमार्ग नहीं हैं। आसाम को छोड़ कर मध्य प्रदेश में भारत के सभी राज्यों से कम रेलें हैं। अतः यदि हम ६०० लाख टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि रेलों का समुचित विकास करें और इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करें।

अन्य मंत्रालयों की तरह रेलवे मंत्रालय में भी अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियां बनाई जायें। केवल एक राष्ट्रीय रेलवे परामर्शदातृ समिति का होना पर्याप्त नहीं है अपितु छोटी छोटी समितियां बनाई जायें जिस में केवल ५ से ७ सदस्य तक हों। यह समिति रेलवे की विकास योजनाओं तथा रेल सम्पर्क, पटरियों को दूहरा करना तथा डीजल तेल से रेलें चलाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति की जांच करे जिससे इनके सम्बन्ध में तत्काल प्रगति हो सके और योजना समुचित रूप से क्रियान्वित हो।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मैं सब से पहले तो अपने मित्र श्री विट्ठल राव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को यहां पर उठाया। उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री माननीय शास्त्री जी ने खुद उज्जैन से ग्वालियार तक रास्ते पर जा कर के वहां की कठिनाइयों को अनुभव किया था और ऐसा महसूस किया था कि यह रेल बनना बिल्कुल जरूरी है। उस के बाद सर्वे हुआ तो इतना हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह शुरू हो गया। अव्वल तो जब कि इस रेलवे लाइन को महत्वपूर्ण समझा गया तो आप ने जल्दी इस कार्य को पूरा क्यों नहीं कराया ? खैर, जो कुछ हुआ, हुआ। सर्वे समाप्त हुआ। गुना से व्यावरा तक ऐसा रास्ता है जो कि जो तीन मार्ग बनाए गए हैं, उन सब में कामन है। फिर इस गुना से व्यावरा तक की लाइन को बनाने का कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ कर दिया जाता ? वह कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिये। गवर्नमेंट सोचे और रेलवे बोर्ड सोचे कि कौन सा मार्ग अपनाना है। इस में देर क्यों की जा रही है ?

दूसरे जब प्लैन में नई रेलवे लाइनों का उद्देश्य रक्खा गया है तो उस में यह भी है कि जो नये माल का उत्पादन होगा, कोल, स्टील वगैरह, और भी बहुत सा सामान होगा, उस को भी इधर से उधर पहुंचाया और ले जाया जाएगा। आज जो रेलवे लाइन है, उस पर काम इतना अधिक बढ़ गया है कि दूसरी लाइन का बनना बहुत जरूरी हो गया है। उज्जैन और भोपाल की लाइन पर मालगाड़ियों का काम इतना अधिक बढ़ गया है जिस का कोई ठिकाना नहीं है। अभी पिछले दिनों में ने देखा कि अनाज के वैगन्स भरे हुए स्टेशनों पर पड़े रहे। पानी आ गया और उन में भर गया। उन में अंकुर उठ आए, लेकिन तब तक वैगन नहीं आ सके। मैं ने यह भी देखा कि सिहोर में बीस, बीस और पच्चीस पच्चीस दिन तक भरे वैगन पड़े रहे। मैं ने जनरल मैनेजर को इस के

विषय में लिखा। लेकिन उन के पास से जवाब आया कि और नई लाइनें चलाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि काम बहुत अधिक हो गया है और भार बढ़ गया है। एक बात तो यह है कि जैसा मेरे मित्र श्री विट्ठल राव जी ने कहा कि कोल इतना पैदा होने वाला है, दूसरा सामान पैदा होने वाला है, उसको पहुंचाना है बम्बई में, मध्य प्रदेश में पहुंचाना है। मध्य भारत में पहुंचाना है जहां पर कि इंदौर और उज्जैन में काटन मिल्स काफी हैं। वहां कोल आदि की दिक्कत है जो इसी लाइन पर जा सकता है। और सामान भी वहां बराबर पहुंचाया जा सकता है। वहां पर भरे हुए वैगन्स पड़े रहते हैं। कई दिनों तक यात्री गाड़ियां रोजाना लेट आती हैं। मालगाड़ियों का आना जाना वहां ऐसी रुकावट पैदा कर देता है कि लोग परेशान हैं। इस लिये इसमें देर नहीं होनी चाहिये।

जो भी थोड़ा बहुत रुपया किसी तरह से मिला है, उस को खर्च कर के अगर रेलवे लाइन का ४० मील का टुकड़ा भी हम न बना सके तो माल का उत्पादन हो भी जाएगा तो भी इधर उधर नहीं पहुंच सकेगा। इस चीज से देश को लाभ नहीं पहुंच सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? इस को जल्दी से शुरू क्यों नहीं किया जाता? सर्वे होने की मंजूरी होने के बाद निर्णय में कुछ समय लगेगा। उस के बाद लैंड वगैरह का एक्विजिशन करने के लिये बहुत सी कार्रवाई करनी होगी। आखिर यह कब से शुरू होगा। तीनों लाइनों के बारे में सर्वे हुआ है। शाजापुर एक जिले का हेडक्वार्टर है, उस का भी ध्यान जरूर रक्खा जाना चाहिये। जी० आई० पी० ने भी पहले एक सर्वे कराया था। वह तो लड़ाई शुरू हो गई, जिस की वजह से यह काम रुक गया। आपके सामने वह रेकार्ड भी मौजूद है। छोटी से छोटी लाइन को पहले ले लेना चाहिये जिस में कम खर्च हो।

नागदा का प्रश्न है, पता नहीं यह प्रश्न कैसे उठाया गया, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ी कंसर्न ने कोशिश की थी और जगह जगह जा कर वहां के चैम्बर्स आफ कामर्स से और मंडी कमेटियां जो हैं, उन से प्रस्ताव पास कर के भिजवाया था कि इधर से लाइन निकलनी चाहिये। उस ने खुद कोशिश की थी अपने इंटरेस्ट में। यह नहीं होना चाहिये। उज्जैन और इन्दौर दो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, और देवास भी उन से लिंक कर लिया गया है। उनका सम्बन्ध गुना, राजगढ़ व्यावरा के लोगों से है। तो क्या वह नागदा जा कर और चालिस मील का चक्कर काटकर फिर वापस आएंगे और इन जगहों को पहुंचेंगे? जितने भी गुड्स हैं वह भी क्या नागदा जा कर फिर वापस आएंगे। मैं नहीं जानता कि नागदा तक लाइन बनाने का खर्च क्यों फुजूल किया गया और इस रेलवे की क्या जरूरत थी, जिस की वजह से उस को ले लिया गया। न उज्जैन वालों ने उस की मांग की थी और न गुना वालों ने ही की थी। हमें बताया जाय कि यह किस ने चाहा था?

इन प्रश्नों का माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें कि जल्दी से जल्दी यह कार्रवाई कब शुरू होने वाली है। वह इस के निर्माण कार्य में ज्यादा से ज्यादा जनता का सहयोग लें ताकि और विलम्ब अब इस में न हो। पता नहीं वह इस को लेने वाले हैं या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस के लिये कोई कमेटी बना दे इस क्षेत्र में ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सहयोग जनता का ले सके और आप के काम में भी मदद करे, जिस से जल्दी से जल्दी यह काम पूरा हो जाए।

†श्री कोडियान (क्विलोन–रक्षित–अनुसूचित जातियां): मैं यह जानना चाहता हूं कि अंतिम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कब प्रारम्भ होगा और रेलवे लाइन का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह चर्चा प्रारम्भ कर स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर दिया। यह आरोप लगाया गया है कि इन सर्वेक्षणों में असाधारण विलम्ब हुआ है। यह लाइन जून १९५१ में मंजूर हुई थी और दिसम्बर से इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ था। इस वर्ष जनवरी में यह काम समाप्त हो गया है। इस सर्वेक्षण में चौदह महीने का समय लगा, वस्तुतः हमने यही आशा भी की थी।

किसी लाइन का सर्वेक्षण करते समय बहुत सा प्रारम्भिक कार्य करना होता है। केन्द्रीय रेलवे में इस लाइन के निर्माण के अतिरिक्त २१४ मील पटरी दुहरी की जा रही है, १९१ मील पर बिजली से रेलें चलाई जायेंगी तथा ५४ मील पटरी को परिवर्तित किया जा रहा है। इस कार्य के लिये विशेषज्ञ इंजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हमारे पास आवश्यक संख्या में इंजीनियर उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद भी सर्वेक्षण में कोई विलम्ब नहीं हुआ। सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत सारे तथ्यों को संग्रहीत करना होता है।

हमें आशा है कि कुछ ही महीनों के अन्दर हमें रेलवे बोर्ड से इस सम्बन्ध में पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रतिवेदन समाप्त होने के पश्चात् कोई विलम्ब नहीं होगा।

हम इस लाइन को यथासम्भव शीघ्र बनाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। यह लाइन बीना-भोपाल लाइन को दुहरी करने के स्थान में बनाई जा रही है।

मैं श्री त० ब० विट्ठल राव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लाइन को यथासम्भव शीघ्र निर्माण करने और विशेषतः इससे होने वाले कोयला यातायात की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया। इससे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से भी सम्पर्क स्थापित हो जायेगा जहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है।

सभा को ज्ञात है कि हाल में ही रेलवे बोर्ड ने विश्व बैंक के साथ वार्त्ता करने के लिये एक मिशन भेजा। वे अपने प्रयत्नों में सफल रहे और हमें पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त हो गई। हमारा एक मिशन विदेशों में लोहा और इस्पात् प्राप्त करने के लिये भी गया हुआ था। अभी हाल रेलवे मंत्री ने राज्य सभा में एक वक्तव्य देते हुए स्पष्ट कहा है कि अब हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि द्वितीय योजना में रखे गये लक्ष्यों को पूरा करने में रेलवे असमर्थ नहीं रहेगी।

हम यह कार्य यथासम्भव शीघ्र प्रारम्भ करना चाहते हैं। मैं वचन तो नहीं दे सकता तथापि हमें विश्वास है कि हम द्वितीय योजना में रखे गये लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्तुतः उसका पूरा होना कई बातों पर निर्भर है। कई अप्रत्याशित बाधायें आ जाती हैं तथापि हम इसे शीघ्र प्रारम्भ कर इसे शीघ्रतिशीघ्र समाप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २६ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†भूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २४ अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४३८१—४४०८

तारांकित
प्रश्न संख्या — विषय

११२१ पुराने किले के निवासी . . . ४३८१-८२
११२२ 'पोजोलोन' सीमेंट का निर्माण ४३८२-८३
११२३ किसानों के सम्बन्ध में प्रलेख चल चित्र . . . ४३८३—८५
११२४ निर्यात संवर्धन समिति ४३८५-८६
११२६ सहकारी संस्थायें ४३८६-८७
११२७ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड . ४३८८
११३० सुधार-कर ४३८८—९१
११३३ छोटे पैमाने के उद्यम . ४३९२
११३४ नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी . ४३९३-९४
११३५ निष्क्राम्य सम्पत्ति ४३९४—९६
११३६ कागज की मिलें . . ४३९६—९८
११३७ केरल में चाय-बागानों के मालिक . . ४३९८
११३८ गन्ने की खोई से अखबारी कागज का तैयार किया जाना . ४३९८—४४००
११४२ न्यूनतम मजूरी अधिनियम . . . ४४००-०१
११४३ राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना . ४४०१-०२
११४४ इंजीनियरिंग उद्योग का विकास . . . ४४०२-०३
११४५ हथकरघे के वस्त्रों को विदेशों में बेचने की योजना . . ४४०३-०४
११४६ प्याज का निर्यात ४४०४-०६

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१९ आकाशवाणी में वाणिज्यिक प्रसारण . . . ४४०६—०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४४०८—४४१९

तारांकित
प्रश्न संख्या

११२५ गंगटोक में मुद्रणालय ४४०८
११२८ मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यवाही ४४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

क्रमश :

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११२९	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४४०९
११३१	कुटीर उद्योग	४४०९
११३२	सरकारी विज्ञापन .	४४०९-१०
११३९	सहायता तथा पुनर्वास कार्य . .	४४१०
११४०	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड .	४४१०
११४१	निष्क्राम्य भूमि . . .	४४१०-११
११४७	पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि	४४११
११४८	कपड़ा मिलों का बन्द होना .	४४११
११४९	खोपरा तथा सुपारी .	४४१२
११५१	विकास कार्य .	४४१२
११५२	टीन की आवश्यकतायें	४४१३
११५३	१५वां श्रम सम्मेलन .	४४१३
११५४	बर्मा में भारतीय व्यापारी .	४४१३-१४
११५५	काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये भरती	४४१४
११५६	संघों द्वारा हड़तालें	४४१४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८६४	लौह अयस्क का निर्यात	४४१४
८६५	अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र	४४१४-१५
८६६	पंचायती रेडियो सेट . .	४४१५
८६७	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन	४४१५
८६८	दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र .	४४१५-१६
८६९	कलकत्ता का और्फनगंज मारकेट .	४४१६-१७
८७०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	४४१७
८७१	खादी तथा हथकरघा उद्योग	४४१७-१८
८७२	निष्क्राम्य कृषि-भूमि .	४४१८
८७३	प्रविधिक कर्मचारी	४४१८-१९

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ४४१९

श्री जोगिन्दर सेन ने हिन्दी में प्रतिज्ञान किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४४१९-२०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) चाय नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४९४ ।

(दो) दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४९५ ।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारी रसायन (अम्ल तथा उर्वरक) के बारे में विकास परिषद् की वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारी रसायन (क्षार) के लिये विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

(तीन) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इण्टर्नल कम्बश्चन इंजिनों और विद्युच्चालित पम्प्स के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिजली के भारी सामान के उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(पांच) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिजली के हल्के सामान के उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(छः) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अलौह धातुओं के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(सात) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मशीनरी औजार उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(आठ) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये साइकिलों के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(नौ) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भेषज्यों तथा औषधियों के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दस) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऊन उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कृत्रिम रेशम उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(बारह) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये चीनी उद्योग के बारे में विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन ।

याचिका की सूचना ४४२०-२१

सचिव ने वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में एक याचिका प्राप्त होने की सूचना दी ।

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४४२१-२२

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के पलसा और पुण्डी स्टेशनों के बीच १९ अगस्त, १९५७ को हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रैस की दुर्घटना की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया। रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। ४४२२

अनुदानों की मांगें ४४२२—६५

वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

संसद्-कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय के अनुदानों की मांगें भी पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

विधेयक पारित किया गया ४४६६—६९

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९५७ पुरःस्थापित किया। श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। चर्चा के पश्चात् विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार होने के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।

आधे घण्टे की चर्चा ४४६९—७२

श्री त० ब० विट्ठल राव ने गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क के बारे में ६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई। रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने चर्चा का उत्तर दिया।

सोमवार, २६ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि—

वित्त (संख्या २) विधेयक १९५७ पर विचार।